सूचना का अधिनियम–2005

की धारा 4(1)(ख)(v) के अंतर्गत

मैनुअल संख्या–5

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों का विवरण निम्न प्रकार है, जिन्हें इस मैनुअल में अवलोकनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है।

क्र0 सं0	शासनादेश, अधिसूचना,कार्यालय ज्ञाप, नियमावलियों	शासनादेश, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञाप नियमावलियों का विषय
1	शासनादेश संख्या–220, दिनांक 19 जुलाई, 2017,	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती हेतु भर्ती प्रक्रिया नियमावली,2008 के अध्यारोही प्रभाव के संबंध में।
2	शासनादेश संख्या: 399, दिनांक 27 नवम्बर, 2019	उत्तराखण्ड समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2008 विषयक।
3	शासनादेश संख्या–248, दिनांक 31 जुलाई, 2017	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विभिन्न विभागों में समान अर्हताओं वाले विज्ञापित पदों पर एक संयुक्त परीक्षा विषयक।
4	1.शासनादेश संख्या–210550, दिनांक 13 मई, 2024 2.शासनादेश संख्या–1795–76, दिनांक 03 जनवरी, 2024	1.उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि में सम्मिलित समूह 'ग' के पदों को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किए जाने के सम्बन्ध में। 2.उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह 'ग' के पदों को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किये जाने विषयक।
5	1.शासनादेश संख्या–286, दिनांक 07 जनवरी, 2020 2.शासनादेश संख्या–03, दिनांक 04 सितम्बर, 2015	1.ई0डब्लयू0 एस0 आवेदन शुल्क विषयक। 2.आवेदन शुल्क वृद्धि किये जाने विषयक।
6	1. शासनादेश संख्या–398, दिनांक 20 नवम्बर,2017, 2. कार्यालय ज्ञाप संख्या: 105, दिनांक 23 जुलाई, 2007, 3. कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2867, दिनांक 30 अक्टूबर, 2006, 4. कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2607, दिनांक 26 अगस्त, 2005,	विभिन्न विभागों हेतु एक समान पदों पर एक संयुक्त परीक्षा के माध्यम से कराये गये चयन में प्रतीक्षा सूची के निर्माण विषयक।
7	1. अधिसूचना संख्या: 1270, दिनांक 02 सितम्बर, 2010, 2. अधिसूचना संख्या: 1840, दिनांक 08 दिसम्बर, 2010, 3. अधिसूचना संख्या : 59, दिनांक 07 फरवरी, 2019 4. अधिसूचना संख्या : 164, दिनांक 28 जून, 2019 5. शासनादेश संख्या: 72, दिनांक 10 फरवरी, 2014,	समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली 2010, 2014 तथा 2019 विषयक।
8	1. अधिसूचना संख्या : 53, दिनांक 06 अप्रैल, 2016 2. अधिसूचना संख्या : 335, दिनांक 30 अगस्त, 2016	बोर्ड/निगम/निकाय/प्राधिकरण में समूह 'ग' के पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के संबंध में।

9	शासनादेश संख्याः 1209, दिनांक 10 जुलाई, 2007	समूह 'ग' के पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार समाप्त करते हुए वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित किये जाने विषयक।
10	शासनादेश संख्याः 243, दिनांक 05 अगस्त, 2019,	राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के पदों पर साक्षात्कार समाप्त किये जाने विषयक।
11	कार्यालय ज्ञाप: 752, दिनांक 25 अप्रैल, 2007	विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को सुस्पष्ट, निष्पक्ष और सुचितापूर्ण बनाये जाने विषयक
12	कार्यालय ज्ञाप संख्याः 2607, दिनांकः 26 अगस्त, 2005	लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति विषयक।
13	शासनादेश संख्याः 502, दिनांक 23 जुलाई, 2021	हाईस्कूल के पश्चात् तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के इण्टरमीडिएट के समकक्ष विषयक।
14	शासनादेश संख्याः 163, दिनांक 04 मार्च, 2016, शासनादेश संख्याः 867, दिनांक 13 नवम्बर, 2017	अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) विषयक।
15	1.शासनादेश संख्याः 459, दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 2.शासनादेश संख्याः 492, दिनांक 08 नवम्बर, 2020	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं में सक्रियता एवं सतर्कता से कार्यवाही किये जाने विषयक।
16	अधिसूचना संख्याः 1420, दिनांक 13 दिसम्बर, 2011	न्यूनतम अर्हता अंको के निर्धारण विषयक।
17	1.शासनादेश संख्याः 107, दिनांक 25 फरवरी, 2014, 2.अधिसूचना संख्याः12, दिनांक 31 जनवरी,2014, 3.अधिसूचना संख्याः 739, दिनांक 14 जून,2004,	उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (उच्च आयु- सीमा) विषयक।
18	1.शासनादेश संख्याः 1399, दिनांक 21 मई, 2005, 2.शासनादेश संख्याः 1244, दिनांक 21 मई, 2005	1.राज्याधीन सेवाओं /पदों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा अन्य व्यक्तियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध में। 2.राज्याधीन सेवाओं/पदों में भर्ती के समय अधिकतम आयु सीमा में छूट विषयक।
19	1.शासनादेश संख्याः 38, दिनांक 18 फरवरी, 2021, 2.शासनादेश संख्याः1377, दिनांक 03 दिसम्बर, 2021, 3.शासनादेश संख्याः 406, दिनांक 18 जनवरी, 2021	भूतपूर्व सैनिक शैक्षिक अर्हता एवं आयु-सीमा विषयक।
20	1.शासनादेश संख्या-1144, दिनांक 18 जुलाई, 2001, 2. शासनादेश संख्या-04, दिनांक 13 जून, 2006	राज्याधीन सेवाओं मे आरक्षण दिये जाने विषयक।
21	शासनादेश संख्याः 254, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002	उत्तरांचल राज्य के नागरिकों को आरक्षण की अनुमन्यता विषयक।

22	शासनादेश संख्याः 51, दिनांक 09 फरवरी, 2021	सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित रोस्टर नीति का अनुपालन विषयक
23	1.शासनादेश संख्या 124, दिनांक 22 मई, 2020, 2.शासनादेश संख्या 65, दिनांक 22 फरवरी, 2019 सीधी भर्ती में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर।	सीधी भर्ती में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर।
24	शासनादेश संख्या–87, दिनांक 21 जनवरी, 2006	सीधी भर्ती/पदोन्नति में आरक्षण के लिए पद आधारित रोस्टर लागू करने विषयक।
25	शासनादेश संख्याः 1118, दिनांक 02 अप्रैल, 2013	राज्य में SC, ST, तथा OBC हेतु जाति प्रमाण–पत्र विषयक।
26	शासनादेश संख्याः 123, दिनांक 29 अप्रैल, 2019	EWS श्रेणी के लिए आरक्षण हेतु आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र।
27	शासनादेश संख्याः 135, दिनांक 16 फरवरी, 2004	राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की जांच करने विषयक।
28	1.शासनादेश संख्याः 1966, दिनांक 24 जुलाई, 2006, 2.अधिनियम संख्याः 01/2023	उत्तराखण्ड महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण विषयक।
29	शासनादेश संख्याः 589, दिनांक 21 जून, 2002	राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को आरक्षण विषयक
30	शासनादेश संख्याः 868, दिनांक 29 अगस्त, 2011	राज्याधीन सेवाओं में उत्तराखण्ड की अधिवासी महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण विषयक।
31	शासनादेश संख्याः 175, दिनांक 16 अप्रैल, 2020	DFF श्रेणी निर्धारित किये जाने विषयक।
32	शासनादेश संख्याः 1/114411, दिनांक 13 अप्रैल, 2023	DFF और EX.SER. श्रेणी को अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण विषयक।
33	1.कार्यालय ज्ञाप संख्याः 232, दिनांक 26 सितम्बर, 2018, 2.शासनादेश संख्याः 312, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017, 3.शासनादेश संख्याः दिनांक 14 अक्टूबर,2022	दिव्यांगजन को अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण विषयक।
34	शासनादेश संख्याः 374, दिनांक 20 नवम्बर, 2019	दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक एवं अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान किये जाने विषयक।
35	शासनादेश संख्याः 48, दिनांक 05 जून, 2023	विभिन्न विभागों के अन्तर्गत दिव्यांग श्रेणी का चिन्हीकरण विषयक।
36	1.शासनादेश संख्याः 1472, दिनांक 07 नवम्बर, 2002 2.अधिसूचना संख्याः 133, दिनांक 16 मार्च,	उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (PH, DFF और EX.SER. के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993) (संशोधन) अधिनियम, 2009 उत्तर प्रदेश सेवा (PH, DFF और EX.SER. के लिए आरक्षण)(संशोधन) अधिनियम, 1997

	2009 2.अधिसूचना संख्या: 1087, दिनांक 31 जुलाई, 1997	
37	शासनादेश संख्या: 320, दिनांक 18 मार्च, 2011	सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु लिखित परीक्षा में दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को श्रुत लेखन (लेखन सहायक) एवं अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान विषयक।
38	कार्यालय ज्ञाप 34-02, दिनांक 29 अगस्त, 2018	भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत दिव्यांग अभ्यर्थी विषयक।
39	1.अधिसूचना संख्या : 397, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018, 2.अधिसूचना संख्या : 10, दिनांक 05 फरवरी, 2020, 3.अधिसूचना संख्या : 119, 31 अगस्त, 2021, 4.शासनादेश संख्या: 11, दिनांक 16 फरवरी, 2022	अनाथ बच्चों को सीधी भर्ती में अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण विषयक।
40	1.अधिसूचना संख्या : 244, दिनांक 18 अगस्त, 2024, 2.शासनादेश संख्या: 139, दिनांक 24 नवम्बर, 2024	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों व उनके आश्रितों को क्षैतिज आरक्षण विषयक।
41	1. पत्रांक: 1305, दिनांक 07 जनवरी, 2021 2. पत्रांक: 51, दिनांक 22 मार्च, 2021 3. कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1051, दिनांक 03 जुलाई, 2007	लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन, विकल्प, चयन एवं पद आवंटन की नीति विषयक (प्रथम संशोधन सहित), लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन सूची का उपयोग विषयक।
42	शासनादेश संख्या: 1/160592 दिनांक 10 अक्टूबर, 2023	उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में आयोग/चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची विषयक।
43	शासनादेश संख्या: 388, दिनांक 20 नवम्बर, 2017	उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सम्पादित परीक्षाओं की अन्तिम चयनित अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची निर्माण एवं उसके उपयोग विषयक।
44	शासनादेश संख्या: 889/ दिनांक 28 जून, 2021	अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन किए जाने के संबंध में।
45	शासनादेश संख्या: 209832 दिनांक 09 मई, 2024	यूटीईटी परीक्षा में श्रेणी/ उपश्रेणीवार न्यूनतम उत्तीर्ण अंक के संबंध में।

***

अरविन्द सिंह ह्यांकी
सचिव प्रभारी
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
सचिव/सचिव प्रभारी,
उत्तराखण्ड शासन।

कार्मिक अनुभाग–4

देहरादून: दिनांक 19 जुलाई, 2017

विषयः– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती हेतु भर्ती प्रक्रिया नियमावली, 2008 के अध्यारोही प्रभाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र दिनांक 02 जून, 2017 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से "उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2008" के अध्यारोही प्रभाव के अनुसार समूह 'ग' की विभिन्न परीक्षाओं में दो लिखित प्रश्न–पत्रों के स्थान पर एक लिखित प्रश्न–पत्र के आधार पर चयन कराये जाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि "उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2008" स्वतः स्पष्ट है तथा उक्त नियमावली के नियम–2 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार किसी अन्य नियमावली या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली, 2008 ही प्रभावी होगी। उक्त के दृष्टिगत सम्बन्धित विभागों की सेवा नियमावलियों में कोई असंगत प्राविधान होने की दशा में अन्य विभागों द्वारा सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अनुरूप संशोधन किया जा सकता है।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से समूह 'ग' के पदों पर चयन हेतु जो अधियाचन आपके द्वारा प्रेषित किये गये हैं, उन पर चयन की कार्यवाही "उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2008" के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप की जायेगी। कृपया तदनुसार अपने विभाग के अधीन विभिन्न पदों की संगत सेवा नियमावलियों में शीघ्रातिशीघ्र संशोधन करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
सचिव प्रभारी।

संख्या– 220/XXX(4)/2017–03(10)/2017

प्रतिलिपिः सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून को उनके पत्र दिनांक 02 जून, 2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
अपर सचिव

BAHUGUNA DRAFT

संख्या– 399 /XXX(4)/2019–03(10)/2017

50

प्रेषक

एस0एस0 वल्दिया
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

सचिव
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–04 देहरादून: दिनांक 27 नवम्बर, 2019

विषय:– 'उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2008' के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1195, दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली में किये गये कतिपय संशोधनों तथा समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2008 के अध्यारोही प्रभाव के दृष्टिगत वन आरक्षी एवं वन दरोगा के पदों पर चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में शासन से परामर्श हेतु अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 में प्रख्यापित प्राविधानानुसार वन आरक्षी एवं वन दरोगा के पदों पर चयन की कार्यवाही कर ली जाय।

3– उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी सूचित करने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 का उपयोग मात्र वन विभाग से सम्बन्धित पदों के चयन हेतु ही किया जायेगा तथा अन्य विभागों के संदर्भ में 'उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2008' का अध्यारोही प्रभाव यथावत रहेगा।

भवदीय,

(एस0एस0 वल्दिया)
अपर सचिव

OSDE

05/12/19

BAHUGUNA DUST

संख्या–248 /XXX(4)/2017–03(19)/2016

प्रेषक

सुनील श्री पांथरी
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

सचिव
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून, उत्तराखण्ड।

SL-7

कार्मिक अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांक 31 जुलाई, 2017

विषयः– उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में समान अर्हताओं वाले विज्ञापित पदों पर एक संयुक्त परीक्षा आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 28 जून, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में समान अर्हताओं वाले 94 विभिन्न प्रकार के पदों हेतु प्रकाशित 07 विज्ञापनों में संशोधन करते हुये समान अर्हता वाले पदों को एकत्रित (club) कर एक संयुक्त परीक्षा आयोजित कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह 'ग' के ऐसे पद, जिनके लिये आयु, शैक्षणिक योग्यता, दक्षता, अर्हता, कार्यप्रकृति और परीक्षा पाठ्यक्रम समान है, को एकत्रित (club) कर एक संयुक्त परीक्षा आयोजित कराये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :–

1– उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रकिया और संचालन विनियम, 2015 के नियम–11 के उपनियम–6 के अनुसार एक समान अर्हता वाले पदों को ही क्लब किया जाय।

2– लिपिक वर्गीय पद, उससे भिन्न गैर तकनीकी पद, तकनीकी पद एवं शिक्षकों के पदों को पृथक–पृथक क्लब किया जाय।

3– समस्त लिपिक वर्गीय पदों के लिये "उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली, 2008" के अनुरूप सामान्य हिन्दी, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान के 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा करायी जाय।

4– लिपिकीय पदों से भिन्न समस्त तकनीकी पदों के लिये "उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली, 2008" के अनुरूप सम्बन्धित पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषय की 100 अंकों की एक वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा करायी जाय।

SAHUGUNA DRAFT

5– क्लब किये गये पदों की परीक्षा कराते हुये परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों से क्लब के अन्तर्गत चिन्हित पदों में से उनकी प्राथमिकता पूछ ली जाय और तत्पश्चात श्रेष्ठता के आधार पर अन्तिम चयन परिणाम घोषित किया जाय।

6– जिन पदों पर अर्हकारी प्रकृति (Qualifying Nature) की परीक्षा अनिवार्य हो, उस पद की सेवा नियमावली के अनुसार न्यूनतम अर्हता हेतु पृथक से परीक्षा आयोजित की जाय।

7– सभी अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु 'अवसर की समानता' सिद्धान्त के अनुसार कार्यवाही की जाय तथा club किये जाने वाले समस्त पदों के मूल विज्ञापन को दृष्टिगत रखते हुये संशोधित विज्ञापन में अभ्यर्थियों के लिये कोई भी अहितकारी संशोधन नहीं किया जायेगा।

8– क्लब किये जाने वाले पदों पर आयोजित की जाने वाली परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों से पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जायेंगे और न ही कोई अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा।

9– पृथक–पृथक clubbing के अनुसार समस्त पदों के लिये एक साथ परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित कर समय पर विज्ञापित किया जाय, जिससे अभ्यर्थियों को club किये गये पदों की समय पर जानकारी प्राप्त हो सके।

10– उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली, 2008 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रकिया और संचालन विनियम, 2015 के संगत नियमों, प्रकरण से सम्बन्धित अन्य नियमावलियों के साथ ही समय–समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(सुनील श्री पाथरी)
अपर सचिव

संख्या-210550 / XXX(2)/2024-ई 26305

प्रेषक,

शैलेश मोहन रयाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक/3 मई, 2024

विषय: उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि में सम्मिलित समूह "ग" के पदों को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (संशोधन) विनियम, 2022 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि में सम्मिलित समूह 'ग' के 23 पदों में से द्वितीय चरण में निम्नलिखित 08 पदों को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. पर्यावरण पर्यवेक्षक/प्रयोगशाला सहायक (समस्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित निगम/निकाय/संस्थान);
2. मानचित्रकार/ड्राफ्ट्समैन (समस्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित निगम/निकाय/संस्थान);
3. अन्वेषक कम संगणक/सहायक सांख्यिकीय अधिकारी (समस्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित निगम/निकाय/संस्थान);
4. कृषि, पशुपालन, उद्यान (स्नातक);
5. सहकारिता पर्यवेक्षक (समस्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित निगम/निकाय/संस्थान);
6. गन्ना पर्यवेक्षक/दुग्ध पर्यवेक्षक;
7. व्यवस्थापक (राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग व अन्य विभाग);
8. पुलिस रैंकर्स (उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर);

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किये गये समूह 'ग' के उपरोक्त पदों में से यदि किसी पद की सेवा नियमावली में लोक सेवा आयोग से भर्ती कराये जाने का उल्लेख हो, तो विभाग द्वारा सम्बन्धित नियमावली में शीघ्र तथा आवश्यक संशोधन कर लिया जायेगा। उक्त पदों पर लोक सेवा आयोग के स्तर पर वर्तमान

(अधिप्रमाणित)

[illegible]

है यदि चयन सम्बन्धी प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है, तो चयन प्रक्रिया उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा ही पूर्ण की जायेगी।

भवदीय,

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

Signed by Lalit Mohan

संख्या: [illegible]/XXX(2)/2024 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
7. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Alok Kumar Singh
(आलोक कुमार सिंह)
उप सचिव।
Date: 13-05-2024 10:46:35

ललित मोहन रयाल,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3— समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–02 देहरादून: दिनांक 03 जनवरी, 2024

विषयः— उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह 'ग' के पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (संशोधन) विनियम, 2022 के परिशिष्ट 'ख' के माध्यम से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत सम्मिलित समूह 'ग' के पदों में से निम्नलिखित पदों को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किये जाने का निर्णय लिया गया है:—

1. पुलिस आरक्षी–पीएसी/आई०आर०बी०/अग्निशामक;
2. राजस्व उप निरीक्षक/लेखपाल;
3. सहायक लेखाकार/लेखा परीक्षक (समस्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित निगम/निकाय/संस्थान);
4. अनुदेशक/कर्मशाला अनुदेशक (समस्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित निगम/निकाय/संस्थान);
5. स्केलर (वन विभाग);
6. वैयक्तिक सहायक (समस्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित निगम/निकाय/संस्थान);
7. मत्स्य निरीक्षक;
8. मुख्य आरक्षी/दूरसंचार पुलिस;
9. वाहन चालक (समस्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित निगम/निकाय/संस्थान);
10. कनिष्ठ सहायक (समस्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित निगम/निकाय/संस्थान)
11. वन आरक्षी;
12. बंदी रक्षक;

SO (अधिष्ठान)

Generated from eOffice by BILAS UODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-00, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 03/01/2024 05:55 PM

समस्त विभागाध्यक्षों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

आधार पर ... बाहर किये जाने वाले समूह "ग" के उपरोक्त पदों में से यदि किसी पद पर प्राप्त अधियाचन के सापेक्ष कोई चयन सम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी हो, तो वह चयन प्रक्रिया उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा ही पूर्ण की जाएगी।

भवदीय,

Signed by Lalit Mohan Rayal
Date: 03-01-2024 17:45:54

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव

संख्या–1791 (1)/XXX(2)/2024–E26305, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– सचिव, मा0 श्री राज्यपाल को मा0 श्री राज्यपाल महोदय के संज्ञानार्थ।
2– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
7– सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
8– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Alok Kumar Singh
Date: 03-01-2024 17:48:24

(आलोक कुमार सिंह)
उप सचिव

... BY BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 03/01/2024 05:53 PM

(8)

प्रेषक,

संख्या– /XXX(2)/19/55(35)/2003

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 07 दिसम्बर, 2020

विषयः– लोक सेवा आयोग की परिधि के भीतर तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई०डब्ल्यू० एस०) के अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–537/XXX(2)/2014 दिनांक 03.12.2014 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह "ग" के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुल्क का निर्धारण किया गया था। तत्पश्चात निर्धारित आवेदन शुल्क को संशोधित करते हुए शासनादेश संख्या–03/XXX(4)/2015-03(3)/2015 दिनांक 04.09.2015 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह "ग" के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु ₹ 150.00 प्रति आवेदन एवं सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु ₹ 300.00 प्रति आवेदन, परीक्षा शुल्क तथा शासनादेश संख्या–17/XXX(2)/19/55(35)/2003 दिनांक 15.02.2019 के द्वारा दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु ₹ 150.00 प्रति आवेदन, परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है।

2. उक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के भीतर तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों में आवेदन हेतु राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई०डब्ल्यू०एस०) के अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क ₹ 150.00 प्रति आवेदन, के समान ही निर्धारित किया जाता है।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 986 (1)/XXX(2)/19/55(35)/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार/अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
7. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

संख्या–03 /XXX(4)/2015–03(3)/2015

प्रेषक

अतर सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

सचिव
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

देहरादून: दिनांक 04 सितम्बर, 2015

कार्मिक अनुभाग–4

विषय:– राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिये आवेदन करने हेतु आवेदन/परीक्षा शुल्क में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–150/ले0–2(25)(शु0निर्धा0)/2015–16, दिनांक 21 जुलाई, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिये आवेदन करने हेतु आवेदन/परीक्षा शुल्क में वृद्धि किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2– आवेदन/परीक्षा शुल्क में वृद्धि के उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 03 दिसम्बर, 2014 द्वारा निर्धारित दरों को संशोधित करते हुये राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिये आवेदन करने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु ₹ 150.00 प्रति आवेदन एवं सामान्य/अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु ₹ 300.00 प्रति आवेदन परीक्षा शुल्क तत्काल प्रभाव से पुनः निर्धारित किया जाता है ।

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या–03 /XXX(4)/2015–03(3)/2015, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
2– प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड ।
3– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
4– सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।
5– महानिदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
6– सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, हरिद्वार ।
7– अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9– प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून/ गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या- 388 /XXX(4)/2017-03(16)/2016

प्रेषक

सुनील श्री पांथरी
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

सचिव
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 20 नवम्बर, 2017

विषयः- उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सम्पादित परीक्षाओं की अन्तिम चयनित अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची निर्माण एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र दिनांक 22 सितम्बर, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सम्पादित परीक्षाओं की अन्तिम चयनित अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार करने एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26 अगस्त, 2005 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार एकल संवर्ग का आशय किसी विभाग विशेष के लिये सृजित पद से है, जिसकी भर्ती की प्रक्रिया किसी एक सेवा नियमावली में उल्लिखित की गयी है। यदि एक से अधिक विभागों में एक समान पद के सम्मिलित परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाती है, तो ऐसी स्थिति में एकल संवर्ग के आधार पर प्रतीक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि मात्र एक विभाग द्वारा भर्ती कार्यवाही की जाती है तो एकल संवर्ग होने के आधार पर वहां पर प्रतीक्षा सूची का निर्माण किया जा सकता है। कृपया तदनुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुनील श्री पांथरी)
अपर सचिव

BASUGUNA DRAFT

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–1051/xxxii/2007
देहरादून : दिनांक : 3 जुलाई, 2007

कार्यालय–ज्ञाप

विषय:– लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन सूची का उपयोग।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या–2867/XXX(2)/2006 दिनांक 30 अक्टूबर 2006 द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची का उपयोग चयन सूची प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष के पश्चात न किए जाने के निर्देश दिये गये हैं। परन्तु लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के पदों पर विभागीय चयन समितियों द्वारा सीधी भर्ती द्वारा किये गये चयनों में प्रवीणता सूची के उपयोग की अवधि निर्धारित नहीं की गई है। अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :–

(1) लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के सीधी भर्ती के पदों पर विभागीय चयन समितियों द्वारा प्रख्यापित प्रवीणता सूची का उपयोग, ऐसी चयन सूची प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष के पश्चात नहीं किया जायेगा।

(2) विभागीय चयन समिति द्वारा सीधी भर्ती के पदों के लिए चयन के उपरान्त प्रख्यापित प्रवीणता सूची का उपयोग उसी चयन वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध किया जाय जिन्हे विज्ञापन में प्रकाशित किया गया था।

(3). विभागीय चयन समिति द्वारा सीधी भर्ती के पदों हेतु तैयार प्रवीणता सूची जहां सेवा नियमों के अनुसार रिक्तियों की संख्या से 25 प्रतिशत अनधिक बनाये जाने की व्यवस्था है, वहां ऐसी प्रवीणता सूची का उपयोग भी 1 वर्ष के अन्दर केवल विज्ञापन में प्रकाशित पदों को भरने के लिए ही किया जायेगा।

2– अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(डी0के0कोटिया)
सचिव

देहरादून: दिनांक: 30 अक्टूबर, 2006.

कार्यालय ज्ञाप:

लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करते हुए कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकतम एक माह का समय प्रदान करना तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में एक माह तक समय बढ़ाने एवं एकल संवर्ग के पदों को छोड़कर समस्त सम्मिलित सेवाओं एवं अन्य चयनों में प्रतीक्षा सूची का निर्माण न किये जाने के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2607/XXX(ii)/2005 दिनांक 27-08-2005 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये है। इस बीच शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय विभागों द्वारा लोक सेवा आयोग से चयनित सूची उपलब्ध होने के उपरान्त लम्बी अवधि तक या एक वर्ष से अधिक अवधि तक कतिपय चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त कतिपय विभाग द्वारा सामान्य पत्राचार में "प्रतीक्षा सूची" अथवा "अतिरिक्त चयन सूची" शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है।

इस संबंध में व्यापक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

(1) लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची का उपयोग ऐसी चयन सूची प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष के पश्चात नहीं किया जायेगा।

(2) एक वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात ऐसी रिक्तियों को अग्रेनीत करके आगामी चयन वर्ष में सम्मिलित किया जायेगा।

(3) एकल संवर्ग के पदों के लिए जहां प्रतीक्षा सूची का निर्माण किये जाने की व्यवस्था है, सामान्य पत्राचार में "अतिरिक्त चयन सूची" का उल्लेख नहीं किया जायेगा बल्कि "प्रतीक्षा सूची" का उल्लेख किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

(1)

उत्तरांचल शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 2607/XXX (2)/2005

देहरादून, 26 अगस्त, 2005

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये–

(1) किसी चयन वर्ष विशेष में घटित होने वाली रिक्तियों की सही गणना सुनिश्चित करने के उपरान्त ही लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जाय। अधियाचन भेजे जाने के उपरान्त यथा सम्भव रिक्तियों में कोई परिवर्तन न किया जाय।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियां प्राप्त होने के उपरान्त उन्हें कार्यभार अवश्य ग्रहण कराया जाय सिवाय उन मामलों के जहां सम्बन्धित विभाग/संस्था/संगठन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया हो अथवा किसी न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश दिये गये हों। सम्बन्धित विभाग/संस्था/संगठन को समाप्त किये जाने अथवा न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश दिये जाने की स्थिति में अधियाचित पदों को भी समाप्त किये जाने अथवा रिक्तियों की संख्या में परिवर्तित किये जाने के निर्णय लिये जाने की दशा में तत्काल आयोग को सूचित किया जाय।

(3) सम्बन्धित विभागों द्वारा संस्तुतियां/आवंटन प्राप्त होने के एक माह के अन्दर नियुक्ति आदेश जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाय, तथा अभ्यर्थी को प्रथमतः कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकतम एक माह का समय प्रदान किया जायेगा जिसे अपरिहार्य परिस्थितियों में एक माह तक और बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।

(4) निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करते हुए घटित रिक्तियों को आगामी चयन वर्ष हेतु अग्रनीत कर दिया जाय।

(5) चयन सूची का उपयोग उसी चयन वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध किया जाय, जिसके लिए अधियाचन भेजा गया हो/चयन किया गया हो।

(6) ~~रिक्त सभी पदों को जोड़कर समस्त सम्मिलित सेवाओं एवं अन्य चयनों में प्रतीक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जायेगा और न ही किसी प्रकार के रिक्त फालन की कार्यवाही की जायेगी।~~

2– उपर्युक्त आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

संख्या 2607/XXX (2)/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव एवं सचिव, उत्तरांचल शासन।

3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
5. मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

आर0 सी0 लोहनी,
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 1220 / XXX(2)/2010
देहरादून, 07 सितम्बर, 2010

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्यारोही प्रभाव–

2. किसी अन्य सेवा नियमावली के नियम या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

परिभाषाएं– 3. जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:–

(क) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;
(ख) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल से है;
(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
(घ) "आयोग" से तात्पर्य उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से है;
(ङ) "सेवा नियमावली" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह 'ग' के पदों पर भर्ती हेतु निर्गत की गयी सेवा नियमावली अभिप्रेत है; और
(च) "चयन संस्था" से राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों पर भर्ती हेतु नामित की गयी संस्था अभिप्रेत है।

भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता–

4. (1) लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।

भर्ती के लिए वांछनीय अर्हता–

5. (1) लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिए उत्तराखण्ड राज्य की परम्पराओं, रीतियों एवं बोलियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्त होना वांछनीय होगा।

(2) लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग तथा सम्बंधित चयन संस्था जिसे राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए चयन हेतु नामित किया जाय, द्वारा लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के प्रश्नों को भी प्रश्नपत्रों में सम्मिलित किया जायेगा।

(3) लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग तथा सम्बंधित चयन संस्था द्वारा जिन पदों के लिए चयन प्रकियाओं में संगत सेवा नियमावली के अनुसार साक्षात्कार की व्यवस्था निहित हो, उनमें उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के प्रश्न भी पूछे जाने की व्यवस्था की जायेगी।

पाठ्यक्रमों में संशोधन

6. (1) लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग तथा संबंधित चयन संस्थायें चयन हेतु निर्धारित किये जाने वाले परीक्षा पाठ्यक्रमों में इस नियमावली में दिये गये उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही सम्पादित करेंगे।

(2) लोक सेवा अयोग तथा सम्बंधित चयन संस्था उक्त अनिवार्य/वांछनीय अर्हताओं को जारी की जाने वाली सार्वजनिक विज्ञप्ति में भी समाविष्ट करेंगे तथा इस निमित्त आवेदन पत्रों के प्ररूप को भी यथाआवश्यक संशोधित करेंगे।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार कोटिया)
प्रमुख सचिव।

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार, 08 दिसम्बर, 2010 ई0

अग्रहायण 17, 1932 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 1840/XXX(2)/2010–3(1)/2010

देहरादून, 08 दिसम्बर, 2010

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0आ0—170

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 (संशोधन) नियमावली 2010

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ — 1(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 (संशोधन) नियमावली 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियमावली के नियम 4(1) एवं नियम 5(1) का प्रतिस्थापन

2. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 4(1) एवं नियम 5(1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रखे जायेंगे अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4(1) लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।	4(1) लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।

वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5(1) लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिए उत्तराखण्ड राज्य की परम्पराओं, रीतियों एवं बोलियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्त होना वांछनीय होगा।	5(1) लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिए उत्तराखण्ड राज्य की परम्पराओं एवं रीतियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्त होना वांछनीय होगा।

आज्ञा से,

दिलीप कुमार कोटिया,
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 11 कार्मिक/583–2010–100+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्या 59 /XXX–2/19/01(17)/2012
देहरादून, 07 फरवरी, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ–

1(1). इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (तृतीय संशोधन), नियमावली 2019 है।

(2). यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 में नियम 4 उपनियम (1) के पश्चात् उपनियम 2 निम्नवत् अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :–

नियम 4 का उपनियम (2)		(2) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए, वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा उनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो, परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएँ उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, तथा राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका हेतु राज्य के बाहर निवासरत हैं, स्वयं तथा इनके पुत्र/पुत्री, समूह 'ग' के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

(10)

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्या 164 / XXX 2 / 19-01(17) / 2012
देहरादून, 28 जून, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं; अर्थात्

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता (संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ–	1(1)	इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता (संशोधन) नियमावली, 2019 है।
	(2)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 4 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4(2) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए, वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो,	4(2) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए, वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाऐं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों तथा राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका हेतु राज्य के बाहर निवासरत हैं, स्वयं तथा इनके पुत्र/पुत्री, समूह 'ग' के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।	परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाऐं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे; परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी, समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

(7)

संख्या-72 /XXX(2)/2014

प्रेषक,

डॉ0 एस0एस संधु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून दिनांक 10 फरवरी, 2014

विषय– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिये अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम 4(1) का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संदर्भित नियमावली के नियम 4(1) यह प्राविधान है कि "लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।"

2— उपरोक्त प्राविधान के संदर्भ में विभिन्न माध्यमों से यह जिज्ञासायें की जा रही है कि अभ्यर्थी का सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण समूह 'ग' के सीधी भर्ती के विज्ञापन प्रकाशन होने की तिथि को होना चाहिये या विज्ञापन में अंकित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण होना चाहिये या किसी अन्य निर्धारित तिथि तक पंजीकरण होना चाहिये।

3— इस सन्दर्भ में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि समूह–ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त पदों के प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि तक राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(डॉ0 एस0एस0 संधु)
प्रमुख सचिव।

संख्या (1)/XXX(2)/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की हरिद्वार
निदेशक, सेवायोजन निदेशालय उत्तराखण्ड।
समस्त सेवायोजन कार्यालय, उत्तराखण्ड।
सचिवालय के समस्त अनुभाग।
महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी सचिवालय परिसर देहरादून।
गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अतर सिंह)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-4

संख्याः 53 /XXX(4)/2016-03(12)/2015
देहरादूनः दिनांक 06 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 की धारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित निगम/निकाय/प्राधिकरण में समूह 'ग' के पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि के अन्तर्गत अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0सं0	निगम/निकाय/प्राधिकरण
1	उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0
2	उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन लि0
3	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0
4	उत्तराखण्ड पेयजल निगम लि0
5	उत्तराखण्ड वन विकास निगम लि0
6	उत्तराखण्ड परिवहन निगम लि0
7	विभिन्न स्थानीय निकाय (नगर निगम/नगर पालिका)
8	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0
9	कुमायूं मण्डल विकास निगम लि0

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्याः 53 /XXX(4)/2016-03(12)/2015, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, आजरा, देहरादून।
2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3- मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5- सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
6- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0, देहरादून।
7- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन लि0, देहरादून।
8- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम, देहरादून।
9- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
10- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
11- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
12- निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
13- प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0, देहरादून।
14- प्रबन्ध निदेशक, कुमायूं मण्डल विकास निगम लि0, देहरादून।
15- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-4
संख्या: 335 /XXX(4)/2016-03(12)/2015
देहरादून दिनांक 30 अगस्त, 2016

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 की धारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते निम्नलिखित बोर्ड/निगम/निकाय/प्राधिकरण में समूह 'ग' के पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि के अन्तर्गत अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

1. उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड।
2. उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम।
3. उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अपील अधिकरण।
4. उत्तराखण्ड जल संस्थान।
5. उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम।
6. उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 335 /XXX(4)/2016-03(12)/2015, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
6– प्रबन्ध निदेशक, मुख्यालय उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
7– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम।
8– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अपील अधिकारण।
9– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड जल संस्थान।
10– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम।
11– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम।
12– समस्त कोषाधिकारी, कोषागार, उत्तराखण्ड।
13– विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

GENERAL DRAFT

प्रेषक,

डी0 के0 कोटिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 10 जुलाई, 2007

विषयः– समूह 'ग' के पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार समाप्त करते हुए वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या 752/XXX (2)/2007, दिनांक 25 अप्रैल, 2007 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि समूह 'ग' के पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार परीक्षा समाप्त करते हुए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ (objective) रखी जाय तथा तदनुसार ही सम्बन्धित सेवा नियमावलियों में संशोधन करने के निर्देश दिये गये हैं ।

2. इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सेवा नियमों में लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ (objective) रखे जाने की व्यवस्था करते समय कृपया एकरूपता के दृष्टिगत यह भी व्यवस्था करने का कष्ट करें कि "प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जायेगा तथा प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा ।"

3. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया सेवा नियमावलियों में संशोधन करते समय उपरोक्त व्यवस्था का उल्लेख भी परीक्षा की प्रक्रिया में करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(डी0 के0 कोटिया)
सचिव ।

संख्याः 1209(1)/XXX(2)/2007,तददिनांक ।

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव ।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 कार्मिक/47–15–4–2021–1000 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/रोजिमो)।

वीर्य प्राथमिकता

संख्याः /XXX(2)/2019-30(12)/19

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2

विषय : राज्याधीन सेवाओं मे समूह 'ग' के पदो पर साक्षात्कार, समाप्त करते हुए वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित किये जाने सम्बन्ध में।

देहरादूनः दिनांकः 05 अगस्त, 2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 751/XXX(2)/2007 दिनांक 23 अप्रैल, 2007 एवं परिपत्र संख्याः 1209/XXX(2)/2007 दिनांक 10 जुलाई, 2007 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार परीक्षा समाप्त करते हुए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ (Objective) रखे जाने तथा तद्नुसार ही सम्बन्धित सेवा नियमावली में संशोधन करने के निर्देश दिये गये, जिससे चयन में एकरूपता के दृष्टिगत प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक तथा प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक दिये जाने का प्राविधान रखे जाने के निर्देश दिये गये थे।

2– शासन के संज्ञान में आया है कि लोक सेवा आयोग के स्तर पर अभी भी समूह 'ग' के पदों पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से कराये जा रहे हैं तथा मा0 न्यायालयों के समक्ष विधिक वाद योजित हो रहे है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा पूर्व निर्गत आदेशों के अनुपालन में सम्बन्धित सेवा नियमालियों में संशोधन करते हुए साक्षात्कार के स्थान पर वस्तुनिष्ठ (Objective) लिखित परीक्षा का प्राविधान करते हुए चयन की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा रही है अथवा नहीं।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 752/XXX(2)/2007 दिनांक 23 अप्रैल, 2007 एवं परिपत्र संख्याः 1209/XXX(2)/2007 दिनांक 10 जुलाई, 2007 के बाद भी किन–किन प्रशासकीय विभागों द्वारा समूह 'ग' के पदों पर साक्षात्कार की कार्यवाही सम्पन्न करायी गयी हैं की सूचना एक सप्ताह के भीतर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग एवं सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के साथ एक बैठक प्रस्तावित है। अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 2913(1)/XXX(2)/2019-30(12)/19 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक विभाग–2
संख्याः 752 /XXX(2)/2007
देहरादूनः दिनांकः 25 अप्रैल, 2007

कार्यालय–ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 88/नि.स./मु.स.–2007 दिनांक 03 मार्च 2007 द्वारा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रकिया को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित करने के निर्देश दिये गये थे।

2. राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रकिया को सुस्पष्ट, निष्पक्ष और सुचितापूर्ण बनाये जाने के उद्देश्य से इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं:–

(1) भर्ती हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions with Multiple Choice) की रखी जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(3) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में हो तथा परीक्षा के बाद डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(4) लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंक (Negative Marking) की व्यवस्था की जाय।

(5) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड की वैबसाईट पर प्रकाशन किया जायेगा।

(6) चयन का परिणाम घोषित करने के साथ ही सभी अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के अंकों को उत्तराखण्ड की वैबसाईट पर प्रकाशन किया जाये।

[illegible] साक्षात्कार की व्यवस्था न रखी जाय [illegible] साक्षात्कार की व्यवस्था रखी जानी [illegible] हो, वहां समुचित परीक्षण करके सक्षम स्तर से निर्णय लेकर कार्यवाही की जाय ।

(8) जिन विभागों की चयन प्रक्रिया गतिमान है और लिखित परीक्षा अभी आयोजित नहीं हुई है, वहां उक्त बिन्दुओं के अनुसार सेवा नियमों में संशोधन करने के पश्चात् अग्रिम चयन की कार्यवाही की जाय ।

(9) जिन विभागों में चयन प्रकिया गतिमान है और अग्रिम कार्यवाही सेवा नियमों में संशोधन के पश्चात् की जानी है, ऐसे विभागों में संशोधन के तुरन्त पश्चात् नियमानुसार सार्वजनिक विज्ञापन देकर यदि और कोई अभ्यर्थी आवेदन करने के इच्छुक हैं तो उनसे आवेदन पत्र भी प्राप्त किये जाये । तत्पश्चात् अग्रिम चयन प्रकिया की कार्यवाही पूर्ण की जाये । जो अभ्यर्थी पूर्व विज्ञापन के अनुसार आवेदन पत्र दे चुके हैं, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी । पूर्व में आवेदन कर चुके सभी अभ्यर्थियों पर अग्रिम चयन प्रकिया में स्वतः ही विचार किया जायेगा ।

(10) कृपया भविष्य में जब भी रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही की जानी हो, संबंधित सेवा नियमों में उपर्युक्त के अनुसार संशोधन के पश्चात् ही चयन कार्यवाही की जायेगी ।

2. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

डी0 के0 कोटिया
सचिव ।

752 (1)/XXX(2)/2007, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव ।

उत्तरांचल शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 2607/XXX(2)/2005

देहरादून, 26 अगस्त, 2005

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

(1) किसी चयन वर्ष विशेष में घटित होने वाली रिक्तियों की सही गणना सुनिश्चित करने के उपरान्त ही लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जाय। अधियाचन भेजे जाने के उपरान्त यथा सम्भव रिक्तियों में कोई परिवर्तन न किया जाय।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियां प्राप्त होने के उपरान्त उन्हें कार्यभार अवश्य ग्रहण कराया जाय सिवाय उन मामलों के जहां सम्बन्धित विभाग/संस्था/संगठन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया हो अथवा किसी न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश दिये गये हों। सम्बन्धित विभाग/संस्था/संगठन को समाप्त किये जाने अथवा न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश दिये जाने की स्थिति में अधियाचित पदों को ही समाप्त किये जाने अथवा रिक्तियों की संख्या में परिवर्तित किये जाने के निर्णय लिये जाने की दशा में तत्काल आयोग को सूचित किया जाय।

(3) सम्बन्धित विभागों द्वारा संस्तुतियां/आवंटन प्राप्त होने के एक माह के अन्दर नियुक्ति आदेश जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा अभ्यर्थी को प्रथमतः कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकतम एक माह का समय प्रदान किया जायेगा जिसे अपरिहार्य परिस्थितियों में एक माह तक और बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।

(4) निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करते हुए, घटित रिक्तियों को आगामी चयन वर्ष हेतु अग्रेनीत कर दिया जाय।

(5) चयन सूची का उपयोग उसी चयन वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध किया जाय, जिसके लिए अधियाचन भेजा गया हो/चयन किया गया हो।

(6) एकल संवर्ग के पदों को छोड़कर समस्त सम्मिलित सेवाओं एवं अन्य चयनों में प्रतीक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जायेगा और न ही किसी प्रकार के रिशफलिंग की कार्यवाही की जायेगी।

2– उपर्युक्त आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

संख्या 2607(1)/XXX(2)/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
5. मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

आर० सी० लोहनी,
संयुक्त सचिव।

संख्या- 502/XXX(4)/2021

प्रेषक,

एस0एस0 वल्दिया,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
देहरादून।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4 देहरादून, दिनांक 23 जुलाई,

विषयः- हाईस्कूल के पश्चात् तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के इण्टरमीडिएट के समकक्ष होने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र दिनांक 14.12.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से हाईस्कूल के पश्चात् उत्तीर्ण तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स को इण्टरमीडिएट के समकक्ष होने के संबंध में राज्य सरकार की नीति के अनुरूप मार्गदर्शन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- तद्क्रम में डॉ0 नीता तिवारी, सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) के पत्र दिनांक 25.06.2021 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए यह अवगत कराये जाने का निदेश हुआ है कि हाईस्कूल के पश्चात् तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम-2006 के अन्तर्गत विहित विनियमों के अध्याय-तेरह में इण्टरमीडिएट समकक्षता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस0एस0 वल्दिया)
अपर सचिव

Urgent
OSD
pl. put up
how can we refer
23/7

GENERAL DRAFT

प्रेषक,

सचिव

~~उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद~~

रामनगर (नैनीताल)।

सेवा में,

श्री जे0एल0 शर्मा,

संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5

देहरादून।

पत्रांकः-उ0वि0शि0प0/पालिटे0समकक्षता/ 36-38 /2021-22 दिनांक 25 जून 2021

विषयः- समकक्षता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय को पृष्ठांकित अपने पत्रांक यू0ओ0 08/XXIV-B-5/2021 दिनांक 17 मई 2021 जिसके साथ उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 1115 दिनांक 14 दिसम्बर 2020 की छायाप्रति भी संलग्न है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करेंगे, जिसके द्वारा हाईस्कूल के पश्चात् तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के इण्टमीडिएट के समकक्ष होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति के अनुरूप मार्गदर्शन चाहा गया है।

उक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि हाईस्कूल के पश्चात् तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम-2006 के अन्तर्गत विहित विनियम के अध्याय-तेरह में इण्टरमीडिएट समकक्षता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। इण्टरमीडिएट समकक्षता सूची की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, श्रीनगर (पौडी गढवाल) को इस कार्यालय के पत्रांकः- उ0वि0शि0प0/पालिटे0समकक्षता/25-27/2021-22 दिनांक 22 अप्रैल, 2021 द्वारा आयोग के उक्त संदर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्नकर अनुरोध किया गया है कि हाईस्कूल के पश्चात् तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के पाठ्यक्रम/ पाठ्ययोजना/ परीक्षायोजना आदि की सम्यक जानकारी संबंधी आवश्यक अभिलेख/पत्रजातों की छायाप्रति उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे, ताकि विषय पर विचार विमर्श किया जा सके जिसकी छायाप्रति संलग्न है। संबंधित स्तर से अद्यावधि परिषद को कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुये है। तदनुसार सूचना सेवा में प्रेषित है।

8S/48/B-5

भवदीय,

(डॉ0 नीता तिवारी)

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद

रामनगर (नैनीताल)।

पृ0सं0:-- उ0वि0शि0प0/पालिटे0समकक्षता/ /2021-22 दिनांकित। 25/6/21

प्रतिलिपिः- 1- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, श्रीनगर (पौडी गढ़वाल) को इस कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्रांकः- उ0वि0शि0प0/पालिटे0समकक्षता/ 25-27 /2021-22 दिनांक 22 अप्रैल, 2021के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सूचनार्थ प्रेषित।

29-06-21

(जे0एल0 शर्मा)

संयुक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा विभाग

उत्तराखण्ड शासन

सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद

रामनगर (नैनीताल)।

3016

(7) निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य होंगी–

क– भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है, की वे सार्वजनिक परीक्षाएं जो इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा कक्षा 12 वीं की सार्वजनिक परीक्षा के समकक्ष हैं।

ख– भारत के विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के वे शिक्षा बोर्ड जो संसद/राज्य विधान मण्डल द्वारा अथवा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से गठित हैं अथवा भारतीय विद्यालयी शिक्षा बोर्ड मण्डल के सदस्य हैं, की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा कक्षा 12वीं की सार्वजनिक परीक्षा।

ग– विदेशिक राष्ट्रों की वे परीक्षाएं जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी०बी०एस०ई०) द्वारा कक्षा 12वीं कक्षा के समकक्ष मान्य की गई हैं।

भारतीय शिक्षा बोर्ड मण्डल के सदस्य शिक्षा बोर्डों की वर्तमान सूची निम्नवत् है–

1 बोर्ड ऑफ इण्टरमीडिएट एजूकेशन आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद।

2 बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद।

3 आसाम हायर सेकेण्ड्री एजूकेशन काउन्सिल, गुवाहाटी।

4 बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन, आसाम।

5 बिहार स्कूल एक्जामिनेशन्स, बोर्ड पटना।

6 सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन, दिल्ली।

7 छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन, रायपुर।

8 छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल रायपुर।

9 काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट ऐक्जामिनेशन्स, नई दिल्ली

10 गोवा बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एण्ड हायर सेकेण्ड्री एजूकेशन, गोवा।

11 गुजरात सेकेण्ड्री एण्ड हायर सेकेण्ड्री एजूकेशन बोर्ड, गांधीनगर।

12 बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन हरियाणा, भिवानी।

13 हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, धर्मशाला।

14 जे एण्ड के स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, जम्मू।

15 झारखण्ड ऐकेडमिक काउन्सिल, राँची।

Photocopy Attested

अपर सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)

(39)

प्राइमरी एजुकेशन कोलकाता।

40 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन कोलकाता।

41 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन कोलकाता।

42 द वेस्ट बंगाल काउन्सिल ऑफ रवीन्द्र ओपन स्कूलिंग, कोलकाता।

43 वनस्थली विद्यापीठ।

उक्त के अतिरिक्त निम्न संस्थान भी मान्यता प्राप्त सूची में सम्मिलित है-

1 वर्ष 2002 से माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा।

2 वर्ष 2005 से उत्तरांचल शिक्षा एवम् परीक्षा परिषद/उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा।

3 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा।

4 गुरूकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी (हरिद्वार) द्वारा संचालित विद्याविनोद (इण्टरमीडिएट) परीक्षा, (दो वर्षीय पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष उत्तीर्ण किया गया हो)।

5 रजिस्ट्रार अरबी फारसी परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संचालित आलिम परीक्षा।

6 जामिया–मिलिया इस्लामिया, दिल्ली द्वारा संचालित एस०एस०सी० (सीनियर सेकेण्ड्री सर्टिफिकेट) परीक्षा।

7 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ द्वारा संचालित सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा।

Please copy

अपर सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)

15– <u>हाईस्कूल परीक्षा के संदर्भ में</u>:–

(1) बाह्य विषयों में सैद्धान्तिक या प्रायोगिक प्रश्न पत्रों का निर्धारण संख्यात्मक अंकों में किया जायेगा। बाह्य परीक्षाओं के विषयों में संख्यात्मक अंक के अलावा परिषद, प्रत्येक विषय में ग्रेडिंग भी देगी।

(2) बाह्य परीक्षा के विषयों के मामले में योगांक के आधार पर श्रेणियां (DIVISION) दी जायेंगी। आन्तरिक मूल्यांकन के विषयों के मामले में उन्हें ग्रेडिंग विद्यालय द्वारा प्रदान की जायेगी।

(3) बाह्य परीक्षा के प्रत्येक विषय के अर्हक अंक 33 प्रतिशत होंगे। उन विषयों में जिनमें प्रयोगात्मक भी शामिल होता है, में उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षार्थी को सैद्धान्तिक और प्रयोगात्मक दोनों में अलग–अलग 33 प्रतिशत अंक प्राप्त होने के साथ–साथ कुल अंक भी 33 प्रतिशत होने चाहिए।

प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद,
रामनगर (नैनीताल)।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल)।

पत्रांक– उ0वि0शि0प0/पालिटे0समकक्षता/25-37/2021-22 दिनांक 22 अप्रैल 2021

विषय– समकक्षता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून ने अपने पत्रांक/विविध (अ) 543–74/2020–21 दिनांक 07 अप्रैल 2021 के साथ उपसचिव, माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–5 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या यू0ओ0 04/XXIV-B-5/2021 दिनांक 10 मार्च 2021 संलग्न करते हुये उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 1115 दिनांक 14 दिसम्बर 2020 का संदर्भ ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया है। जिसके द्वारा हाईस्कूल के पश्चात् तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के इण्टरमीडिएट के समकक्ष होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति के अनुरूप मार्गदर्शन चाहा गया है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको शासन तथा आयोग के उक्त संदर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि हाईस्कूल के पश्चात् तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के पाठ्यक्रम/ पाठ्ययोजना/परीक्षायोजना आदि की सम्यक जानकारी संबंधी आवश्यक अभिलेख/पत्रजातों की छायाप्रति उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे, ताकि विषय पर विचार विमर्श उपरान्त शासन /निदेशालय को अवगत कराया जा सके।

संलग्नक–
(1) शासन के पत्र संख्या यू0ओ0 04/XXIV-B-5/2021 दिनांक 10 मार्च 2021
(2) उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 1115 दिनांक 14 दिसम्बर 2020

भवदीय,

(डॉ0 नीता तिवारी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)।

पृ0सं0– उ0वि0शि0प0/पालिटे0समकक्षता/25-37/2021–22 दिनांकित्।

प्रतिलिपि– 1– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2– उपसचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सूचनार्थ।

अपर सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)।

संख्या– / XXIV(1)/2016-15/2011

प्रेषक,

एस० राजू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादून: दिनांक 04 मार्च फरवरी, 2016

विषयः प्राथमिक (I-V) एवं उच्च प्राथमिक (VI-VIII) विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक प्रा०शि०–सेवा(2)/27305/अ.पा.प.(I&II)-2015/ 2015–16 दिनांक 06.12.2015 एवं पत्रांक प्रा०शि०–सेवा(2)/28314/अध्यापक पात्रता परीक्षा/2015–16 दिनांक 23.01.2016 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बच्चों की निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–23(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की अधिसूचना दिनांक 23–08–2010 तथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 29–07–2011 द्वारा राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/अशासकीय मान्यता प्राप्त एवं राज्य के नियंत्रणाधीन ऐसे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हतायें निर्धारित की गयी है, जिसके अनुसार इन विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या–1809 दिनांक 12 अगस्त, 2014 के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23–08–2010 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 29–07–2011 के प्रस्तर–03 के खण्ड(1) के उपखण्ड–क में उल्लिखित अर्हताधारियों (स्नातक और बी.एड. अर्हता) हेतु पूर्व में निर्धारित तिथि 31–03–2014 को विस्तारित करते हुए 31–03–2016 तक कक्षा I-V की कक्षाओं में शिक्षण कार्य हेतु अनुमन्य किया गया है।

3. माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या–913/2014 (S/S) नरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड सरकार व अन्य में दिनांक 12.01.2015 को अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रत्येक वर्ष में कराये जाने के सम्बन्ध में पारित आदेश तथा उपरोक्त विभिन्न आदेशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार राज्य में अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) निम्नानुसार आयोजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(1) पात्रता परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हता

A– अध्यापक पात्रता परीक्षा (I-V) (UTET-I) (प्राथमिक शिक्षकों हेतु)

(i) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एल०एड० /बी०टी०सी०),

या

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी०एल० एड०/बी०टी०सी०), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो;

Scanned by CamScanner

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 04 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा,

अथवा

स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डी0एल0एड0/बी0टी0सी0)।

(ii) राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) से दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया है।

(iii) वह व्यक्ति जिसने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक और बी0एड0/एल0टी0/शिक्षा शास्त्री (केवल संस्थागत) अर्हता

अथवा

इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी0एड0/एल0टी0/शिक्षा शास्त्री (केवल संस्थागत)) उत्तीर्ण किया हो अथवा जिसने डी0एड0 (विशेष शिक्षा) अथवा बी0एड0 (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण की हो।

एक वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणरत अथवा दो वर्षीय डिग्री/डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा चार वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु अर्ह होंगे।

समस्त शैक्षिक उपाधियां भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राप्त की गयी हों। प्रशिक्षण उपाधियां एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त की गयी हों अथवा प्राप्त की जा रही हो। आरक्षित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों हेतु स्नातक स्तर पर प्राप्तांकों में 05 प्रतिशत की शिथिलता प्रदान की जायेगी।

4. उच्चतर माध्यमिक/स्नातक/प्रशिक्षण योग्यता के प्रतिशत की गणना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रियानुसार की जायेगी।

B- अध्यापक पात्रता परीक्षा (VI-VIII) (UTET-II) (उच्च प्राथमिक शिक्षकों हेतु)

(i) स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) और प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (बी0टी0सी0/डी0एल0एड0) उत्तीर्ण।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक बी0एड0/एल0टी0/शिक्षा शास्त्री (केवल संस्थागत) उत्तीर्ण।

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं

शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक बी0एड0/एल0टी0/शिक्षा शास्त्र (केवल संस्थागत) जो इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी0एल0एड0)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी0ए0/बी0एस0सी0एड0 या बी0ए0एड0/बी0एस0सी0एड0

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा एक वर्षीय बी0एड0 (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण।

एक वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणरत अथवा दो वर्षीय डिग्री/डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा चार वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु अर्ह होंगे।

समस्त शैक्षिक उपाधियां भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राप्त की गयी हो। प्रशिक्षण उपाधियां एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त की गयी हों अथवा प्राप्त की जा रही हों। आरक्षित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों हेतु स्नातक स्तर पर प्राप्तांकों में 05 प्रतिशत की शिथिलता प्रदान की जायेगी।

(2) अध्यापक पात्रता परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम

A- राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा (UTET) द्विस्तरीय है। अभ्यर्थी एक समय में किसी एक परीक्षा या दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकता है। दोनों स्तर की परीक्षायें एक ही दिन दो पालियों में आयोजित की जायेंगी। यदि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहता है, तो इसके लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र भरने होंगे तथा शुल्क भी पृथक-पृथक जमा करना होगा एवं इसका स्पष्ट अंकन आवेदन पत्र में करना होगा। आवेदन पत्र Online भरे जायेंगे।

B- अध्यापक पात्रता परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। किसी भी प्रश्न में ऋणात्मक अंक नहीं दिया जायेगा। परीक्षा अवधि 02 घण्टा 30 मिनट की होगी तथा प्रश्नों की संख्या 150 होगी। भाषा के प्रश्न पत्र के अलावा अन्य प्रश्न पत्र द्विभाषिक अर्थात हिन्दी तथा अंग्रेजी में मुद्रित किये जायेंगे। अंकों का विभाजन निम्नवत् होगा :-

प्राथमिक स्तर (I-V) का पाठ्यक्रम (UTET-I) :-

क्र.सं.	विषय (सभी अनिवार्य)	प्रश्नों की संख्या	अंक
1	बाल विकास एवं पैडागागी	30	30
2	प्रथम भाषा	30	30
3	द्वितीय भाषा	30	30
4	गणित	30	30
5	पर्यावरण अध्ययन	30	30

Scanned by CamScanner

	योग	150	150

उच्च प्राथमिक स्तर (VI-VIII) का पाठ्यक्रम (UPEE-II)–

क्र.सं.	विषय (सभी अनिवार्य)	प्रश्नों की संख्या	अंक
1	बाल विकास एवं पेडागाजी	30	30
2	प्रथम भाषा	30	30
3	द्वितीय भाषा	30	30
4	a. गणित/विज्ञान शिक्षक के लिए गणित एवं विज्ञान b. सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों के लिए सामाजिक अध्ययन c. अन्य शिक्षकों के लिए (4a अथवा 4b में से एक)	60	60
	योग	150	150

नोट :– *प्रथम भाषा जो अध्यापन की भाषा होगी, के रूप में अभ्यर्थी को हिन्दी एवं अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा तथा उक्त भाषा के प्रश्नपत्र का स्तर भाषा द्वितीय से उच्चतर होगा।

**द्वितीय भाषा के रूप में अभ्यर्थी को हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा, जो कि भाषा प्रथम से पृथक होगी।

***अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में भाषा प्रथम एवं भाषा द्वितीय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।

(3) न्यूनतम अर्हता अंक (Qualifying Marks)

अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत एवं अन्य पिछडा वर्ग तथा विकलांग अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत होंगे। अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण अभ्यर्थी का नियुक्ति/चयन हेतु दावा/अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह परीक्षा नियुक्ति/चयन हेतु निर्धारित अर्हताओं में से मात्र एक अनिवार्य अर्हता है। शिक्षकों की नियुक्ति/चयन राज्य सरकार की संगत अध्यापक सेवा नियमावली तथा समय–समय पर जारी नियम/निर्देश के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(4) अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजन हेतु अधिकृत संस्था

राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET-I) एवं (TET-II) का आयोजन उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल द्वारा किया जायेगा। इस हेतु परीक्षा आयोजन से लेकर परिणाम घोषित करने तक, के समस्त कार्य परिषद द्वारा ही सम्पादित किये जायेंगे। परिषद अध्यापक पात्रता परीक्षा के संचालन हेतु विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करेगी तथा व्यापक दिशा निर्देश प्रकाशित करेगी। अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया जायेगा कि अनुचित साधनों के उपयोग अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा तथा उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(5) अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की उपाधि

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल अध्यापक पात्रता परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करेगी, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, पंजीकरण संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों का विवरण अनिवार्य रूप से अंकित होगा। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को अंक पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

Scanned by CamScanner

(6) अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु अवसर — अध्यापक पात्रता परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी जब भी चाहे तब उसमें सम्मिलित हो सकता है। इसके अतिरिक्त अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने अंक सुधारने हेतु पुनः अध्यापक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से सात वर्ष की होगी। यदि कोई व्यक्ति, अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 7 वर्ष के भीतर अध्यापक प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक के पदों पर नियोजित होने में असफल रहता है, तो उसे अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र पुनः प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(7) अध्यापक पात्रता परीक्षा की उपयुक्तता

a- केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के सभी प्रकार के विद्यालयों में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे तथा आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग हेतु उत्तीर्णांक राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा के समतुल्य समझे जायेंगे।

b- राज्य सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के अन्तर्गत संचालित ऐसे सभी विद्यालयों में, जो राज्य सरकार के अधीन हो/राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो/किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हो, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदत्त किया गया हो, नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।

c- अन्य राज्यों के अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।

(8) अध्यापक पात्रता परीक्षा शुल्क — अध्यापक पात्रता परीक्षा (UTET) हेतु शुल्क की दरें निम्नवत् होंगी :-

1- सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु :-

(a) रू0 600 (TET-I/TET-II में से किसी एक परीक्षा हेतु)

(b) रू0 1000 (TET-I एवं TET-II दोनों परीक्षाओं हेतु)

2- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्त अभ्यर्थी हेतु :-

(a) रू0 300 (TET-I/TET-II में से किसी एक परीक्षा हेतु)

(b) रू0 500 (TET-I एवं TET-II दोनों परीक्षाओं हेतु)

(9) पर्यवेक्षण

1- अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

2- नोडल अधिकारी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की बैठकों में प्रतिभाग करेंगे।

3- नोडल अधिकारी राज्य सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक अध्यापक पात्रता परीक्षा का विवरण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को प्रेषित करेंगे।

4- उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा से सम्बन्धित पूर्ण विवरण रखा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से भी सक्रिय सहयोग लिया जायेगा।

(10) अध्यापक पात्रता परीक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किये गये/किये जाने वाले समस्त दिशा निर्देश स्वतः ही राज्य में लागू हो जायेंगे।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा

Scanned by CamScanner

सचिव/निदेशक, अकादमिक शोध तथा महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा निदेशक आदि सदस्य होंगे।

(iii) अध्यापक पात्रता परीक्षा का कार्यक्रम

प्रत्येक वर्ष में राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु अधिकृत संस्था द्वारा निम्न कार्यक्रमानुसार परीक्षा सम्पादित करायी जायेगी :-

1-	अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय के लिए आवेदन पत्र के विवरणिका तैयार करना	माह मई में
2-	विज्ञप्ति प्रकाशित करने की तिथि	माह जून में
3-	आनलाईन आवेदन पत्र भरे जाने की तिथि	माह जून में
4-	आनलाईन शुल्क जमा किये जाने की तिथि	माह जून में
5-	फर्म द्वारा परीक्षा केन्द्र प्रवेश पत्र निर्गत कर अभ्यर्थियों को प्रेषण की तिथि	माह जुलाई में
6-	परीक्षा सामग्री आदि का प्रेषण	माह सितम्बर में
7-	प्रस्तावित परीक्षा तिथि	माह सितम्बर के अन्तिम रविवार को
8-	आनलाईन की प्रदर्शित करना	माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में
9-	आपत्तियां आमंत्रित किया जाना तथा रिवाइज्ड आनलाईन की प्रदर्शित करना	माह अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह में
10-	परीक्षाफल निर्माण एवं घोषणा	माह नवम्बर के द्वितीय सप्ताह में
11-	अंक पत्र/प्रमाण पत्रों का प्रेषण	माह दिसम्बर के द्वितीय सप्ताह तक

अतः राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा-2015 के आयोजन के सम्बन्ध में निदेशालय स्तर पर दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 को आयोजित बैठक में सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा किये गये प्रस्ताव के अनुसार परीक्षा का आयोजन माह मई, 2016 के द्वितीय सप्ताह में किया जायेगा। शेष आगामी वर्षों में बिन्दु-(11) में प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा सम्पादित करायी जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एस० राजू)
अपर मुख्य सचिव

सं0:163 (1)/XXIV(1)/2016-15/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।
2- निदेशक, माध्यमिक/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
3- सचिव/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर (नैनीताल)।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
संयुक्त सचिव

Scanned by CamScanner

संख्या 869/XXIV(1)/2017-15/2011 टी०सी०-III

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक) देहरादून दिनांक: 13 नवम्बर, 2017

विषयः प्राथमिक (I-V) एवं उच्च प्राथमिक (VI-VIII) विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी०ई०टी०) आयोजित किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 04 मार्च 2016 में न्यूनतम अर्हता अंक में संशोधन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-163 दिनांक 04 मार्च, 2016 के प्रस्तर-4(3) में न्यूनतम अर्हता अंक (Qualifying Marks) में अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी०ई०टी०) में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत निर्धारित की गयी। उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश संख्या-163 दिनांक 04 मार्च, 2016 के प्रस्तर-4(3) में न्यूनतम अर्हता अंक से सम्बन्धित पूर्व प्रचलित व्यवस्था में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों (स्वयं) हेतु भी न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत की व्यवस्था को अतिरिक्त रूप से शामिल किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- अतः शासनादेश संख्या-163/XXIV(1)/2016-15/2011 दिनांक 04 मार्च, 2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाय।

भवदीया,

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

सं०- /XXIV(1)/2017-15/2011 टी०सी० तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1-महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
2-निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3-सचिव/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर(नैनीताल)
4-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

संख्याः 459 /xxx(4)/2020-03(5)/2020

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-04 देहरादून, दिनांकः 15 अक्टूबर, 2020

विषयः- उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं में सक्रियता एवं सतर्कता से कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन राज्य के विभिन्न विभागों, निगमों, उपक्रमों आदि की अधीनस्थ सेवाओं (समूह 'ग') के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से किया गया है। इस प्रकार, राज्य सरकार के लिए आयोग महत्वपूर्ण कार्य करने वाली एक अति आवश्यक संस्था है। परीक्षाओं का आयोजन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं जिलास्तरीय अधिकारीगणों का समन्वय अतिआवश्यक है।

2- परीक्षा की तैयारियों का समस्त दायित्व आयोग का है किन्तु परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को संबंधित जनपद के पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी तथा परीक्षा केन्द्रों में प्रधानाचार्य की शुचितापूर्ण परीक्षा आयोजित कराने में मुख्य भूमिका होती है। विशेष रूप से मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक, केन्द्र अधीक्षक, कक्ष निरीक्षक, पुलिस व होमगार्ड के कार्मिकों/जवानों को अपने दायित्वों का निर्वहन अत्यन्त सतर्कता व समयबद्ध तरीके से सम्पादित करना अतिआवश्यक है क्योंकि परीक्षा तिथि को होने वाली गतिविधियों के लिए उपरोक्त कार्मिक एवं अधिकारी उत्तरदायी हैं।

3- पूर्व में सम्पन्न कतिपय चयन परीक्षाओं में अनियमितताओं की शिकायतों के कारण परीक्षा में अनावश्यक विवाद हुआ, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए परीक्षा आयोजन में सख्ती व सतर्कता से कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

4- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त चयन परीक्षाओं हेतु निम्नवत् कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें:-

(1) परीक्षाओं के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप सम्पन्न कराये जाने हेतु जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा। अपर जिलाधिकारी, जिलाधिकारी के अधीन पूर्ववत नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते रहेंगे।

(2) परीक्षा की गोपनीय सामग्री बहुमूल्य सम्पत्ति के रूप में आयोग की आवश्यकता के अनुरूप संबंधित कोषागारों के डबल लॉक में रखी जायेगी। परीक्षा उपरान्त आयोग द्वारा जो भी गोपनीय सामग्री कोषागारों में रखी जायेगी उन सबके लिए मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तरदायी अधिकारी रहेंगे। आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व समय पर, गोपनीय सामग्री रखे जाने व निकासी के लिए संबंधित मुख्य कोषाधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

ADHISTAAN DRAFTS

(५५)

(3) परीक्षार्थियों के लिए सुरक्षित एवं उपयुक्त परीक्षा केन्द्र चिन्हित किया जाना नितान्त आवश्यक है। भविष्य में यदि आयोग परीक्षा के लिए किसी महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, पालीटेक्निक, आई०टी०आई० या इंटरमीडिएट कालेज चिन्हित करता है तो तत्काल परीक्षा कार्य के लिए इसकी अनुमति दी जाय तथा इन विद्यालयों/संस्थानों के प्रधानाचार्य/प्रभारी अधिकारी आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप परीक्षा संचालित करेंगे। इसमें लापरवाही प्रकट होने पर संबंधित के विरूद्ध प्रशासनीय एवं विधिक कार्यवाही की जायेगी। अपर मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, सचिव शिक्षा विभाग इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में अपने स्तर से विस्तृत निर्देश जारी करेंगे।

(4) परीक्षा के लिए जिले में अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। नोडल अधिकारी के अतिरिक्त नियुक्त, मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक तथा अन्य संबंधित कार्मिक परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों एवं प्रपत्रों का भली-भांति अध्ययन करेंगे तथा मजिस्ट्रेट व पर्यवेक्षक का यह दायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करवायें कि आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा संचालित हो रही हैं।

(5) परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व गेट पर अथवा अन्य स्थान पर जहां अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच (Frisking) के लिए लाइन लगाने का उपयुक्त स्थान हो, वहां पर सोशल डिस्टन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् कराते हुए शारीरिक जांच/फ्रिस्किंग (Frisking) की जाय। इसके लिए चार से छः होमगार्ड तथा दो पुलिस आरक्षियों की तैनाती की जायेगी जिनमें न्यूनतम दो से तीन महिलायें होंगी। फ्रिस्किंग का कार्य केन्द्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक तथा मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराया जायेगा। परीक्षा आयोजित कराये जाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में एक पुलिस उपाधीक्षक यथा आवश्यकतानुसार नोडल अधिकारी भी नामित किया जायेगा जो जनपद के प्रत्येक परीक्षा केन्द्र का स्वयं औचक निरीक्षण भी कर सकेगा एवं Frisking (शारीरिक जांच), सतर्कता एवं शान्ति व्यवस्था पर नजर रखेगा, जिससे आयोग को जनपद में संबंधित पुलिस अधिकारी से समन्वय करने में सुगमता हो। Frisking का मुख्य उद्देश्य परीक्षा केन्द्रों में नकल करने की सामग्री यथा ब्लूटूथ, डिजीटल घड़ी इत्यादि को पकड़ना एवं प्रतिबंधित कराना है। परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय की परीक्षा केन्द्रों का मुख्य गेट 60 मिनट पूर्व बन्द कर दिया गया है।

(6) कमाण्डैन्ट जनरल, होमगार्ड यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक जिले में पर्याप्त संख्या में (कम से कम 150) होमगार्ड को Frisking कार्यों में प्रशिक्षण देकर एक पूल (Pool) तैयार किया जाय। प्रत्येक चयन परीक्षा में Frisking हेतु इन प्रशिक्षित होमगार्ड को ही परीक्षा केन्द्रों में तैनात किया जाय। Frisking के सम्बन्ध में तथा परीक्षा में प्रतिबंधित सामग्री के सम्बन्ध में आयोग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।

(7) परीक्षा आयोजन में पर्यवेक्षक आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप परीक्षा से संबंधित समस्त कार्यों का सम्पादन करायेगा तथा परीक्षा कक्षों में भ्रमण कर कक्ष निरीक्षकों की सतर्कता आदि कार्य भी पर्यवेक्षक का दायित्व होगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा कार्य के अनुभवी एवं सख्त अनुशासन रखने वाले अधिकारियों (जो वरिष्ठ प्रवक्ता स्तर से नीचे का न हो) को ही पर्यवेक्षक चिन्हित कर नियुक्ति करें।

(ख) भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए जिलाधिकारी प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के लिए एक मजिस्ट्रेट तैनात करेंगे। आयोग द्वारा मजिस्ट्रेटों के दायित्वों के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे। अधिक संख्या वाली परीक्षाओं में जिला स्तर के पद एवं जिला स्तर के समान अधिकारियों को इस कार्य के लिए नामित किया जाय। मजिस्ट्रेट गोपनीय सामग्री को लाने व ले जाने के अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र में कानून व्यवस्था तथा परीक्षा प्रक्रिया का आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप पर्यवेक्षण कराते रहेंगे व परीक्षा की अवधि में परीक्षा केन्द्र में बने रहेंगे तथा परीक्षा सम्पन्न होने पर ही केन्द्र छोड़ना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) परीक्षा केन्द्रों में अवस्थापना सुविधाओं के साथ-साथ पूर्व परीक्षाओं में संबंधित केन्द्रों द्वारा बरती गई सतर्कता के आधार पर उनकी रैंकिंग करते हुए परीक्षा केन्द्र के चयन हेतु आयोग सम्यक कार्यवाही करेगा। इस कार्य में मुख्य शिक्षा अधिकारी आयोग को सक्रिय सहयोग प्रदान करते हुए आयोग द्वारा चिन्हित केन्द्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी आयोग की परीक्षाओं में नियुक्त किये जाने वाले पर्यवेक्षकों के चयन में विशेष सावधानी रखेंगे, यदि किसी विद्यालय का पूर्व परीक्षा में अनुचित व्यवहार रहा हो तो उसकी भी सूचना आयोग को देंगे।

(घ) नोडल अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी तथा पुलिस विभाग का नोडल अधिकारी समन्वय स्थापित कर आवश्यकतानुसार परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करना भी सुनिश्चित करेंगे।

(ङ) नोडल अधिकारी, अपर जिलाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे परीक्षा के तत्काल बाद उसी दिन या अगले दिन परीक्षा के सम्पन्न होने की या कोई अन्य घटना हो तो उसकी रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करेंगे।

(च) अपर जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी परीक्षा से 02 दिन पूर्व सभी मजिस्ट्रेट, परीक्षा केन्द्र अधीक्षक, पुलिस तथा अन्य प्रतिनिधियों के साथ परीक्षा आयोजन की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे।

(छ) परीक्षा से पूर्व एवं परीक्षा होने के पश्चात् पुलिस द्वारा स्थानीय सतर्कता (Intelligence) इकाइयों को क्रियाशील किया जाय तथा परीक्षा की शुचिता को बाधित करने वाले व्यक्तियों/गिरोहों की सतर्कता से निगरानी की जाय। यदि आवश्यक हो तो आयोग के सचिव से इन सूचनाओं को साझा किया जाय जिससे आयोग अपने स्तर से भी इस पर सम्यक कार्यवाही कर सके।

3- उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आयोजित होने वाली परीक्षाओं में नियुक्त होने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा परीक्षा केन्द्रों व उनके कर्मचारियों का ये दायित्व होगा कि वे परीक्षा को विशेष सतर्कता एवं शुचितापूर्ण ढंग से सम्पादित करें। यदि किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही या अनुचित व्यवहार की सूचना प्राप्त होती है तो उसे गम्भीरता से लिया जायेगा और सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध [illegible] वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव

संख्याः 459 /XXX(4)/2020-03(5)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, गृह/विद्यालयी शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. पुलिस महानिदेशक, सुभाष रोड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल।
6. निदेशक, उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून
8. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)

अपर मुख्य सचिव

3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

4. समस्त सीनियर पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-1 [illegible]

विषय – उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में शुचिता एवं पारदर्शिता में सहयोग दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राज्य सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्तशासी एवं स्वतंत्र संस्था है, जिसका मुख्य कार्य राज्य के विभिन्न विभागों व अन्य संस्थाओं की अधीनस्थ सेवाओं (समूह 'ग') के लिए योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध कराना है। इस प्रकार राज्य सरकार के लिए आयोग महत्वपूर्ण कार्य करने वाली एक अति आवश्यक संस्था है। वर्तमान में आयोग केवल ऑफलाइन माध्यम से परीक्षाओं का आयोजन करा रहा है परन्तु हाल ही में राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन अथवा कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट(सी०बी०टी०) के माध्यम से परीक्षायें आयोजित कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– परीक्षाओं का आयोजन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं जिलास्तरीय अधिकारीगणों का समन्वय अतिआवश्यक है। ऑनलाइन परीक्षायें तकनीक युक्त होने के कारण ऑफलाइन परीक्षाओं से भिन्न है। ऑनलाईन परीक्षाओं के आयोजन में जिला स्तर पर विभिन्न सहयोगकर्ता अधिकारियों की भूमिका भी थोड़ी भिन्न होगी; अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त ऑनलाइन परीक्षाओं हेतु निम्नलिखित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें–

(1) ऑनलाइन परीक्षाओं के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप सम्पन्न कराये जाने हेतु जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा। अपर जिलाधिकारी, जिलाधिकारी के अधीन पूर्ववत नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते रहेंगे।

(2) परीक्षाओं के लिए सुरक्षित एवं उपयुक्त परीक्षा केन्द्र चिन्हित किया जाना मूल रूप से आयोग द्वारा आबद्ध संवादाता एजेंसी का कार्य ... परन्तु चिन्हित केन्द्र तकनीकी रूप से आयोग के निर्धारित मानकों के अनुरूप है अथवा नहीं, इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। इस सम्बन्ध में I.T.D.A. द्वारा आयोग को यथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाय।

(3) परीक्षा के लिए जिले में अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। नोडल अधिकारी के अतिरिक्त नियुक्त मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक तथा अन्य सम्बन्धित कार्मिक परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों एवं पद्धति का पालन करें।

...2

[illegible] परीक्षा केन्द्र में परीक्षा सम्पादित की जाती है। ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए [illegible] की गयी है। पर परीक्षा पूर्ण कराने के लिए [illegible] परीक्षा केन्द्र (कम्प्यूटर केन्द्र) [illegible] का आयोजन किया जा सकता है। [illegible] 2 या अधिक पालियों (शिफ्ट) में परीक्षा [illegible] अतः समस्त अभ्यर्थियों सभी पालियों (शिफ्ट) में परीक्षा के लिए [illegible] मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक व

5. परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व गेट पर अपना अपना स्थान [illegible] अपना कार्य करेंगे। जांच (Frisking) के लिए लाइन लगाने का उपयुक्त स्थान हो, गेट पर [illegible] कर्मियों की शारीरिक [illegible] कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शारीरिक जांच/फ्रिस्किंग (Frisking) की जाय। इसके लिए चार से छः होमगार्ड तथा दो पुलिस आरक्षियों की तैनाती की जायेगी, जिनमें न्यूनतम दो से तीन महिलायें होंगी। फ्रिस्किंग का कार्य केन्द्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक तथा मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराया जायेगा। परीक्षा आयोजित कराये जाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में एक पुलिस उपाधीक्षक यथा [illegible] नोडल अधिकारी भी नामित किया जायेगा जो जनपद के प्रत्येक परीक्षा केन्द्र का स्वयं औचक निरीक्षण भी कर सकेगा एवं Frisking (शारीरिक जांच), सतर्कता एवं शान्ति व्यवस्था पर नजर रखेगा, जिससे आयोग को जनपद में संबंधित पुलिस अधिकारी से समन्वय करने में सुगमता हो। Frisking का मुख्य उद्देश्य परीक्षा केन्द्र में नकल करने की सामग्री यथा ब्लूटूथ, डिजीटल घड़ी इत्यादि को पकड़ना एवं प्रतिबन्धित कराना है। परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय की परीक्षा केन्द्र का मुख्य गेट 60 मिनट पूर्व बन्द कर दिया गया है, जिससे कोई भी बाहरी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं कर सके।

6. कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक जिले में पर्याप्त संख्या में (कम से कम 150) होमगार्ड को Frisking कार्यों में प्रशिक्षण देकर एक पूल (Pool) तैयार किया जाय। प्रत्येक चयन परीक्षा में Frisking हेतु इन प्रशिक्षित होमगार्ड को ही परीक्षा केन्द्रों में तैनात किया जाय। Frisking के सम्बन्ध में तथा परीक्षा में प्रतिबंधित सामग्री के सम्बन्ध में आयोग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

7. परीक्षा आयोजन में पर्यवेक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, अतः पर्यवेक्षक का यह दायित्व होगा कि वह आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप परीक्षा से संबंधित समस्त कार्यों का सम्पादन करायेगा तथा परीक्षा केन्द्र के कन्ट्रोल रूम/सर्वर रूम के कार्यों के साथ-साथ परीक्षा कक्षों में भ्रमण कर कक्ष निरीक्षकों की सतर्कता आदि कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे। पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी अभ्यर्थी को कोई तकनीकी कठिनाई दृष्टिगोचर होने पर उसका समुचित निराकरण हो रहा है अथवा नहीं।

8. सभी ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए जिलाधिकारी प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के लिए एक मजिस्ट्रेट तैनात करेंगे। आयोग द्वारा पृथक से मजिस्ट्रेटों के दायित्वों के निर्देश जारी किये जायेंगे। मजिस्ट्रेट का मुख्य कार्य शांति व्यवस्था बनाये रखना, अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों तथा परीक्षा में तकनीकी खराबी या अन्य बाधा आदि के लिए आख्या/सूचना देना होगा।

9. परीक्षा केन्द्रों के चयन एवं उनमें कम्प्यूटर, सी०सी०टी०वी० सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं के साथ-साथ पूर्व परीक्षाओं में संबंधित केन्द्रों द्वारा बरती गई [illegible]

(10) नोडल अधिकारी / अपर जिलाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे परीक्षा के तत्काल बाद उसी दिन या अगले दिन परीक्षा के सम्पन्न होने की या कोई अन्य घटनाक्रम हो तो उसकी रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करेंगे।

(11) अपर जिलाधिकारी / नोडल अधिकारी परीक्षा से 02 दिन पूर्व सभी मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक, केन्द्र अधीक्षक, पुलिस तथा अन्य प्रतिनिधियों के साथ परीक्षा आयोजन की तैयारियों के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक करेंगे।

(12) परीक्षा से पूर्व एवं परीक्षा तिथि को पुलिस द्वारा स्थानीय सतर्कता (Intelligence) इकाइयों को क्रियाशील किया जाय तथा परीक्षा की शुचिता को बाधित करने वाले व्यक्तियों / गिरोहों की सतर्कता से निगरानी की जाय। यदि आवश्यक हो तो आयोग के सचिव से इन सूचनाओं को साझा किया जाय जिससे आयोग अपने स्तर से भी इन पर समुचित कार्यवाही कर सकें।

3- उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आयोजित होने वाली समस्त ऑनलाइन परीक्षाओं में नियुक्त होने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों तथा परीक्षा केन्द्रों व उनके कर्मचारियों का ये दायित्व होगा कि वे परीक्षा को विशेष सतर्कता एवं शुचितापूर्ण ढंग से सम्पादित / आयोजित करायें। यदि किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही या अनुचित व्यवहार की सूचना प्राप्त होती है तो उसे गंभीरता से लिया जायगा और उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध प्रशासनिक / विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव

संख्या: 492 /XXX(4)/2020-03(5)/2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, गृह / विद्यालयी शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. पुलिस महानिदेशक, सुभाष रोड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल / कुमायूँ मण्डल।
6. निदेशक, उच्च शिक्षा / तकनीकी शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून
8. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या [illegible]/2011
देहरादून: दिनांक 13 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली 2008 में अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	१. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2011 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 5 के उपनियम (5) के पश्चात् उपनियम (6) का बढ़ाया जाना।	2. मूल नियमावली के नियम 5 के उप नियम (5) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम (6) रख दिया जायेगा, अर्थात :- "(6) मूल नियमावली के नियम 5 के उपनियम (4) के खण्ड (एक) तथा नियम 5 के उपनियम (4) के खण्ड (दो) के उपखण्ड (ख) के अनुसार लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रवीणता सूची में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त किये अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जायेगा।" परन्तु यह कि जिन पदों की भर्ती की प्रकिया वर्तमान में प्रारम्भ हो चुकी है, उन पदों के सम्बन्ध में इस नियमावली के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

आज्ञा से,

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 107/XXX(2)/2014 55(41)2004
देहरादून दिनांक: 25 फरवरी, 2014

अधिसूचना

राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 2014 में संशोधन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते है–

उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2 उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली 2014 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 2 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
2– इस नियमावली के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों के सम्बन्ध में जिन पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है, हेतु अधिकतम आयु–सीमा 40 वर्ष होगी,	2– इस नियमावली के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों के सम्बन्ध में जिन पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी; परन्तु यह कि इस संशोधन से पूर्व जारी विज्ञापनों में आयु सीमा यथावत रहेगी।

आज्ञा से,
(डॉ0 एस0एस0 संधु)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्तीय विभाग-2

संख्याः 12/XXX-(2)/2014-65(41)/2004
देहरादून,31 जनवरी, 2014

अधिसूचना

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली 2004 (समय-समय पर यथा संशोधित) को अधिक्रमित करते हुये राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा निर्धारण हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम तथा विवरण-
1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 2014 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अधिकतम आयु सीमा-
2. इस नियमावली के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों के सम्बन्ध में जिन पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है, हेतु अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष होगी।

भर्ती के अवसरों पर प्रतिबन्ध का हटाया जाना-
3. किसी भी ऐसी सेवा में अथवा पद पर भर्ती के लिए विहित आयु सीमा की अवधि में अभ्यर्थी के भर्ती के अवसरों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।

नियमावली का अध्यारोही प्रभाव-
4. यह नियमावली सगत सेवा नियमो मे किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी सभी मामलो में प्रभावी होगी।

आयु की गणना-
5. किसी सेवा नियमावली में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी सेवा या पद के लिए चाहे वह लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो या उसके बाहर, अभ्यर्थी को, जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियां लोक सेवा आयोग या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाय या यथास्थिति, ऐसी रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को सूचित की जायें उस वर्ष की पहली जुलाई को समय-समय पर यथाविहित न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए।

आज्ञा से,

(डा0 एस0 एस0 संधू)
प्रमुख सचिव।

उत्तरांचल शासन
कार्मिक विभाग–2

संख्या 739/XXX–(2)/2004–55(41)/2004
देहरादून, 14 जून, 2004

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तरांचल सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 2004

1. संक्षिप्त नाम तथा विवरण–

(i) यह नियमावली उत्तरांचल सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 2004 कहलायेगी।

(ii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. अधिकतम आयु सीमा–

इस नियमावली के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों के सम्बन्ध में जिन पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से कम है, अधिकतम आयु–सीमा 35 वर्ष होगी।

3. भर्ती के अवसरों पर प्रतिबन्ध का हटाया जाना–

किसी भी ऐसी सेवा में अथवा पद पर भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा की अवधि में अभ्यर्थी के भर्ती के अवसरों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।

4. नियमावली का अधिभावी प्रभाव–

यह नियमावली संगत सेवा नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी सभी मामलों में प्रभावी होगी।

5. आयु की गणना–

किसी सेवा नियमावली में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी सेवा या पद के लिए चाहे वह लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो या उसके बाहर, अभ्यर्थी को, जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियां लोक सेवा आयोग या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाय या यथास्थिति, ऐसी रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को सूचित की जायें उस वर्ष की पहली जुलाई को समय–समय पर यथाविहित न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए।

आज्ञा से,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

संख्या 1399/XXX (2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1—अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

2—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

3—मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमायूँ (पौड़ी/नैनीताल),
उत्तरांचल।

4—समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

5—समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 21 मई, 2005

विषय–राज्याधीन सेवाओं/पदों में भर्ती के समय अधिकतम आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं/पदों में भर्ती के समय अनुसूचित जाति के लिए 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 प्रतिशत का आरक्षण शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक–2/2001–सा(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 द्वारा निर्धारित किया गया है।

2—राज्याधीन सेवाओं/पदों में भर्ती के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाती रही है। समय–समय पर विभिन्न स्तरों से इन वर्गों/श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में दी जाने वाली छूट के सम्बन्ध में जिज्ञासाएं की जाती रही हैं। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं/पदों में भर्ती के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 1399/XXX (2)/2005, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।

संख्या 1244/XXX (2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1—अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।
3—मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमाऊँ (पौड़ी/नैनीताल),
उत्तरांचल।
4—समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
5—समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 21 मई, 2005

विषय–राज्याधीन सेवाओं/पदों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा असक्त व्यक्तियों की अधिकतम आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक–2/2001–53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 2 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण प्रदान किया गया है।

2–समय–समय पर विभिन्न स्तरों से यह जिज्ञासाएं की जाती रही हैं कि विकलांग व्यक्तियों को तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा में छूट अनुमन्य है या नहीं, इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया है:–

1. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं/पदों में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।
2. असक्त/विकलांग व्यक्तियों को राज्याधीन सेवाओं में समूह "क" तथा "ख" की सेवाओं में सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तथा समूह "ग" तथा "घ" की सेवाओं में सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 1244/XXX (2)/2005, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

आर० सी० लोहनी,
संयुक्त सचिव।

प्रेषक

मेजर योगेन्द्र यादव
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या : XXX / XVII-C-1/2021-6(12)/2020

सेवा में

सचिव
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।

सैनिक कल्याण अनुभाग

विषय :— कतिपय श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों को उनके लिए आरक्षित सिविल सेवा में शैक्षिक अर्हता में समकक्षता के सम्बन्ध में।

देहरादून : दिनांक 03 दिसम्बर 2021

महोदय

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या 38/XXX(2)/2021-30(21)2018 दिनांक 18.02.2021 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कतिपय श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों को उनके लिए आरक्षित सिविल सेवा में शैक्षिक अर्हता के समकक्षता/छूट के सम्बन्ध में लागू की गयी व्यवस्था से अवगत कराया गया है।

2 उक्त के क्रम में उप निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय द्वारा पत्र संख्या 3012/रोजगार/सै0क0-3 दिनांक 08.10.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पूर्व सैनिक दिनेश चन्द निवासी 'A' 129 नेहरू कालोनी, देहरादून के पत्र दिनांक 08.10.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि वन रक्षक हेतु शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट रखी गयी है, किन्तु जब उनके द्वारा वन रक्षक हेतु आवेदन किया गया तो "उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग" द्वारा आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया, जबकि शासनादेश दिनांक 18.02.2021 के अनुसार ऐसे भूतपूर्व सैनिक मैट्रीकुलेट तथा 15 वर्ष की सेवा पूरी की गयी हो उनकी शैक्षिक अर्हता स्नातक मानी जायेगी।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में प्रख्यापित व्यवस्था के आलोक में प्रकरण पर नियमानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें। यदि शासनादेश दिनांक 18.02.2021 से उक्त प्रकरण आच्छादित न हो रहा हो तो उसके कारणों से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक — उक्तवत्।

भवदीय

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव।

संख्या : — / XVII-C-1/2021-6(12)/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :— उप निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, देहरादून को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित कि तदनुसार अनुरोधकर्ता श्री दिनेश चन्द्र को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(निर्मल कुमार)
अनुसचिव।

13/12/2021

संख्या: 38 /XXX (2)/2021-30(21)/2018

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।

(3) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(4) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 18 जनवरी, 2021

विषयः कतिपय श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों को उनके लिए आरक्षित सिविल सेवा में शैक्षिक अर्हता में समकक्षता/छूट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्मिक, जन आकांक्षा एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 15012/8/82–स्थापना (डी), दिनांक 12 फरवरी, 1986 तथा भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास कार्यान्वयन समिति के प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 शासन द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में शासनादेश संख्या 15/5/1986–का–2/92, दिनांक 28 अप्रैल, 1992 निर्गत किया गया है, उक्त के क्रम में शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो मैट्रीकुलेट हों तथा इण्डियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन या नौ सेना/वायु सेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किये हों तथा संघ की सशस्त्र सेवा में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को उनके लिए आरक्षित सिविल पदों के समूह–'ग' की उन सेवाओं/पदों के लिए अर्ह माना जायेगा, जिनके लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित हो, परन्तु जहां उनके लिये तकनीकी या व्यावसायिक अनुभव अनिवार्य न हो या जहां गैर तकनीकी व्यावसायिक कार्य अनुभव अनिवार्य हो और नियुक्ति प्राधिकारी का सन्तोष हो जाये कि ऐसे भूतपूर्व सैनिक अल्प प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं।

(2) भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित सिविल सेवा के समूह 'ग' व 'घ' के ऐसे पदों, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता मैट्रीकुलेशन निर्धारित हो, नियुक्ति प्राधिकारी अपने स्वविवेक से ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से छूट प्रदान कर सकते हैं, जिन्होंने इण्डियन आर्मी क्लास–1 परीक्षा या उसके समकक्षीय नौ सेना या वायु सेना की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और संघ की सशस्त्र सेवा में कम से

जन 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और अन्यथा कार्य अनुभव एवं अर्हताओं के आधार पर उन्हें उक्त पद के दायित्वों के निर्वहन के लिए उपयुक्त समझा जाये।

(3) यदि भूतपूर्व सैनिक समूह 'ग' व 'घ' के पदों के विरुद्ध निर्धारित सीमा तक चयनित न हो सकें तो अर्हता को कुप्रभावित किये बगैर सामान्य मापदण्ड को इस सीमा तक शिथिल किया जा सकता है जिससे आरक्षण का कोटा पूरा हो जाये।

2— कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: (1)/XXX(2)/2021-30(21)/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : 1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
3. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
4. सचिव, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

दूरभाष : 0135 –2741481
फैक्स : 0135 –2743773

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड
15 सी, कालीदास मार्ग, हाथीबड़कला
देहरादून (उत्तराखण्ड) –248003

3012/रोजगार/सै0क0–3

08 अक्टूबर 2021

सेवा में,

संयुक्त सचिव
सैनिक कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड शासन

विषय : कतिपय श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों को उनके लिए आरक्षित सिविल सेवा में शैक्षिक अर्हता में समक्षता के सम्बन्ध में

महोदय,

1. उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य के शासनादेश संख्या 38/XXX(2)/2021-30(21)/2018 दिनांक 18 फरवरी 2021 (छायाप्रति संलग्न) के अन्तर्गत ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो मैट्रीकुलेट हों तथा इण्डियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन या नौ सेना/वायु सेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किये हों तथा संघ की सशस्त्र सेवा में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को उनके लिए आरक्षित सिविल पदों के समूह 'ग' की उन सेवाओं/पदों के लिए अर्ह माना जायेगा, जिनके लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित हो।

2. महोदय संज्ञान में लाना है कि पूर्व सैनिक दिनेश चन्द्र निवासी 'A' 129 नेहरू कलोनी, देहरादून के पत्र दिनांक 08 अक्टूबर 2021 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार वन रक्षक हेतु शैक्षिक योग्यता ईन्टर मीडिएट रखी गयी है, परन्तु जब उनके द्वारा वन रक्षक हेतु आवेदन किया गया तो उत्तराखण्ड अधिनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। उक्त शासनादेश के अनुसार जो भूतपूर्व सैनिक मैट्रीकुलेट तथा 15 वर्ष की सेवा पूरी की गयी हों उनकी शैक्षित अर्हता स्नातक मानी जायेगी।

3. अतः अनुरोध करना है कि ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो मैट्रीकुलेट हों तथा इण्डियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन या नौ सेना/वायु सेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किये हों तथा संघ की सशस्त्र सेवा में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को उनके लिए आरक्षित सिविल पदों के समूह 'ग' की उन सेवाओं/पदों के लिए अर्ह माना जाये, जिनके लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता ईन्टर मीडिएट/स्नातक निर्धारित हो।

भवदीय,

कर्नल महेन्द्र सिंह जोधा (से0 नि0)
उपनिदेशक

संलग्नक – यथोपरि

सेवा में,

निदेशालय सैनिक कल्याण
उत्तराखण्ड सरकार

विषय – वन रक्षक परिक्षा में सेना द्वारा जारी स्नातक प्रमाण पत्र अस्वीकार किये जाने विषयक।

महोदय,

सादर निवेदन इस प्रकार से है। कि मैं 40-4084721L लांस नायक (पूर्व सैनिक) दिनेश चन्द। महोदय मैं हाईस्कूल परीक्षा पास करने के पश्चात 05 दिसम्बर 2001 को भारतीय सेना में शामिल हो गया था। 17 वर्ष कि अपनी सेवा पूर्ण 31 दिसम्बर 2018 को सेना से सेवा निवृत हुआ। महोदय, सेवा निवृती के समय सेना द्वारा मुझे स्नातक का प्रमाण पत्र जारी किया गया। जो कि मुझे ज्ञात है। कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार में समूह 'ग' और 'घ' के गैर तकनिकी वाली प्रतियोगिता परिक्षा (सरकारि सेवा) में जहाँ पर न्युनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक रखी गयी हो सेना द्वारा जारी स्नातक प्रमाण पत्र मान्य है। महोदय वन आरक्षी में शैक्षिक योग्यता इंटर मीडियट रखी गयी है। मेरे द्वारा आवेदन करने पर उत्तराखण्ड अधिनस्थ सेवा चयन आयोग आवेदन अस्वीकार कर रहे है। जबकी स्नातक कि न्युनतम शैक्षिक अर्हता में आवेदन स्वीकार किया गया है।

अतः महोदय से निवेदन है। कि सेना द्वारा जारी स्नातक प्रमाण पत्र को इंटर मीडियट (10+2) शैक्षिक अर्हता वाली प्रतियोगिता परिक्षा (सरकारि सेवा) में भी लागु किये जाने हेतु उचित कार्यवाहि करने की कृपा करें। प्रार्थी आपका आभारी रहेगा,

दिनांक – 09-10-2023
मो० नं० 9368600268

प्रार्थी [signature]
पूर्व सैनिक दिनेश चन्द
'A' 129 नेहरु कलोनी
देहरादून उत्तराखण्ड
PIN – [illegible]

(61)

1-1

संख्याः /XXX (2)/2021-53(41)/2004

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

(3) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(4) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 18 जनवरी, 2021

विषयः राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित भूतपूर्व सैनिकों को समूह 'ग' के उच्च पदों पर भर्ती हेतु आवेदन में आयु सीमा में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश सं0 124/XXX (2)/2020-53(01)2001 दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No.36034/6/90-Estt.(SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि the ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt, in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs.

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकाशित विज्ञापनों में भूतपूर्व सैनिकों के सम्बन्ध में आयु सम्बन्धी उक्तवत् दी गयी छूट के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय तथा ऐसे आवेदनकर्ताओं के आवेदन पत्रों को विचार के लिए ले लिया जाय और उनके आवेदन पत्रों को निरस्त न किया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

Scanned with OKEN Scanner

(62)

पृष्ठांकन संख्या: 1/०६(1)/XXX(2)/2021-55(41)2004 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :- 1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।

2. सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड, हरिद्वार।

3. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।

4. सचिव, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।

5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय।

6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1144/कार्मिक-2-2001-53(1)/2001

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग

देहरादून : दिनांक 18 जुलाई, 2001

विषय–राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उत्तरांचल राज्य में राज्याधीन सेवाओं/सार्वजनिक उद्यमों/निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं/शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में सम्यक् रूप से विचारोपरान्त वर्तमान जनगणना के पूर्ण व अन्तिम आंकड़े उपलब्ध होने तक, वर्तमान में उपलब्ध जनसंख्या (रैपिड सर्वे) के आंकड़ों के आधार पर आरक्षित श्रेणी की जातियों की सकल जनसंख्या में उनके प्रतिशत के एक प्रतिशत अधिक आरक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उत्तरांचल राज्य में आरक्षण अनन्तिम रूप से निम्नवत् निर्धारित किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :–

(1) अनुसूचित जाति	19%
(2) अनुसूचित जनजाति	04%
(3) अन्य पिछड़ा वर्ग	14%

2–शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को निम्नानुसार हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य किया जाय :–

(i) महिलाएं	20%
(ii) भूतपूर्व सैनिक	02%
(iii) विकलांग व्यक्ति	03%
(iv) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02%

जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग की होगी/होगा, उसे उसी वर्ग में हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा।

3–आरक्षण के सम्बन्ध में स्थायी रूप से नीति का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

(64)

भवदीय,

राकेश शर्मा,
सचिव।

संख्या 1144 (1)/कार्मिक-2-2001-53(1)/2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
3. निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
4. आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तरांचल, देहरादून।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
6. समस्त मंत्रियों के निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण के सूचनार्थ।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

आर0 सी0 लोहनी,
अनु सचिव।

संख्या: 04 /xxx(2)/2006

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक जून, 13, 2006

विषय: राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

शासन के संज्ञान में लाया गया है कि राज्याधीन सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु जारी विज्ञापनों में महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, निःशक्त व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों आदि को प्रदत्त आरक्षण की सुविधा को स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया जा रहा है, यह उचित नहीं है । शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक-2-2001-53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई 2001 द्वारा उत्तरांचल राज्य राज्याधीन सेवाओं/पदों में महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, निःशक्त व्यक्तियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को क्रमशः 20%, 02%, 03% तथा 02% का क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है । उक्त शासनादेश द्वारा भूतपूर्व सैनिकों हेतु अनुमन्य 02% क्षैतिज आरक्षण को बढ़ाकर के शासनादेश संख्या: 570/कार्मिक-2/2004 दिनांक 22 मई 2004 द्वारा 05% किया गया है । शासनादेश संख्या: 1270/तीस-2/2004 दिनांक 11 अगस्त 2004 द्वारा उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों को, जो 07 दिन से जेल गये हों, को राजकीय सेवा में अगले 05 वर्षों तक 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया गया है ।

2. उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भर्ती प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों में महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, निःशक्त व्यक्ति

संग्राम सेनानियो के आश्रितो तथा उत्तराखण्ड आन्दोल
ति अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण, जो निम्न प्रकार से है, क
जाय तथा उक्त वर्ग के व्यक्तियो को आयु सीमा मे अनुमन्य छूट को भी
ो मे सुस्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाय :-

1-	महिलाये	20 प्रतिशत
2-	भूतपूर्व सैनिको	05 प्रतिशत
3-	निःशक्त व्यक्तियो	03 प्रतिशत
4-	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो	02 प्रतिशत
5-	उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी	10 प्रतिशत

कृपया उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव ।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,

सचिव,

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव

उत्तरांचल शासन।

(2) समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,

उत्तरांचल।

(3) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तरांचल।

देहरादून : दिनांक 10 अक्टूबर, 2002

कार्मिक विभाग-2

विषय- उत्तरांचल राज्य के नागरिकों को आरक्षण की अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य के गठन के फलस्वरूप राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2. राज्याधीन सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में अनुमन्य आरक्षण केवल उत्तरांचल प्रदेश के निवासी उन जातियों के व्यक्तियों को ही अनुमन्य होगा, जो इस निमित्त उत्तरांचल शासन द्वारा जारी की गयी अनुसूची में सम्मिलित हों।

3. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 24 एवं 25 द्वारा क्रमशः संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 तथा संविधान अनुसूचित जनजातियाँ आदेश, 1950 को उक्त अधिनियम की पांचवीं एवं छठीं अनुसूची में यथा निर्दिष्ट संशोधित कर दिया गया है। तद्नुसार उत्तरांचल राज्य की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुनर्गठन अधिनियम की पांचवीं एवं छठीं अनुसूची में पृथक से चिन्हित हो चुकी है। अतः उत्तरांचल राज्य के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश तथा अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तरांचल की राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेगा।

भवदीय,

आलोक कुमार जैन,

सचिव।

संख्या 254(1)/कार्मिक-2/2002, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,

अपर सचिव।

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या: 51 /XXX(2)/2021-53(01)/2001

(41)

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
   सचिव/सचिव (प्रभारी),
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2

देहरादून: दिनांक 09 फरवरी, 2021

विषय : राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित रोस्टर नीति का अनुपालन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या: 97/XXX(2)/2020-53(01)2001 दिनांक 19 मार्च, 2020 द्वारा शासन के सम्यक विचारोपरान्त पूर्ववर्ती रोस्टर क्रमांक के अनुसार (अर्थात प्रथम पद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित) राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित (ऊर्ध्व एवं क्षैतिज) रोस्टर नीति का निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या: 124 /XXX(2)/2020-53(01)/2001. दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन के संबंध में परिशिष्ट–1 (ऊर्ध्व आरक्षण), परिशिष्ट–2 (क्षैतिज आरक्षण) एवं परिशिष्ट–3 (मॉडल रोस्टर) के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन हेतु प्रकिया का निर्धारण किया गया है। कतिपय विभागों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग तथा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उनके स्तर पर रोस्टर एवं चयन प्रक्रिया में आ रही कठिनाई से शासन को अवगत कराते हुए दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन हेतु निर्धारित रोस्टर नीति के अनुपालन हेतु निम्नवत् दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं :–

1. राज्याधीन सेवा संवर्गों के अंतर्गत पूर्ववर्ती रोस्टर के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों को रोस्टर क्रमांक के सम्मुख प्रतिस्थापित करते हुए रोस्टर पंजिका तैयार की जायेगी।
2. राज्याधीन सेवा संवर्गों में पूर्ववर्ती रोस्टर को एकीकृत भर्ती पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जायेगा। पोर्टल पर पुराना रोस्टर अपलोड होने के उपरान्त सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इसका भली–भांति परीक्षण कर लिया जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसे ही ऑनलाइन एकीकृत भर्ती पोर्टल पर पुराने रोस्टर को फीज (Freeze) किया जायेगा तदोपरान्त ऑनलाइन एकीकृत भर्ती पोर्टल द्वारा रोस्टर नीति के परिशिष्ट–1 एवं परिशिष्ट–2 के अनुसार अनारक्षित/आरक्षित श्रेणियों हेतु ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण की रोस्टर पंजिका स्वतः तैयार हो जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नवीन रोस्टर का परीक्षण करते हुए सम्बन्धित पद का अधियाचन तैयार किया जायेगा और सक्षम स्तर से सम्बन्धित आयोगों को प्रेषित किया जायेगा।
3. उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2019 यथा संशोधित नियमावली, 2020 के उपबन्ध केवल सामान्य श्रेणी के पदों पर लागू होंगे।

(44)

4. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एकबार पुराने रोस्टर को फ्रीज (Freeze) करने के उपरान्त नवीन रोस्टर क्रियान्वित हो जाने पर उनके द्वारा पुनः पुराने रोस्टर पर किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तथापि यदि संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो तो नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के सचिव के माध्यम से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव से सकारण प्रस्ताव सहित इस आशय का अनुरोध किया जा सकेगा, तदोपरान्त ही कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा नोडल अधिकारी, ऑनलाइन एकीकृत भर्ती पोर्टल, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून को अनफ्रीज (Unfreeze) करने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जा सकेगा।

5. एकीकृत भर्ती पोर्टल पर सम्बन्धित विभाग के नामित नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में घटित होने वाली रिक्तियों को माह के प्रथम सप्ताह में अद्यतन किया जायेगा और इसकी सूचना संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी।

6. राज्याधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की गणना उक्त व्यवस्था लागू होने की तिथि से की जायेगी। इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा बल्कि रोस्टर क्रमांक के अनुसार घटित होने वाली रिक्तियों के अनुसार आरक्षण की गणना की जायेगी।

7. यदि, किसी भर्ती वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण बिना भरे रिक्त रह जाती है, तो सम्बन्धित भर्ती वर्ष की ऐसी रिक्ति अगले भर्ती वर्ष हेतु Backlog के रूप में अग्रेनीत नहीं की जायेगी और इस प्रकार की रिक्ति सामान्य श्रेणी के उपयुक्त अभ्यर्थी से भरी जायेगी।

8. यदि, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का कोई व्यक्ति, संदर्भित दिव्यांगजनों/पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोटा के सापेक्ष चयनित किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित रोस्टर क्रमांक के सापेक्ष रखा जायेगा।

9. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शुद्ध एवं परिणामी रिक्तियों की गणना करते हुए सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु अधियाचन संबंधित आयोग/चयन संस्था को प्रत्येक चयन वर्ष में 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाने की कार्यवाही कर ली जायेगी। इस प्रकार प्रत्येक चयन वर्ष में रिक्तियों को भरे जाने की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी/सम्बन्धित आयोग/चयन संस्था द्वारा सुनिश्चित करा ली जायेगी।

10. उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत दिव्यांगजन, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित तथा भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों के आधार पर क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है। यदि किसी चयन में रिक्तियों की संख्या के आधार पर उक्त श्रेणियों हेतु निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के आधार पर रिक्ति उपलब्ध होती हो, किन्तु उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में सम्बन्धित आयोग/चयन संस्था द्वारा रिक्ति को बैकलॉग के रूप में अग्रेनीत किया जा सकेगा;

परन्तु जहाँ क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी में केवल पद आधारित रोस्टर के अनुसार चयन की कार्यवाही की जानी हो, ऐसे चयनों में उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उसी वर्ग के सामान्य श्रेणी से चयन की कार्यवाही करा ली जायेगी।

11. दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण उन्हीं सेवा संवर्गों में अनुमन्य होगा, जिन विभागों एवं संवर्गों हेतु समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–196/xvii-2/2011-29(स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च, 2011 तथा समय–समय पर निर्धारित होने वाले वर्गीकरण के अनुसार किया गया हो। दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 का अनुपालन करते हुए इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt.(SCT) dated 02.05.1985 एवं O.M. No. 36034/6/90-Estt.(SCT) dated 02.04.1992 के क्रम में भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-

serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease.

The ex-serviceman candidates who have already secured employment under the State Govt, in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs.

13. राज्याधीन सेवाओं में ऑनलाइन एकीकृत भर्ती पोर्टल के माध्यम से प्रेषित अधियाचनों में चयन संस्था यथा–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड आदि द्वारा कराये जाने वाले चयनों की संस्तुति, प्रवीणता सूची के साथ ही रोस्टर क्रमांक की सूची भी सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक रोस्टर क्रमांक के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थी की (ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण) श्रेणी एवं उपश्रेणी स्पष्ट अंकित की गयी हो, ऑनलाइन एकीकृत भर्ती पोर्टल पर अपलोड की जानी आवश्यक होगी।
14. सम्बन्धित विभागों द्वारा संस्तुतियां/आवंटन प्राप्त होने के एक माह के अन्दर नियुक्ति आदेश जारी किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा अभ्यर्थी को प्रथमतः कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकतम एक माह का समय प्रदान किया जाय, जिसे अपरिहार्य परिस्थितियों में एक माह तक और बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।
15. निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करते हुए, घटित रिक्तियों को आगामी चयन वर्ष हेतु अग्रेनीत कर दिया जाय।
16. चयन सूची का उपयोग उसी चयन वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध किया जाय, जिसके लिए अधियाचन भेजा गया हो/चयन किया गया हो।
17. एकल संवर्ग के पदों को छोड़कर समस्त सम्मिलित सेवाओं एवं अन्य चयनों में प्रतीक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जायेगा और न ही किसी प्रकार के रिशफलिंग की कार्यवाही की जायेगी।
18. राज्याधीन सेवाओं में पद आधारित रोस्टर नीति लागू होने के उपरान्त कतिपय विभागों द्वारा उनके नियन्त्रणाधीन सेवा संवर्गों में एकल पद पर रोस्टर लागू किये जाने के सम्बन्ध में पृच्छा की गई है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि शासनादेश संख्याः 87/XXX(2)/2006 दिनांक 21 जनवरी, 2006 में पूर्व निर्धारित व्यवस्था, यदि किसी संवर्ग या प्रक्रम में सिर्फ एक ही पद हो तो सीधी भर्ती के उस प्रक्रम पर एकल पद पर आरक्षण नहीं होगा को यथावत् रखा गया है;

परन्तु एकल पद पर सामान्य चयन के पश्चात् नियुक्त कार्मिकों को उनकी श्रेणी के अनुसार नई रोस्टर नीति के परिशिष्ट–3 में उनके नाम प्रतिस्थापित किये जा सकेंगे।
19. उपरोक्त के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत समस्त आदेशों/निर्देशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

उक्तानुसार दिशा–निर्देशों का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव।

संख्याः (1)XXX(2)/2021-53(01)2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त से कृपया अपने समस्त सम्बन्धित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :–

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

2. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वायत्तशासी और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर) इनमें किसी उत्तराखण्ड प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विद्यालय भी सम्मिलित हैं की सेवाओं और पदों में उपरोक्त दिशा-निर्देशों को लागू करने के अनुरोध सहित।
3. सचिव, नगर विकास/सचिव, आवास विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित संस्थाओं आदि में उपरोक्त दिशा-निर्देशों को लागू कराने के अनुरोध सहित।
4. राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, संबंधित संस्थान/निगम उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद/नगर महापालिका/नगरपालिका, टाउन एरिया, उत्तराखण्ड।
9. निबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
10. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
12. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
13. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
14. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
15. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
16. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन।
17. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
18. प्रभारी मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या: 124 /XXX(2)/2020-53(01)/2001

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2

देहरादून: दिनांक 22 मई, 2020

विषय :राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित रोस्टर नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या: 278/XXX(2)/2019-53(1)/2001 दिनांक 11 सितम्बर, 2019 द्वारा राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु रोस्टर नीति लागू की गई थी। उक्त शासनादेश को अधिक्रमित करते हुए शासनादेश संख्या 97/XXX(2)/2020-53(1)/2001 दिनांक 19 मार्च, 2020 द्वारा शासन के सम्यक विचारोपरान्त पूर्ववर्ती रोस्टर क्रमांक के अनुसार (अर्थात प्रथम पद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित) राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित (ऊर्ध्व एवं क्षैतिज) रोस्टर नीति का निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन के संबंध में संलग्न परिशिष्ट–1 (ऊर्ध्व आरक्षण), परिशिष्ट–2 (क्षैतिज आरक्षण) एवं परिशिष्ट–3 (मॉडल रोस्टर) के अनुसार रोस्टर निर्धारित करते हुए राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन हेतु निम्नवत् प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जायेगा :–

1. राज्याधीन सेवा संवर्गों के अंतर्गत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिशिष्ट–1 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों को रोस्टर क्रमांक के सम्मुख प्रतिस्थापित करते हुए रोस्टर पंजिका तैयार की जायेगी।
2. संवर्गीय रोस्टर गठित होने के पश्चात् परिशिष्ट–2 के अनुसार पृथक पृथक अनारक्षित/आरक्षित श्रेणियों हेतु क्षैतिज आरक्षण की गणना करते हुए रोस्टर पंजिका तैयार की जायेगी;

परन्तु उत्तराखण्ड राज्य में संचालित सैक्षिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2019 यथा संशोधन नियमावली, 2020 के उपबन्ध केवल सामान्य श्रेणी के पदों के सापेक्ष ही लागू होंगे।

3. नियुक्ति प्राधिकारी का दायित्व होगा कि प्रत्येक माह घटित होने वाली रिक्ति का कारण दर्शाते हुए रोस्टर पंजिका को अद्यतन किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जिसका दायित्व होगा कि प्रत्येक माह के प्रथम

Scanned with OKEN Scanner

सन्दर्भ में रोस्टर पंजिका को अद्यतन किया जाय एवं इसकी सूचना संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी। यदि संबंधित विभाग द्वारा सूचना प्रेषित नहीं करायी जाती है तो नोडल अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।

4. राज्याधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होने की तिथि से आरक्षण की गणना की जायेगी, इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा बल्कि रोस्टर क्रमांक के अनुसार घटित होने वाली रिक्तियों के अनुसार पद आधारित आरक्षण की गणना की जायेगी।

5. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शुद्ध एवं परिणामी रिक्तियों की गणना करते हुए सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु अधियाचन संबंधित आयोग को समयांतर्गत प्रेषित की जाने की कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान रोस्टर नीति के अनुसार सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत रिक्ति को रोटेट करते हुए अगले रोस्टर क्रमांक को भरे जाने की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।

6. क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत जिन श्रेणियों में चयन हेतु उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, ऐसे चयनों में दिव्यांगजन श्रेणी के रोस्टर क्रमांक को बैकलॉग हेतु रिक्त रखा जायेगा तथा शेष श्रेणियों में सम्बन्धित वर्ग के ही प्रवीणता क्रम से सामान्य चयन की कार्यवाही करा ली जायेगी।

7. दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण उन्हीं सेवा संवर्गों में अनुमन्य होगा, जो विभागों एवं संवर्गों हेतु समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–198/XVII–2/2011–29(सा०क०)/2003 दिनांक 25 मार्च, 2011 तथा समय–समय पर निर्धारित होने वाले वर्गीकरण के अनुसार किया गया हो। दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 का अनुपालन करते हुए कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–232 दिनांक 28 सितम्बर, 2018 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं दिशा–निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के सन्दर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt.(SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease." का प्राविधान राज्याधीन सेवाओं में लागू किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवा संवर्गों में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी।

9. राज्याधीन सेवाओं में परिशिष्ट–1, 2 एवं 3 के अनुसार पद आधारित रोस्टर निर्गत होने के उपरांत आरक्षण की गणना हेतु फैक्शन संबंधी शासनादेश संख्या–145, दिनांक 28 मई, 2018 को अवक्रमित समझा जाय।

10. सीधी भर्ती के किसी चयन में सेवा संवर्ग के अंतर्गत यदि आरक्षित रिक्तियों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक हो तो ऐसे चयन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001) की धारा 3 (4) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

11. राज्याधीन सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु रोस्टर प्रणाली को ऑन–लाइन किये जाने का प्रकरण कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के स्तर पर गतिमान है। अतः समस्त सचिव/विभागाध्यक्ष अपने–अपने नियन्त्रणाधीन सेवा संवर्गों में आरक्षित श्रेणी के बैकलॉग

Scanned with OKEN Scanner

74

आधारित रोस्टर अद्यतन कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें, ताकि [illegible] आधारित रोस्टर प्रणाली को ऑन-लाइन कराया जा सके।

उक्तानुसार दिशा-निर्देशों का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- (1)/XXX(2)/2020-53(01)2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त से कृपया अपने समस्त सम्बन्धित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :-

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर), इनमें किसी उत्तराखण्ड प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विद्यालय भी सम्मिलित हैं, की सेवाओं और पदों में उपरोक्त रोस्टर को लागू करने के अनुरोध सहित।
3. सचिव, नगर विकास/सचिव, आवास विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित संस्थाओं आदि में उपरोक्त रोस्टर लागू कराने के अनुरोध सहित।
4. राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, संबंधित संस्थान/निगम उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद/नगर महापालिका/नगरपालिका, टाउन एरिया, उत्तराखण्ड।
9. निबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
10. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
12. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
13. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
14. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
15. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन।
16. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-1

शासनादेश संख्या:\२५ /XXX(2)/2020-53(01)2001 दिनांक-२२-मई, 2020 का संलग्नक।

राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति 19%, अन्य पिछड़ा वर्ग 14%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10% तथा अनुसूचित जनजाति 4% निर्धारित कर्ध्व आरक्षण के सापेक्ष रोस्टर आधारित पदों की गणना।

पद	पद की श्रेणी	अनुसूचित जाति 19%	अन्य पिछड़ा वर्ग 14%	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%	अनुसूचित जनजाति 4%
1	अनुसूचित जाति	0.19	0.14	0.10	0.04
2	अनारक्षित	0.38	0.28	0.20	0.08
3	अनारक्षित	0.57	0.42	0.30	0.12
4	अनारक्षित	0.76	0.56	0.40	0.16
5	अनारक्षित	0.95	0.70	0.50	0.20
6	अनुसूचित जाति	1.14	0.84	0.60	0.24
7	अन्य पिछड़ा वर्ग	1.33	0.98	0.70	0.28
8	अनारक्षित	1.52	1.12	0.80	0.32
9	अनारक्षित	1.71	1.26	0.90	0.36
10	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1.90	1.40	1.00	0.40
11	अनुसूचित जाति	2.09	1.54	1.10	0.44
12	अनारक्षित	2.28	1.68	1.20	0.48
13	अनारक्षित	2.47	1.82	1.30	0.52
14	अन्य पिछड़ा वर्ग	2.66	1.96	1.40	0.56
15	अनारक्षित	2.85	2.10	1.50	0.60
16	अनुसूचित जाति	3.04	2.24	1.60	0.64
17	अनारक्षित	3.23	2.38	1.70	0.68
18	अनारक्षित	3.42	2.52	1.80	0.72
19	अन्य पिछड़ा वर्ग	3.61	2.66	1.90	0.76
20	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	3.80	2.80	2.00	0.80
21	अनुसूचित जाति	3.99	2.94	2.10	0.84
22	अनारक्षित	4.18	3.08	2.20	0.88
23	अनारक्षित	4.37	3.22	2.30	0.92
24	अनुसूचित जनजाति	4.56	3.36	2.40	0.96
25	अनारक्षित	4.75	3.50	2.50	1.00
26	अनुसूचित जाति	4.94	3.64	2.60	1.04
27	अनारक्षित	5.13	3.78	2.70	1.08
28	अन्य पिछड़ा वर्ग	5.32	3.92	2.80	1.12
29	अनारक्षित	5.51	4.06	2.90	1.16
30	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	5.70	4.20	3.00	1.20
31	अनुसूचित जाति	5.89	4.34	3.10	1.24
32	अनारक्षित	6.08	4.48	3.20	1.28
33	अनारक्षित	6.27	4.62	3.30	1.32
34	अनारक्षित	6.46	4.76	3.40	1.36

35	अन्य पिछड़ा वर्ग	6.55	4.90	1.30	1.40
36	अनुसूचित जाति	6.84	5.04	1.60	1.44
37	अनारक्षित	7.03	5.18	1.70	1.48
38	अनारक्षित	7.22	5.32	1.80	1.52
39	अनारक्षित	7.41	5.46	1.90	1.56
40	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	7.60	5.60	4.00	1.60
41	अनुसूचित जाति	7.79	5.74	4.10	1.64
42	अन्य पिछड़ा वर्ग	7.98	5.88	4.20	1.68
43	अनारक्षित	8.17	6.02	4.30	1.72
44	अनारक्षित	8.36	6.16	4.40	1.76
45	अनारक्षित	8.55	6.30	4.50	1.80
46	अनुसूचित जाति	8.74	6.44	4.60	1.84
47	अनारक्षित	8.93	6.58	4.70	1.88
48	अनुसूचित जन जाति	9.12	6.72	4.80	1.92
49	अन्य पिछड़ा वर्ग	9.31	6.86	4.90	1.96
50	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	9.50	7.00	5.00	2.00
51	अनुसूचित जाति	9.69	7.14	5.10	2.04
52	अनारक्षित	9.88	7.28	5.20	2.08
53	अनारक्षित	10.07	7.42	5.30	2.12
54	अन्य पिछड़ा वर्ग	10.26	7.56	5.40	2.16
55	अनारक्षित	10.45	7.70	5.50	2.20
56	अनुसूचित जाति	10.64	7.84	5.60	2.24
57	अनारक्षित	10.83	7.98	5.70	2.28
58	अनारक्षित	11.02	8.12	5.80	2.32
59	अनारक्षित	11.21	8.26	5.90	2.36
60	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	11.40	8.40	6.00	2.40
61	अनुसूचित जाति	11.59	8.54	6.10	2.44
62	अनारक्षित	11.78	8.68	6.20	2.48
63	अन्य पिछड़ा वर्ग	11.97	8.82	6.30	2.52
64	अनारक्षित	12.16	8.96	6.40	2.56
65	अनारक्षित	12.35	9.10	6.50	2.60
66	अनुसूचित जाति	12.54	9.24	6.60	2.64
67	अनारक्षित	12.73	9.38	6.70	2.68
68	अनारक्षित	12.92	9.52	6.80	2.72
69	अन्य पिछड़ा वर्ग	13.11	9.66	6.90	2.76
70	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	13.30	9.80	7.00	2.80
71	अनुसूचित जाति	13.49	9.94	7.10	2.84
72	अनुसूचित जनजाति	13.68	10.08	7.20	2.88
73	अनारक्षित	13.87	10.22	7.30	2.92
74	अनारक्षित	14.06	10.36	7.40	2.96
75	अनारक्षित	14.25	10.50	7.50	3.00
76	अनुसूचित जाति	14.44	10.64	7.60	3.04
77	अन्य पिछड़ा वर्ग	14.63	10.78	7.70	3.08
78	अनारक्षित	14.82	10.92	7.80	3.12

79	अनारक्षित	15.01	11.06	7.90	3.16
80	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	15.20	11.20	8.00	3.20
81	अनुसूचित जाति	15.39	11.34	8.10	3.24
82	अनारक्षित	15.58	11.48	8.20	3.28
83	अनारक्षित	15.77	11.62	8.30	3.32
84	अन्य पिछड़ा वर्ग	15.96	11.76	8.40	3.36
85	अनारक्षित	16.15	11.90	8.50	3.40
86	अनुसूचित जाति	16.34	12.04	8.60	3.44
87	अनारक्षित	16.53	12.18	8.70	3.48
88	अनारक्षित	16.72	12.32	8.80	3.52
89	अनारक्षित	16.91	12.46	8.90	3.56
90	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	17.10	12.60	9.00	3.60
91	अन्य पिछड़ा वर्ग	17.29	12.74	9.10	3.64
92	अनारक्षित	17.48	12.88	9.20	3.68
93	अनुसूचित जाति	17.67	13.02	9.30	3.72
94	अनारक्षित	17.86	13.16	9.40	3.76
95	अनारक्षित	18.05	13.30	9.50	3.80
96	अनुसूचित जनजाति	18.24	13.44	9.60	3.84
97	अनारक्षित	18.43	13.58	9.70	3.88
98	अन्य पिछड़ा वर्ग	18.62	13.72	9.80	3.92
99	अनारक्षित	18.81	13.86	9.90	3.96
100	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	19.00	14.00	10.00	4.00

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

परिशिष्ट-2

राज्याधीन सेवाओं में सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु परिशिष्ट-1 के अनुसार प्रत्येक श्रेणी हेतु आगणित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण की गणना।

पद	पद की श्रेणी	उत्तराखण्ड महिला 30%	पूर्व सैनिक 5%	दिव्यांगजन 4%	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 5%
1	अनारक्षित	0.30	0.05	0.04	0.02	0.05
2	अनारक्षित	0.60	0.10	0.08	0.04	0.10
3	अनारक्षित	0.90	0.15	0.12	0.06	0.15
4	उत्तराखण्ड महिला	1.20	0.20	0.16	0.08	0.20
5	अनारक्षित	1.50	0.25	0.20	0.10	0.25
6	अनारक्षित	1.80	0.30	0.24	0.12	0.30
7	उत्तराखण्ड महिला	2.10	0.35	0.28	0.14	0.35
8	अनारक्षित	2.40	0.40	0.32	0.16	0.40
9	अनारक्षित	2.70	0.45	0.36	0.18	0.45
10	उत्तराखण्ड महिला	3.00	0.50	0.40	0.20	0.50
11	अनारक्षित	3.30	0.55	0.44	0.22	0.55
12	अनारक्षित	3.60	0.60	0.48	0.24	0.60
13	अनारक्षित	3.90	0.65	0.52	0.26	0.65
14	उत्तराखण्ड महिला	4.20	0.70	0.56	0.28	0.70
15	अनारक्षित	4.50	0.75	0.60	0.30	0.75
16	अनारक्षित	4.80	0.80	0.64	0.32	0.80
17	उत्तराखण्ड महिला	5.10	0.85	0.68	0.34	0.85
18	अनारक्षित	5.40	0.90	0.72	0.36	0.90
19	अनारक्षित	5.70	0.95	0.76	0.38	0.95
20	उत्तराखण्ड महिला	6.00	1.00	0.80	0.40	1.00
21	भूतपूर्व सैनिक	6.30	1.05	0.84	0.42	1.05
22	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे*	6.60	1.10	0.88	0.44	1.10
23	अनारक्षित	6.90	1.15	0.92	0.46	1.15
24	उत्तराखण्ड महिला	7.20	1.20	0.96	0.48	1.20
25	दिव्यांगजन	7.50	1.25	1.00	0.50	1.25
26	अनारक्षित	7.80	1.30	1.04	0.52	1.30
27	उत्तराखण्ड महिला	8.10	1.35	1.08	0.54	1.35
28	अनारक्षित	8.40	1.40	1.12	0.56	1.40
29	अनारक्षित	8.70	1.45	1.16	0.58	1.45
30	उत्तराखण्ड महिला	9.00	1.50	1.20	0.60	1.50
31	अनारक्षित	9.30	1.55	1.24	0.62	1.55
32	अनारक्षित	9.60	1.60	1.28	0.64	1.60
33	अनारक्षित	9.90	1.65	1.32	0.66	1.65
34	उत्तराखण्ड महिला	10.20	1.70	1.36	0.68	1.70

Scanned with OKEN Scanner

35	अनारक्षित	10.50	1.75	1.40	0.70	1.75
36	अनारक्षित	10.80	1.80	1.44	0.72	1.80
37	उत्तराखण्ड महिला	11.10	1.85	1.48	0.74	1.85
38	अनारक्षित	11.40	1.90	1.52	0.76	1.90
39	भूतपूर्व सैनिक	11.70	1.95	1.56	0.78	1.95
40	उत्तराखण्ड महिला	12.00	2.00	1.60	0.80	2.00
41	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे*	12.30	2.05	1.64	0.82	2.05
42	अनारक्षित	12.60	2.10	1.68	0.84	2.10
43	अनारक्षित	12.90	2.15	1.72	0.86	2.15
44	उत्तराखण्ड महिला	13.20	2.20	1.76	0.88	2.20
45	अनारक्षित	13.50	2.25	1.80	0.90	2.25
46	अनारक्षित	13.80	2.30	1.84	0.92	2.30
47	उत्तराखण्ड महिला	14.10	2.35	1.88	0.94	2.35
48	अनारक्षित	14.40	2.40	1.92	0.96	2.40
49	दिव्यांगजन	14.70	2.45	1.96	0.98	2.45
50	उत्तराखण्ड महिला	15.00	2.50	2.00	1.00	2.50
51	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	15.30	2.55	2.04	1.02	2.55
52	अनारक्षित	15.60	2.60	2.08	1.04	2.60
53	अनारक्षित	15.90	2.65	2.12	1.06	2.65
54	उत्तराखण्ड महिला	16.20	2.70	2.16	1.08	2.70
55	अनारक्षित	16.50	2.75	2.20	1.10	2.75
56	अनारक्षित	16.80	2.80	2.24	1.12	2.80
57	उत्तराखण्ड महिला	17.10	2.85	2.28	1.14	2.85
58	अनारक्षित	17.40	2.90	2.32	1.16	2.90
59	अनारक्षित	17.70	2.95	2.36	1.18	2.95
60	उत्तराखण्ड महिला	18.00	3.00	2.40	1.20	3.00
61	भूतपूर्व सैनिक	18.30	3.05	2.44	1.22	3.05
62	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे*	18.60	3.10	2.48	1.24	3.10
63	अनारक्षित	18.90	3.15	2.52	1.26	3.15
64	उत्तराखण्ड महिला	19.20	3.20	2.56	1.28	3.20
65	अनारक्षित	19.50	3.25	2.60	1.30	3.25
66	अनारक्षित	19.80	3.30	2.64	1.32	3.30
67	उत्तराखण्ड महिला	20.10	3.35	2.68	1.34	3.35
68	अनारक्षित	20.40	3.40	2.72	1.36	3.40
69	अनारक्षित	20.70	3.45	2.76	1.38	3.45
70	उत्तराखण्ड महिला	21.00	3.50	2.80	1.40	3.50
71	अनारक्षित	21.30	3.55	2.84	1.42	3.55
72	अनारक्षित	21.60	3.60	2.88	1.44	3.60
73	अनारक्षित	21.90	3.65	2.92	1.46	3.65
74	उत्तराखण्ड महिला	22.20	3.70	2.96	1.48	3.70
75	दिव्यांगजन	22.50	3.75	3.00	1.50	3.75
76	अनारक्षित	22.80	3.80	3.04	1.52	3.80
77	उत्तराखण्ड महिला	23.10	3.85	3.08	1.54	3.85
78	अनारक्षित	23.40	3.90	3.12	1.56	3.90

Scanned with OKEN Scanner

79	भूतपूर्व सैनिक					
80	उत्तराखण्ड महिला	23.70	3.95	3.16	1.58	3.95
81	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे*	24.00	4.00	3.20	1.60	4.00
82	अनारक्षित	24.30	4.05	3.24	1.62	4.05
83	अनारक्षित	24.60	4.10	3.28	1.64	4.10
84	उत्तराखण्ड महिला	24.90	4.15	3.32	1.66	4.15
85	अनारक्षित	25.20	4.20	3.36	1.68	4.20
86	अनारक्षित	25.50	4.25	3.40	1.70	4.25
87	उत्तराखण्ड महिला	25.80	4.30	3.44	1.72	4.30
88	अनारक्षित	26.10	4.35	3.48	1.74	4.35
89	अनारक्षित	26.40	4.40	3.52	1.76	4.40
90	उत्तराखण्ड महिला	26.70	4.45	3.56	1.78	4.45
91	अनारक्षित	27.00	4.50	3.60	1.80	4.50
92	अनारक्षित	27.30	4.55	3.64	1.82	4.55
93	अनारक्षित	27.60	4.60	3.68	1.84	4.60
94	उत्तराखण्ड महिला	27.90	4.65	3.72	1.86	4.65
95	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे*	28.20	4.70	3.76	1.88	4.70
96	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	28.50	4.75	3.80	1.90	4.75
97	उत्तराखण्ड महिला	28.80	4.80	3.84	1.92	4.80
98	दिव्यांगजन	29.10	4.85	3.88	1.94	4.85
99	भूतपूर्व सैनिक	29.40	4.90	3.92	1.96	4.90
100	उत्तराखण्ड महिला	29.70	4.95	3.96	1.98	4.95
		30.00	5.00	4.00	2.00	5.00

* उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

शासनादेश संख्या: XXX(2)2020-53(01)2001 दिनांक मई, 2020 का संलग्नक।

मॉडल रोस्टर

परिशिष्ट–3

	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	13th	14th	15th	16th	17th	18th	19th	20th	21st	22nd	23rd	24th
1	SC	UR	UR	UR	UR	SC	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST
2	UR	UR	UR	UR	SC	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST	
3	UR	UR	UR	SC	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST		
4	UR	UR	SC	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST			
5	UR	SC	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST				
6	SC	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST					
7	OBC	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST						
8	UR	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST							
9	UR	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST								
10	EWS	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST									
11	SC	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST										
12	UR	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST											
13	UR	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST												
14	OBC	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST													
15	UR	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST														
16	SC	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST															
17	UR	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST																
18	UR	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST																	
19	OBC	EWS	SC	UR	UR	ST																		
20	EWS	SC	UR	UR	ST																			
21	SC	UR	UR	ST																				
22	UR	UR	ST																					
23	UR	ST																						
24	ST																							

Scanned with OKEN Scanner

XXX(2)/2019-53(01)2001

राधा रतूड़ी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव प्रभारी
उत्तराखण्ड शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।
(3) मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल,
(4) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 22 फरवरी, 2019

विषय–सीधी भर्ती में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर।

महोदय,

उत्तराखण्ड में आरक्षण नीति लागू करने विषयक शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001 तथा विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05 फरवरी, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए 19 प्रतिशत अनुसूचित जन–जाति के लिए 04 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 14 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

उपरोक्त आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश संख्या 1454/कार्मिक–2–2001 दिनांक 31 अगस्त, 2001 के क्रम में सीधी भर्ती में रोस्टर निम्नवत् तैयार किया गया है :–

(1) अनुसूचित जाति – 1
(2) अनारक्षित
(3) अनारक्षित
(4) अनारक्षित
(5) अनारक्षित
(6) अनुसूचित जाति – 2
(7) अन्य पिछड़ा वर्ग – 1
(8) अनारक्षित
(9) अनारक्षित
(10) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – 1
(11) अनुसूचित जाति – 2
(12) अनारक्षित

(14) अन्य पिछड़ा वर्ग
(15) अनारक्षित
(16) अनुसूचित जाति
(17) अनारक्षित
(18) अनारक्षित
(19) अन्य पिछड़ा वर्ग
(20) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
(21) अनुसूचित जाति
(22) अनारक्षित
(23) अनारक्षित
(24) अनुसूचित जनजाति
(25) अनारक्षित
(26) अनुसूचित जाति
(27) अनारक्षित
(28) अन्य पिछड़ा वर्ग
(29) अनारक्षित
(30) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
(31) अनुसूचित जाति
(32) अनारक्षित
(33) अनारक्षित
(34) अनारक्षित
(35) अन्य पिछड़ा वर्ग
(36) अनुसूचित जाति
(37) अनारक्षित
(38) अनारक्षित
(39) अनारक्षित
(40) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
(41) अनुसूचित जाति
(42) अन्य पिछड़ा वर्ग
(43) अनारक्षित
(44) अनारक्षित
(45) अनारक्षित
(46) अनुसूचित जाति
(47) अनारक्षित
(48) अनुसूचित जन जाति
(49) अन्य पिछड़ा वर्ग
(50) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
(51) अनुसूचित जाति
(52) अनारक्षित

(54) अन्य पिछड़ा वर्ग
(55) अनारक्षित
(56) अनुसूचित जाति
(57) अनारक्षित
(58) अनारक्षित
(59) अनारक्षित
(60) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
(61) अनुसूचित जाति
(62) अनारक्षित
(63) अन्य पिछड़ा वर्ग
(64) अनारक्षित
(65) अनारक्षित
(66) अनुसूचित जाति
(67) अनारक्षित
(68) अनारक्षित
(69) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
(70) अन्य पिछड़ा वर्ग
(71) अनुसूचित जाति
(72) अनुसूचित जनजाति
(73) अनारक्षित
(74) अनारक्षित
(75) अनारक्षित
(76) अनुसूचित जाति
(77) अन्य पिछड़ा वर्ग
(78) अनारक्षित
(79) अनारक्षित
(80) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
(81) अनुसूचित जाति
(82) अनारक्षित
(83) अनारक्षित
(84) अन्य पिछड़ा वर्ग
(85) अनारक्षित
(86) अनुसूचित जाति
(87) अनारक्षित
(88) अनारक्षित
(89) अनारक्षित
(90) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
(91) अन्य पिछड़ा वर्ग
(92) अनारक्षित

(94) अनारक्षित
(95) अनारक्षित
(96) अनुसूचित जनजाति
(97) अनारक्षित
(98) अन्य पिछड़ा वर्ग
(99) अनारक्षित
(100) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

3. अनुरोध है कि सीधी भर्ती के मामले में उपरोक्त रोस्टर को अनवरत रूप से लागू किया जायेगा।

भवदीय,
(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः (1)/XXX(2)/2019-53(01)2001 तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त से कृपया अपने समस्त सम्बन्धित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :-

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर) इनमें किसी उत्तराखण्ड प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विद्यालय भी सम्मिलित हैं, की सेवाओं और पदों में उपरोक्त रोस्टर को लागू करने के अनुरोध सहित।
3. सचिव, नगर विकास/सचिव, आवास विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित संस्थाओं आदि में उपरोक्त रोस्टर लागू कराने के अनुरोध सहित।
4. राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तराखण्ड।
6. समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद्/नगर महापालिका/नगरपालिका, टाउन एरिया, उत्तराखण्ड।
9. निबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
10. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।

संख्या: 87 /XXX (2)/2006

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून: दिनांक 21 जनवरी 2006

विषय– राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती/पदोन्नति में आरक्षण के लिए पद आधारित रोस्टर लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में अनुसूचित जाति को 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 04 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत तथा पदोन्नति में अनुसूचित जाति को 19 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति को 04 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य कराया गया है।

2. आरक्षण नीति को लागू करने के लिए शासनादेश संख्याः 1454/कार्मिक–2/2001 दि0 31 अगस्त 2001 शासनादेश संख्याः 1455 कार्मिक–2/2001 दिनांक 31 अगस्त 2001 द्वारा रोस्टर का निर्धारण किया गया है तथा शासनादेश संख्याः 1168/कार्मिक–2/2003 दिनांक 14 अगस्त 2003 एवं शासनादेश संख्याः 269/कार्मिक–2/2004 दिनांक 12 फरवरी 2004 द्वारा रोस्टर रजिस्टर तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1401/कार्मिक–2/2002 दिनांक 23 जून 2003 में भी कतिपय निर्देश दिये गये हैं।

3. कतिपय मामलों में परीक्षण के समय यह तथ्य संज्ञान में आये हैं कि रोस्टर का रजिस्टर संवर्ग में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर तैयार किया जा रहा है और उसी के अनुसार भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए रोस्टर की गणना की जा रही है। राज्याधीन सेवाओं में रोस्टर के निर्धारण के संबंध में आर0के0 सब्बरवाल व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में (लाइटेशन) में दिनांक 10.02.1995 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि सेवाओं में आरक्षण का रोस्टर प्रत्येक संवर्ग में पद आधारित होना चाहिए न कि रिक्ति आधारित। यह भी स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण कोटा जिस वर्ग हेतु जितना निर्धारित है, रोस्टर के द्वारा उसे पूर्ण करना चाहिए तथा उस वर्ग के लिए निर्धारित प्रतिशत से अधिक पद आरक्षित नहीं होने चाहिए। प्रत्येक आरक्षित वर्ग के लिए एक बार वांछित आरक्षण का प्रतिशत प्राप्त हो जाने पर रोस्टर का प्रयोग बन्द कर देना चाहिए। तदोपरान्त जिस वर्ग का व्यक्ति संवर्ग प्रकम से हटता है और स्थान रिक्त करता है उस वर्ग के व्यक्ति से, सीधी भर्ती/पदोन्नति जैसी भी स्थिति हो, पद भर लेना चाहिए। रोस्टर केवल विभिन्न वर्गों को उनके लिए आरक्षित कोटा भरने में मदद करने के लिए है न कि वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए।

4. शासनादेश संख्याः 1454/कार्मिक–2/2001 दि0 31 अगस्त 2001 व शासनादेश संख्याः 1455/कार्मिक–2/2001 दिनांक 31 अगस्त 2001 द्वारा सीधी भर्ती व पदोन्नति के लिए रोस्टर जारी किये गये हैं। इस रोस्टर का उपयोग आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत तक प्राप्त करने के लिए किया जायेगा। रोस्टर का उपयोग तब तक ही किया जायेगा जब तक आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत तक प्राप्त न हो। परन्तु यह भी ध्यान रखा जायेगा कि आरक्षित वर्गों का सकल प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

5. मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पद आधारित रोस्टर हेतु राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती/पदोन्नति में आरक्षण के लिए रोस्टर लागू किये जाने हेतु निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किये जा रहे हैं–

(क) सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए पृथक–पृथक रोस्टर होगा। रोस्टर गठित करने के दो आधारभूत सिद्धान्त है कि सम्बन्धित आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत तक हो तथा सकल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक न

हो। किसी वर्ग के लिए आरक्षण पूर्ण होने पर रोस्टर आगे नहीं चलाया जायेगा। परन्तु यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति ज्येष्ठताक्रम में आने पर अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध श्रेष्ठता/मैरिट के आधार पर पदोन्नत किया जाता है तो उसकी गणना अनारक्षित रिक्ति के सापेक्ष की जायेगा। परन्तु यदि अनारक्षित वर्ग के पद पर आरक्षित वर्ग के कार्मिक की पदोन्नति अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के सिद्धान्त से की गयी हो तो उसकी गणना आरक्षित वर्ग के पद के विरुद्ध की जायेगी।

(ख) संवर्गों में सभी पद, पद–आधारित रोस्टर के अनुरूप रखे जायेंगे। प्रारम्भिक स्तर पर इन पदों के लिए संबंधित वर्ग, जिसके लिए पद चिन्हांकित है, के अनुसार भर्ती की जायेगी तथा प्रारम्भिक रूप से भरे पदों का प्रतिस्थापन रोस्टर के अगले बिन्दु पर, जिस वर्ग के लिए पद चिन्हांकित है किया जायेगा। परन्तु यह ध्यान रखा जायेगा कि अगला बिन्दु जिस वर्ग के लिए चिन्हांकित है, उस वर्ग का यदि प्रतिनिधित्व पूरा हो चुका है तब अगले बिन्दु को छोड़ दिया जायेगा और उसके आगे का बिन्दु जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, उसके अनुसार भर्ती की जायेगी।

(ग) रोस्टर प्रारम्भ करते समय विभिन्न वर्गों का वास्तविक प्रतिनिधित्व संवर्ग प्रकम पर निर्धारित किया जायेगा। रोस्टर प्रारम्भ करते समय जिस वर्ग का व्यक्ति संवर्ग प्रकम पर है, उसे रोस्टर के संबंधित बिन्दु पर रोस्टर के प्रारम्भ की ओर से रखा जायेगा। रोस्टर प्रारम्भ करते समय संवर्ग प्रकम पर कार्यरत व्यक्तियों को रोस्टर बिन्दुओं पर रखने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कोइ व्यक्ति जो " श्रेष्ठता/मैरिट" के आधार पर सीधे भर्ती हुआ है, की गणना अनारक्षित वर्ग में की जायेगी।

(घ) उपरोक्तानुसार समायोजन करने के बाद विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व के प्रतिशत की गणना की जायेगी। इसके उपरान्त ही पता चल पायेगा कि किस संवर्ग (काडर) में किस वर्ग की संख्या कम है अथवा अधिक है। अगर किसी आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व उनके लिए निर्धारित प्रतिशत से अधिक है तो उसे भविष्य की भर्तियों में समायोजित किया जायेगा।

(च) सीधी भर्ती पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए किसी भर्ती वर्ष में रिक्तियों की वास्तविक संख्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पद आधारित रोस्टर में रिक्त रहे बिन्दुओं के बराबर होगी।

(छ) सामान्यतः किसी संवर्ग में पदों की संख्या निर्धारित होती है। ऐसे संवर्ग में रोस्टर तैयार करते समय संबंधित सेवा नियमों में उस पद पर की जाने वाली भर्ती के स्रोत को ध्यान में रखा जाय, उदाहरण के लिए– यदि किसी संवर्ग में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 200 है जिसमें सीधी भर्ती और पदोन्नति का कोटा 50–50 निर्धारित है, तो वहाँ सीधी भर्ती के लिए रोस्टर 100 पदों के लिए तथा पदोन्नति के लिए रोस्टर 100 पदों के लिए निर्धारित किया जायेगा।

(ज) विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण, रोस्टर द्वारा पूर्ण कर लेने के पश्चात् सेवानिवृत्ति या इस प्रकार से रिक्त होने वाले पदों पर जिस वर्ग के व्यक्ति द्वारा वह पद रिक्त किया गया है, उसी वर्ग के व्यक्ति से ही वह पद को भरा जायेगा, अर्थात् यदि अनारक्षित वर्ग के व्यक्ति द्वारा पद रिक्त किया गया है तो अनारक्षित वर्ग से व यदि आरक्षित वर्ग के व्यक्ति द्वारा पद रिक्त किया गया है तो सम्बन्धित आरक्षित वर्ग के व्यक्ति से ही पद भरा जायेगा। सभी संवर्गों में कार्यवाही (ख) के अनुसार की जायेगी।

(झ) किसी भी संवर्ग या प्रकम में सिर्फ एक ही पद हो तो सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति के उस प्रकम पर उस पद पर आरक्षण नहीं होगा। चक्रानुक्रम में भी आरक्षण नहीं किया जा सकेगा।

(ट) महिलाओं, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को क्षैतिज (horizontal) आरक्षण निर्धारित प्रतिशतों में अनुमन्य है। क्षैतिज आरक्षण के अनुसार महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए सामान्य व प्रत्येक आरक्षित वर्ग में पदों की संख्या की गणना की जानी चाहिए। विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण की सुविधा उनके लिए चिन्हित पदों के विरुद्ध चयन में ही अनुमन्य है।

(ठ) नियुक्ति/पदोन्नति के तत्काल बाद सम्बन्धित प्रविष्टि रोस्टर में अंकित की जायेगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी।

6— यह आदेश तुरन्त प्रभावी होंगे परन्तु जिन मामले में चयन प्रकिया पूर्ण हो चुकी हो वह अप्रभावित रहें और बाद में ऐसे मामलों में समायोजन कर लिया जायेगा।

7— अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न सेवा संवर्गों में रोस्टर रजिस्टर तैयार किये जाने के संबंध में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

sd

(नृप सिंह नपलच्याल)

प्रमुख सचिव।

संख्या– 118 /XVII-1/2013-01(19)/2013

प्रेषक,

एस॰ राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल।
4. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग–01,

देहरादून: दिनांक 12 फरवरी, 2013

विषय : राज्य में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) हेतु जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के लिए पात्रता निर्धारण की शर्तों के संबंध में आवश्यक निर्देश।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या–125/2011 अजय कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं अन्य तथा इस रिट याचिका से सम्बद्ध 12 अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 17 अगस्त, 2012 के अनुसार निम्न निर्देश दिए जाते हैं–

1. अनुसूचित जाति (SC) हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की अनुसूची–5 तथा अनुसूचित जनजाति (ST) हेतु इस अधिनियम की अनुसूची–6 में विनिर्दिष्ट जातियों के व्यक्तियों को ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा (सूची संलग्नक–1 पर दर्शित है)।

2. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत 23 मार्च,1994 तथा उसके पश्चात् निर्गत अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट पिछड़ी जातियों/वर्गों के व्यक्तियों को ही अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाएगा (सूची संलग्नक–2 पर दर्शित है)।

3. अविभाजित उत्तर प्रदेश के SC, ST तथा OBC के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र तभी निर्गत किया जाएगा, जब वे 09 नवम्बर, 2000 या उससे पूर्व उत्तराखण्ड राज्य के किसी भाग के स्थायी निवासी (Permanent Resident) हों।

4. स्थायी निवासी (Permanent Resident) की परिभाषा तथा उसके निर्धारण के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिए जाते हैं–

(i) स्थायी निवासी (Permanent Resident) की परिभाषा वही होगी, जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–2588/एक–4/सा.प्र./2001, दिनांक

पृष्ठ–2 पर

20 नवम्बर, 2001 से दी गई है। इस शासनादेश में स्थायी निवास से सम्बन्धित व्यवस्था जो जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु प्रासंगिक है, निम्न प्रकार है-

(a) व्यक्ति भारत का नागरिक हो, तथा

(b) व्यक्ति का उत्तराखण्ड में 'स्थायी आवास' (Permanent Home) हो। 'स्थायी आवास' (Permanent Home) का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है, जो उत्तराखण्ड में पैतृक रूप से रह रहे हों अथवा जिनका उत्तराखण्ड में पैतृक आवास हो, भले ही वे अपनी आजीविका आदि के कारण प्रदेश के बाहर निवास कर रहा हो।

अथवा

व्यक्ति उत्तराखण्ड में न्यूनतम 15 वर्ष से निवास कर रहा हो।

(ii) 'स्थायी निवासी' में ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित होगा, जिसका जन्म उत्तराखण्ड में 09 नवम्बर, 2000 या उससे पूर्व हुआ हो तथा वह अथवा उसके माता-पिता उक्त प्रस्तर-4(i) की शर्त पूरी करते हों।

(iii) 'स्थायी निवासी' में ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित होगा, जिसका जन्म उत्तराखण्ड में 09 नवम्बर, 2000 के बाद हुआ हो और उसके माता-पिता उक्त प्रस्तर-4(i) की शर्त पूरी करते हों।

(iv) 'स्थायी निवासी' में ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित होगा, जिसकी सेवाएं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य को स्थायी रूप से आवंटित की गई हों।

(v) 'स्थायी निवासी' में ऐसी पत्नी भी सम्मिलित होगी, जो उत्तराखण्ड के 'स्थायी निवासी' से शादी करने के उपरान्त अपने पति के साथ उत्तराखण्ड में रहती हो।

(vi) 'स्थायी निवासी' में ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के किसी भाग से उत्तराखण्ड में Migrate होकर उत्तराखण्ड में रह रहा हो और वह प्रस्तर-4 की (i) से (v) तक की किसी भी शर्त को पूरा करता हो।

(vii) जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की दृष्टि से 'स्थायी निवास' (Permanent Resident) ही प्रासंगिक है। निवास के सम्बन्ध में अन्य शब्दों जैसे 'निवास करता है' (Resides), 'निवास' (Residence), 'सामान्यतया निवास करता है' (Ordinarily Resides), 'सदभावी निवासी' (Domicile) तथा 'मूल निवासी' (Original Resident) को विचार और उपयोग में नहीं लिया जाये।

5. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की दशा में यदि किसी जाति/समुदाय को 09 नवम्बर, 2000 के पश्चात् OBC श्रेणी में सम्मिलित किए जाने हेतु अधिसूचना निर्गत हुई है, तो जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु प्रस्तर-4 के अनुसार अधिसूचना की तिथि को वह राज्य का 'स्थायी निवासी' हो।

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने से पूर्व स्थायी निवास प्रमाण-पत्र या अन्य कोई प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

7. जाति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करते समय आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र दिया जायेगा कि उसके द्वारा तथा अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा किसी अन्य राज्य से जाति प्रमाण-पत्र नहीं लिया गया है और न ही वे भविष्य में अन्य राज्य से जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे तथा वह अथवा उसका परिवार किसी अन्य राज्य में उक्त जाति को अनुसन्य लाभ नहीं ले रहा है।

पृष्ठ - 3 पर

8. इस शासनादेश में की गयी व्यवस्थायें अविभाजित उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में ही लागू होगी, अर्थात यह शासनादेश अविभाजित उत्तर प्रदेश से वर्तमान में उत्तराखण्ड में बस गये व्यक्तियों पर ही लागू होगा।

9. किसी व्यक्ति के कॉडर स्थानान्तरण होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड के लिए आवंटित होने पर उसे उत्तराखण्ड में उसी दशा में संबंधित अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा जब वह व्यक्ति उक्त जाति का लाभ उत्तर प्रदेश में पूर्व से प्राप्त कर रहा हो तथा उत्तराखण्ड में उक्त जाति अधिसूचित हो।

10. पूर्व में उत्तराखण्ड शासन के विभिन्न विभागों द्वारा निर्गत किए गए समस्त शासनादेश/परिपत्र/अधिसूचना आदि में इस शासनादेश में की गई व्यवस्थाओं से असंगत व्यवस्थाएं अतिक्रमित हो जाएगी।

11. यह शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

12. इस शासनादेश के सभी प्राविधान मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में दाखिल स्पेशल अपील संख्या-296/2012 त्रिवेन्द्र सिंह पंवार बनाम राज्य व अन्य तथा स्पेशल अपील संख्या-420/2012 रवीन्द्र जुगरान बनाम राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

संख्या:- 1118 (1)/XVII-1/2013-01(20)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव-मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

संलग्न सूची-1

THE [illegible] SCHEDULE

(See Section 31)

…ENT OF THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER, 1950

…ification Scheduled Castes Order, 1950,—

… in paragraph 2, for the figures "XXIII" the figures "XXIV" shall be substituted;

… in the Schedule, after Part XXIII, the following shall be inserted, namely:—

"PART XXIV—Uttaranchal

1. Agariya
2. Badhik
3. Badi
4. Baheliya
5. Baiga
6. Baiswar
7. Bajaniya
8. Bajgi
9. Balhar
10. Balai
11. Balmiki
12. Bangali
13. Banmanus
14. Bansphor
15. Barwar
16. Basor
17. Bawariya
18. Beldar
19. Beriya
20. Bhantu
21. Bhuiya
22. Bhuiyar
23. Boriya
24. Chamar, Dhusia, Jhusia, Jatava
25. Chero
26. Dabgar
27. Dhangar
28. Dhanuk
29. Dharkar
30. Dhobi
31. Dom
32. Domar
33. Dusadh
34. Dharmi
35. Dhariya
36. Gond
37. Gwal
38. Habura
39. Hari
40. Hela
41. Kalabaz
42. Kanjar
43. Kapariya
44. Karwal
45. Kharaita
46. Kharwar (excluding Vanwasi)

47. Khatik
48. Kharot
49. Kol
50. Kori
51. Korwa
52. Lalbegi
53. Majhwar
54. Mazhabi
55. Musahar
56. Nat
57. Pankha
58. Parahiya
59. Pasi, Tarmali
60. Patari
61. Sahariya
62. Sanaurhiya
63. Sansiya
64. Shilpkar
65. Turaiha."

THE SIXTH SCHEDULE

(See Section 23)

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER, 1950

In the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950,—

(i) in paragraph 2, for the figures "XX", the figures "XXI" shall be substituted;

(ii) in the Schedule, after Part XX, the following Part shall be inserted, namely:—

"PART XXI—Uttarakhand

1. Bhotia.
2. Buksa.
3. Jaunsari.
4. Raji.
5. Tharu."

THE SEVENTH SCHEDULE

(See Section 47)

LIST OF FUNDS

1. Depreciation Reserve Fund—Irrigation.
2. Depreciation Reserve Fund—Government Press.
3. Depreciation Reserve Fund—Precision Instrument Factory.

उत्तराखण्ड [illegible] सेवा [illegible] अनुसूचित जातियों [illegible] अनुसूचित जनजातियों [illegible] अधिनियम [illegible] अनुसूची [illegible] के [illegible] प्रतिनिधि [illegible] अर्हताएं / शर्तें [illegible] अधिसूचना [illegible] दिनांक [illegible] द्वारा पुनरीक्षित अनुसूची

अनुसूची – 1
(देखिए धारा [illegible])

क्रमांक	मूल जाति	उप-जाति
1	2	3
1	अहीर	अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय
2	अरख	अरख, अर्कवंशीय
3	काछी	काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य
4	कहार	कहार, कश्यप
5	केवट या मल्लाह	केवट या मल्लाह, निषाद
6	किसान	
7	कोइरी	
8	कुम्हार	कुम्हार, प्रजापति
9	कुर्मी	कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल
	कुर्मी–सैंथवार	
10	कम्बोज	
11	कसगर	
12	कुजड़ा या राईन	
13	गोसाई	
14	गूजर	
15	गड़ेरिया	गड़ेरिया, पाल, बघेल
16	गद्दी	गद्दी, घोसी
17	गिरि	
18	चिकवा (कस्साब)	चिकवा, कस्साब, कुरैशी, चक
19	छीपी	छीपी, छीपा
20	जोगी	
21	झोजा	
22	दफाली	
23	तमोली	तमोली, बरई, चौरसिया
24	तेली	तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रौनियार, गंधी, अर्राक
25	दर्जी	दर्जी, इदरीसी, काकुत्स्थ

क्रमांक	मूल जाति	उपजाति
1	2	3
26.	धीवर	
27.	नक्काल	
28.	नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हों)	
29.	नायक	
30.	फकीर	
31.	बंजारा	बंजारा, रंकी, मुकेरी और मुकेरानी
32.	बढ़ई	बढ़ई, सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रामगढ़िया, जांगिड़, धीमान
33.	बारी	
34.	बैरागी	
35.	बिन्द	
36.	बियार	
37.	भर	भर, राजभर
38.	भुर्जी या भड़भूजा	भुर्जी या भड़भूजा, भूज, कांदू, कशौधन
39.	भठियारा	
40.	माली, सैनी	
41.	मनिहार	मनिहार, कचेर, लखेरा
42.	मुराव या मुराई	मुराव या मुराई, मौर्य
43.	मोमिन (अंसार)	
44.	मिरासी	
45.	मुस्लिम कायस्थ	
46.	नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी	नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कढ़ेरे, करन (कर्ण)
47.	मारछा	
48.	रंगरेज	रंगरेज, रंगवा
49.	लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी-राजपूत	
50.	लोहार	लोहार, सैफी
51.	लोनिया	लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर, लोनिया-चौहान
52.	सोनार	सोनार, सुनार, स्वर्णकार

		पर्यायवाची
53. मीणा (जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित न हों)		मीणा (जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित न हों)
54. हलवाई		हलवाई, मोदनवाल
55. हज्जाम (नाई)		हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास
56. राय सिक्ख		
57. तमोली–बरई, सिनी–अग्रहारी		

58. धोबी (जो अनुसूचित जातियों/जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं)

59. कसेरा/ठठेरा, ताम्रकार

60. नागमई

61. पीर शिकार

62. मैमा सरदारी (पिच्छी) पैरामी

63. मेव, मेवाती

64. कोष्टा/कोष्टी

65. रोड़

66. खुमरा, संगतराश, हंसीरी

67. मोची

68. खागी

69. तंवर सिंघाड़िया

70. कन्डुआ

71. गाड़ीगीर

72. दांगी

73. धाकड़

74. गढ़ा

75. बंदवा

76. जोरिया

77. पटवा, पटहारा, पटेहारा, देववंशी

S. [illegible]

संलग्न सूची-1

क्र0सं0	मूल जाति	उपजाति
1	2	3
78.	जाट	
79.	कलाल, कलवार, कलार	
80.	कुमैया बोरा (जनपद– पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर)	
81.	धुना बाढ़ती/ग्राहम	
82.	गोरखा समुदाय	
83.	रंवाल्टा/जौनपुरी समुदाय	
84.	महर/गूजर महरा (जनपद– उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकासखण्ड में निवासरत)	

--000--

संख्या: 423 /XXX(2)/2019-30(1)/2019

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 29 अप्रैल, 2019

विषय: राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण हेतु आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र।

महोदय,

राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रकम पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2019 में की गयी है। अधिनियम की धारा 7 में यह प्राविधानित है कि आरक्षण के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का प्रमाण-पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायेगा।

2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 2019 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार, जिसके क्षेत्र में सम्बन्धित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा वहाँ उसका जन्म हुआ हो, द्वारा सभी वाँछित औपचारिकतायें पूर्ण कराकर निर्धारित प्रपत्र में अपने हस्ताक्षर से जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी होंगे।

3. उक्त अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र के प्रयोजन से परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों/शहरों में अर्जित भूमि और सम्पत्ति को संयोजित (Club) करते हुए सम्यक परीक्षणोपरान्त आवेदक को आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप पर) निर्गत किये जायेंगे।

4. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए सेवा नियमों के अनुसार, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के साथ-साथ आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र का भी सत्यापन कराये जाने तक अभ्यर्थी की नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) रखी जायेगी। यदि आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थी का प्रमाण-पत्र जाली/गलत पाया जाता है, तो ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र सम्बन्धित पद के विज्ञापन में आवेदन की अन्तिम तिथि तक निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

6. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ विभागों के अन्तर्गत अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करायें। जनपद के प्रत्येक जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार उक्त नीति के अनुसार इस प्रकार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित व्यक्तियों को आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में तथा अनुसूचित आरक्षण की व्यवस्था को लागू किये जाने में कोई असुविधा न हो।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः (1)/XXX(3)/2019-30(1)/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांयू, पौड़ी/नैनीताल।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

संख्या 135/कार्मिक-2/2004

प्रेषक,
श्री नृप सिंह नपलच्याल,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
3. सचिव,
लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल,
हरिद्वार।

कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 16 फरवरी, 2004

विषय- राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की जांच करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये क्रमशः 19, 04 व 14 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। उक्त आरक्षित वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण की सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र के साथ जाति प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाता है। जाति प्रमाण-पत्र के निर्गत करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1540/कार्मिक-2/2002, दिनांक 29 मार्च 2003 द्वारा विस्तृत निर्देश दिये गये हैं व जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप भी निर्धारित किया गया है।

2. राज्याधीन सेवाओं/पदों में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण की सुविधा का लाभ उत्तरांचल राज्य में उक्त वर्ग के उत्तरांचल निवासी अभ्यर्थी को ही अनुमन्य है। अन्य राज्य के निवासी उक्त वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण की सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या [illegible]/कार्मिक-2/2002 दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 से उक्त स्थिति पूर्व में ही स्पष्ट की जा चुकी है।

3. शासन के संज्ञान में लाया गया है कि निकटवर्ती राज्य के निवासी अभ्यर्थियों द्वारा इस राज्य के जनपदों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है तथा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित चयन परीक्षाओं में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होने का लाभ लिया है, यह स्थिति उचित नहीं है। आरक्षित वर्ग के लिये अनुमन्य/सुलभ सुविधाओं का लाभ उत्तरांचल के आरक्षित वर्ग को ही प्राप्त होना चाहिये।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी होने का प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी किये गये आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति के उत्तरांचल निवासी होने की समुचित छानबीन करेगा और प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करेगा। यदि किसी अधिकारी द्वारा पूर्ण छानबीन किये बिना त्रुटिपूर्ण जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाते हैं तो उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों में से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों की जांच उनके नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व सम्बन्धित विभाग द्वारा सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों से भी आवश्यक रूप से करायी जायेगी तथा जिलाधिकारी ऐसे प्रमाण-पत्रों की जांच उप जिलाधिकारी से अन्यून स्तर के अधिकारी से कराकर 15 दिन के अन्दर जांच परिणाम से सम्बन्धित विभाग को सूचित किया जायेगा। जांच में यदि कोई प्रमाण-पत्र जाली/त्रुटिपूर्ण जारी किया गया पाया गया तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा अथवा उसके सम्बन्ध में अभ्यर्थन तुरन्त निरस्त करने हेतु लोक सेवा आयोग को संदर्भित किया जायेगा।

भवदीय,

नृप सिंह नपलच्याल,
मुख्य सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।
मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाँयू,
उत्तरांचल।
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

देहरादून: दिनांक 24 जुलाई 2006

अनुभाग-2

उत्तरांचल की राज्याधीन सेवाओं/निगमों/सार्वजनिक उद्यमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या ...-2-2-2001-53(1)/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2001 के प्रस्तर 2 (i) द्वारा उत्तरांचल राज्य की महिलाओं को ... क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तरांचल राज्य की राज्याधीन सेवाओं, निगमों, ... उद्यमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में उत्तरांचल राज्य की महिलाओं के लिये वर्तमान क्षैतिज आरक्षण 20 प्रतिशत ... 30 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उन मामलों में लागू नहीं ... चयन प्रकिया प्रारम्भ हो गयी हो और विज्ञापन प्रकाशित हो गया हो। और कोई पुराने प्रकरण पुनरुद्घाटित नहीं ...

कृपया उपरोक्तानुसार उत्तरांचल राज्य की महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित करने ...

भवदीय,
नृप सिंह नपलच्याल
प्रमुख सचिव।

... /XXX(2)/2006

... निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल शासन।
सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
समस्त मंत्रियों के निजी सचिव को मा0 मंत्रीगणों के सूचनार्थ।
सचिवालय के समस्त अनुभाग।
विभागीय आदेश-पुस्तिका।

आज्ञा से,
रमेश चन्द लोहनी
संयुक्त सचिव

The Uttarakhand Public Services (Horizontal Reservation for Women) Act, 2022

[Uttarakhand Act No: 01 of 2023]

An Act

to provide the horizontal reservation in public services and posts in favour of the Women citizens, in addition to the existing, reservation applicable in the State and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the seventy third year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement	1.	(1) This Act may be called the Uttarakhand Public Services (Horizontal Reservation for Women) Act, 2022. (2) It shall be deemed to have come into force on the 18th July, 2001.
Definitions	2.	In this Act unless the context otherwise requires,:- (a) **"Appointing Authority"** in relation to public services and posts means the Authority empowered to make appointment to such services and posts; (b) **"domicile"** means eligibility criteria determined in Uttarakhand G.O. No. 2588/F/4/410/2001 dated 20 November, 2001 or any other Government order in force at the time of recruitment; (c) **"horizontal reservation"** means horizontal reservation given to women candidates, in public service and posts as per Government order issued from time to time by the State Government; (d) **"public services and posts"** means the services and posts in connection with the affairs of the State and also includes following posts and services:-

(i) Local Authority;

(ii) Clause (A) of Section 2 of the Uttarakhand Co-operative Committee Act, 2003 in which the holding of State Government is not less than 51 percent of share capital of Committee ;

(iii) Any board or any corporation or any legal body established by any central or Uttarakhand State Act which is under the ownership or control of the State Government or Government company defined in the Company Act, 2013, in which the holding of paid up share capital by the State is not less than 51 percent;

(iv) any educational institution under ownership and control of the State Government or which receives grants in aid from the State Government including a university established by or under any Act of State of Uttarakhand , except any institution established and administered by minority section specified in clause (1) of article 30 of the Constitution of India;

(e) **"women candidate"** means such women citizen of India whose domicile of origin is in Uttarakhand, but she has not obtained permanent domicile certificate elsewhere or a women citizen of India whose domicile of origin is not in Uttarakhand but who has obtained a permanent domicile certificate in Uttarakhand as per the G.O. No. 25/88/F 4/410/2001 dated 20 November, 2001 or any other Government Order related to domicile, for the time being in force.

Reservation for Uttarakhand domiciled women	3.	(1) In direct recruitment in public services and posts, in the vacancies to be recruited, 20 percent Horizontal reservation shall be given till 24 July, 2006 and 30 percent after that in the favour of concerned women candidates permanently domiciled in the State of Uttarakhand. (2) In public services and posts, horizontal reservation for the women candidates domiciled in the State of Uttarakhand belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically weaker sections and other categories shall be in accordance with the order of Uttarakhand Government in force at the time of recruitment: Provided that if suitable women candidates are not available on the posts reserved for women under the State services, those posts shall not be carried forward rather, it shall be filled with qualified male candidates coming in the order of proficiency of the same category.
Responsibility and power for compliance of Act	4.	(1) The State Government may, by notified order entrust the responsibility to any Appointing Authority or any officer or employee for ensuring the compliance of the provisions of this Act. (2) The State Government may, by notified order vest such power or authority to the Appointing Authority or officer or employee referred in sub section (1), as may be necessary for effective discharging of the responsibility entrusted to him under sub section (1).
Power to call record	5.	If it comes to the notice of the State Government, that any women candidate defined in sub-section (e) of section 2 has been adversely affected on account of non compliance of the provisions of this Act or the rules made thereunder or the Government orders issued in this behalf by the Appointing Authority, it may call for such records and take such actions as it may consider necessary.

Power to issue domicile certificate	6.	For the purposes of horizontal reservation provided under this Act, a domicile certificate for women candidates shall be issued by such authority or officer and in such manner and such form as the State Government may, by order, provide: Provided that, the said Domicile certificate shall be issued by officer not below the rank of Tahsildar, following the proper procedure after carefully verifying the all relevant rules.
Protection of action taken in good faith	7.	No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against State Government or any person, for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of this Act or rules made thereunder.
Laying of orders etc.	8.	Every order made under Section 3 and Section 4 shall be laid, as soon as may be, before State Legislative Assembly and the provisions of sub section (1) of Section 23A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (as applicable to the State of Uttarakhand) shall apply as they apply in respect of the rules made by the State Government under any Uttarakhand Act.
Savings	9.	(1) The provisions of this Act shall not apply to cases in which the selection process has been initiated before the commencement of this Act and such cases, deemed to be dealt in accordance with the provisions of law and Government orders as they stood before such Commencement; **Explanation-** For the purposes of this sub section the selection process shall be deemed to be initiated, where under relevant service rules, recruitment is to be made, on the basis of :- (i) written exam or interview only, the written exam or interview, as the case may be, has been initiated, or (ii) both written exam and interview, the written exam has been initiated.

106

		(2) The provisions of this Act shall not be apply to the appointment, to be made under "Uttar Pradesh Recruitment of Dependant of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974" and "The Dependant of martyr soldiers of Indian Army/ Paramilitary Forces (Permanent Resident of Uttarakhand) on compassionate basis in State Services Employment Rules, 2018".
Power to make rules	10.	(1) The State Government may by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act. (2) All rules under this Act shall as soon as may be after they are made be laid before State Legislature while it is in session.
Overriding Effects	11.	Notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other Act or Judgment/Decree/Order or directions of any courts the provisions of this Act, shall be valid and effective.
Validation of certain actions	12.	(1) Anything done or purport to be done or any action taken, under Uttarakhand Government order no. 1144/Personnel/-2-2-2001-53(1)/2001 Dated 18 July,2001 and Government order no. 1966/xxx(2)/2006 Dated 24 July,2006 related to women horizontal reservation, prior to the Commencement of this Act, shall be deemed to have been validly done under the provisions of this Act. (2) Every order of appointment of a person as a officer, Judge and every order of posting, promotion or transfer prior to the Commencement of this Act shall be deemed to be validly made under the provisions of this Act. (3) Every power exercised and function performed every matter dealt with, every proceedings, every order, judgement decree or sentence passed and every other act done by the officer, judge prior to the commencement of this Act shall be deemed to be validly exercised, performed, dealt with, undertaken, passed or done under the provisions of this Act.

Power to remove difficulties	13.	If any difficulties arises in giving effect to the provision of this Act, the State Government may by notified order, shall make such provisions not inconsistent with the provision of this Act and as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty: Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

संख्या 549 / कार्मिक-2 / 2002

प्रेषक,

...कुमार जैन,
...

उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

(3) समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

...अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 21 जून, 2002

विषय :- राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए आरक्षण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तों एवं उपबन्धों के अधीन राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :—

(1) आरक्षण राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर केवल सीधी भर्ती के प्रक्रम पर होगा। पदोन्नति के पदों पर नहीं होगा।

(2) आरक्षण हारिजेन्टल प्रकृति का होगा अर्थात् किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर महिला आरक्षण के अधीन चयनित महिला जिस श्रेणी की होगी उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।

(3) यदि कोई महिला, किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर मैरिट के आधार पर चयनित होती है, तो उसकी गणना उस पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की जायेगी।

(4) राज्याधीन लोक सेवाओं पर पदों में सीधी भर्ती के लिए किसी चयन में महिलाओं के लिए आरक्षित पद यदि महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरा जा सके, तो यह पद उपयुक्त पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा व भविष्य के लिए अग्रेनीत नहीं किया जायेगा।

(5) राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं के सम्बन्ध में वांछित सभी अर्हतायें, पद सम्बन्धी सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पूर्ववत् अर्हताओं के अनुरूप रहेंगी व उनमें इस शासनादेश से कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(6) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, लेकिन जिन रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किये जा चुके हैं या जिन रिक्तियों के लिए चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो, उन पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने का आशय भर्ती का आधार केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार होने की स्थिति में ऐसी परीक्षा / साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने से है, जिन पदों पर भर्ती का आधार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हैं, उनके सम्बन्ध में चयन प्रक्रिया प्रारम्भ होने का आशय लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने से है।

(143)

(7) लोक सेवाओं एवं पदों का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2001 में परिभाषित लोक सेवाओं और पदों से है।

(8) ऐसे विभाग जहाँ कुल पदों में महिलाओं/पुरुषों के लिए पृथक से पद चिन्हित हैं, उन पदों में 20 प्रतिशत हारिजेन्टल आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी।

2— कृपया शासन के उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह भी अनुरोध है कि शासनादेश से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को भी अवगत करा देंवे।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन),
सचिव।

प्रेषक,

सत्यव्रत कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या 963 /XXX(2)/2011

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रभारी सचिव/अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार)
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त
कुमायूं/गढवाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
6. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून: दिनांक 29 अगस्त, 2011

विषयः– राज्याधीन सेवाओं में उत्तराखण्ड की अधिवासी महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1578/XXX(2)/2004 दिनांक 28.12.2004 में यह प्रावधान है कि महिलाओं के लिए राज्याधीन सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्तियों को अग्रेनीत कर तीन बार प्रयास करके भरे जाने की कार्यवाही की जाय। यदि तीन बार प्रयास करने पर भी महिलाओं हेतु रिक्त पद उपयुक्त अभ्यर्थी से नहीं भरा जा सका है, तो उसे अग्रेनीत नहीं किया जायेगा तथा प्रतीक्षा क्रम के अभ्यर्थी से भरा जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में मा. उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा इन्दिरा साहनी बनाम यूनियन आफ इण्डिया 1992 Supp(3) SCC 217 में तथा श्री जितेन्द्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2010) 3 SCC 119 में भी मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्तियों को अग्रेनीत करने के नियम लागू नहीं होंगे।

3– अतः मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के आलोक में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28.12.2004 द्वारा महिलाओं के लिए राज्याधीन सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्तियों को अग्रेनीत किये जाने विषयक की गयी व्यवस्था को समाप्त करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रतीक्षा क्रम में आने वाले योग्य पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

4– कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

M-5(C)/83

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. महाधिवक्ता कार्यालय, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल
4. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

संख्या– /XX(5)/20-18(स्व०सं०से०)/2020

प्रेषक,
नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग-5 देहरादून : दिनांक 16 मार्च, 2020

विषय- राजकीय सेवाओं में आरक्षण हेतु स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों/उत्तराधिकारियों की श्रेणी निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि राजकीय सेवाओं में आरक्षण हेतु शासनादेश संख्या-613/XX(5)/05-18(स्व०सं०से०)/2004, दिनांक-16.09.2011 के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों/उत्तराधिकारियों की श्रेणी निर्धारित की गयी है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993) (संशोधित) अधिनियम, 2019 के क्रम में शासनादेश संख्या-613/XX(5)/05-18(स्व०सं०से०)/2004, दिनांक-16.09.2011 द्वारा निर्धारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों/उत्तराधिकारियों की श्रेणी में संशोधन करते हुये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों/उत्तराधिकारियों की श्रेणी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(1) पुत्र और पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित);
(2) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और विवाहित अथवा अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री), और
(3) पुत्री का पुत्र/पुत्री।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्या- /XX(5)/20-18(स्व०सं०से०)/04 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अध्यक्ष, दून स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समिति एवं उत्तराधिकारी संगठन, क्रांति भवन, करनपुर, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृष्ण कुमार वी०के०)
अपर सचिव।

प्रेषक,

शैलेश बगोली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल,
देहरादून/नैनीताल।

4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

5. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 13 अप्रैल 2023

विषय: स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों को अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं अन्तर्गत सीधी भर्ती के प्रक्रम पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों हेतु 02 प्रतिशत एवं पूर्व सैनिकों हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण अनुमन्य है। शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3(3) में दिये गये प्रावधान तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुपालन में न्यून भांति हो रही है।

2. इस सम्बन्ध में विषयगत विधिक स्थिति स्पष्ट करने हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3(3) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित तथा पूर्व सैनिकों हेतु सीधी भर्ती के प्रक्रम पर रिक्तियों के आधार पर क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है तथा आरक्षित रिक्तियों पर चयनित व्यक्तियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई चयनित व्यक्ति अनुसूचित जाति श्रेणी से सम्बन्धित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित श्रेणी के लिए नियत कोटे में रखा जायेगा, यदि वह अनुसूचित जनजाति श्रेणी से सम्बन्धित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित श्रेणी के लिए नियत कोटे में रखा जायेगा और यदि वह अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से सम्बन्धित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित श्रेणी के लिए नियत कोटे में रखा जायेगा। इसी प्रकार, यदि वह अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत चयनित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके अनारक्षित श्रेणी में रखा जायेगा।

3. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3(5) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित तथा पूर्व सैनिकों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर यदि किसी चयन में रिक्तियों की संख्या के आधार पर उक्त श्रेणियों हेतु आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरे रह जाती है, तो उसे सम्बन्धित आयोग/चयन संस्था द्वारा आगामी भर्ती के लिए अग्रेनीत किया जायेगा।

पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के सम्बन्ध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग

के शासनादेश संख्या 51/XXX(2)/2021-53(01)2001 दिनांक 09 फरवरी 2021 एवं शासनादेश संख्या 227/XXX(2)/2021-30(21)2018 दिनांक 13 सितम्बर, 2021 द्वारा निम्नवत् दिशा-निर्देश दिये गये हैं :-

(a). Once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman's status for the purpose of re-employment in Government would cease.

(b). The ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C and D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. Jobs.

(c). If an ex-serviceman applies for various vacancies before joining any civil employment, he/she can avail of the benefit of reservation as ex-serviceman for any subsequent employment. However, to avail of this benefit, an ex-serviceman as soon as he/she joins any civil employment, should give self-declaration/undertaking to the concerned employer about the date-wise details of application for various vacancies for which he/she has applied for before joining the initial civil employment. Further this benefit would be available only in respect of vacancies which are filled on direct recruitment and wherever reservation is applicable to the ex-serviceman.

5 अतः अनुरोध है कि कृपया राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन अथवा चयन उपरान्त नियुक्ति प्रदान करने के अवसर पर पूर्व सैनिकों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के सम्बन्ध में उपरोक्त दिशा-निर्देशों के आलोक में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Signed by Shailesh Bagauli
Date: 13-04-2023 13:16:34

भवदीय,
(शैलेश बगौली)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य निजी सचिव, माo मुख्यमंत्री को माo मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
4. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
5. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग,
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

13.04.23

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

देहरादून

कार्यालय ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के संबंध में क्षैतिज आरक्षण की अनुमन्यता के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या–1073/XXX(2)/2010 दिनांक 10.11.2010 एवं तत्संबंधी समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुए, भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या–49/ 2016) दिनांक 27.12.2016 के संबंध में शासनादेश संख्या–312/XXX(2)/2018-30(05)2014 दिनांक 27.10.2017, एवं शासनादेश संख्या–112/XXX(2)/2018-30(05)2014 दिनांक 11.06.2018 के क्रम में राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगजन हेतु विकलांगता की श्रेणी हेतु निहित प्राविधान के अन्तर्गत राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के संबंध में निम्नवत् प्रक्रियात्मक दिशा–निर्देश निर्धारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है:–

1. दिव्यांगजन हेतु आरक्षण की मात्रा– दिव्यांगजनों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में भारत सरकार के अधिनियम, 2016 द्वारा निम्नलिखित श्रेणी a, श्रेणी b व श्रेणी c के लिए 1–1 प्रतिशत आरक्षण तथा श्रेणी d व श्रेणी e दोनों के लिए कुल 1 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया गया है:–

(a). blindness and low vision, (अन्धता और निम्न दृष्टता)

(b). deaf and hard of hearing, (बधिर और कम सुनाई देना)

(c). locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है)

(d). autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग)

(e). multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities; (स्तम्भ–1 से 4 के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों से बहु दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता है)

2. दिव्यांगजनों हेतु पदों का चिन्हांकन:–

राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगजनों हेतु सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षित पदों के चिन्हांकन हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–01/XXX (2)/18/30(05)/14 दिनांक 03.03.2013 द्वारा अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित द्वारा संस्तुत समूह क, ख, ग एवं घ के पदों पर नियमानुसार लागू होगा।

3. दिव्यांगजन हेतु उपयुक्त पदों का चिन्हांकन:–

समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत दिव्यांगजन की विकलांगता के दृष्टिगत पदों को अधिसूचित किया जायेगा। संबंधित विभागों को समाज कल्याण विभाग द्वारा पहले से चिन्हित पदों के अतिरिक्त, पदों की पहचान करने का अधिकार समिति को होगा। समिति द्वारा दिव्यांगजन की संबंधित पद पर कार्य करने की सुविधा/उपयोगिता के संबंध में प्रत्येक 03 वर्ष में चिन्हांकित पदों का पुनः परीक्षण किया जायेगा। समिति दिव्यांगता हेतु चिन्हित पदों को दिव्यांगता की समस्त अथवा एक से अधिक श्रेणी के लिए चिन्हित कर सकती है, जिसमें राज्य में दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर विचार किया जायेगा।

4. दिव्यांगजन आरक्षण से मुक्त रखा जाना:–

यदि किसी विभाग द्वारा किसी प्रतिष्ठान को दिव्यांगजन आरक्षण से अंशतः अथवा पूर्णतः मुक्त रखा जाना आवश्यक समझा जाय तो संबंधित विभाग यथास्थिति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष

Scanned by CamScanner

अपना ... प्रमुख मा० मुख्यमंत्री जी के विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

...व्यांगजन हेतु आरक्षित पद के समूह एवं ग्रेड के संबंध में:-

दिव्यांगता हेतु चिन्हित किसी पद के वेतनमान अथवा एक समूह (ग्रेड) से दूसरे समूह (ग्रेड) में परिवर्तित होने पर भी उस पद चिन्हांकन बना रहेगा।

...अनारक्षित पदों पर नियुक्ति:-

दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है। इस तरह की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

...योग्यता के आधार चयनित उम्मीदवारों का समायोजन:-

मानदण्डों में शिथिलीकरण के बिना, योग्यता के आधार पर अन्य उम्मीदवारों के साथ सीधी भर्ती से चयनित दिव्यांगताग्रस्त व्यक्ति का समायोजन आरक्षित रिक्ति के सापेक्ष नहीं किया जायेगा। आरक्षित रिक्तियाँ ऐसे दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी जो अन्यथा शिथिलीकृत मानदण्डों में चयन हेतु उपयुक्त हों।

...दिव्यांगता प्रमाण पत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी:-

राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सरकार द्वारा गठित राज्य मेडिकल बोर्ड सक्षम प्राधिकारी होगा। मेडिकल में बोर्ड में कम से कम तीन सदस्य होने आवश्यक हैं, जिनमें से कम से कम एक सदस्य यथा चलन प्रक्रिया संबंधी दिव्यांगता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात/दृष्टिहीनता या कम दृष्टि की विकलांगता/श्रवण ह्रास/आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग, जैसा भी मामला हो, का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ सदस्य होना चाहिए।

...मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की वैधता:-

मेडिकल बोर्ड समुचित जाँच-पड़ताल के पश्चात स्थायी दिव्यांगता के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करेगा, जहाँ दिव्यांगता की मात्रा में परिवर्तन संभावना न हो। मेडिकल बोर्ड ऐसे मामलों में प्रमाण पत्र जारी करने की वैधता अवधि इंगित करेगा, जिनमें दिव्यांगता की मात्रा में परिवर्तन की संभावना हो। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदक को सुनने का समुचित अवसर दिया जायेगा तथा मेडिकल बोर्ड आवेदक के अभ्यावेदन पर समस्त परिस्थितिजन्य तथ्यों एवं साक्ष्यों की समीक्षा कर अपने विवेकानुसार आदेश पारित कर सकेगा।

...सीधी भर्ती में आरक्षण की गणना:-

राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के मामले में दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों हेतु यद्यपि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की भर्ती उनके लिए उपयुक्त चिन्हित पदों पर ही की जायेगी तथापि क्षैतिज आरक्षण की गणना समूह "ख", "ग" एवं "घ" (यदि समूह "घ" का पद मृत संवर्ग से बाहर हो) रिक्तियों की कुल संख्या के आधार पर की जायेगी।

...पदोन्नति में आरक्षण की गणना:-

राज्याधीन सेवाओं में समूह "क" "ख" "ग" एवं "घ" के पदों पर पदोन्नति हेतु संबंधित अधिष्ठान में समूह "ख" "ग" एवं "घ" से सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत उपयुक्त चिन्हित एवं भरे गये पदों के आधार पर गणना की जायेगी एवं यथासंभव जहाँ आवश्यक समझा जाय, वहाँ पात्रता क्षेत्र में विस्तार किया जा सकेगा। चूँकि वर्तमान में राज्यान्तर्गत किसी भी श्रेणी को पदोन्नति में आरक्षण अनुमन्य नहीं है, अतः दिव्यांगजनों की पदोन्नति हेतु उपयुक्त चिन्हित पदों पर नियम 13 में उल्लिखित रोस्टर के अनुसार गणना की जायेगी।

...दिव्यांग आरक्षण हेतु रोस्टर का रखरखाव:-

(क) राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों का उपयुक्त चिन्हित पदों के सापेक्ष सीधी भर्ती हेतु समूह "ख", "ग" एवं "घ" के पदों का 100 बिन्दुओं वाला पृथक-पृथक रोस्टर

Scanned by CamScanner

संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा। इसी प्रकार समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' के पदों का 100 बिन्दुओं वाला पृथक-पृथक रोस्टर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार रोस्टर में 100 बिन्दुओं को चार खण्डों में विभाजित किया जायेगा-

(क) अन्धता और निम्न दृष्यता — रोस्टर क्रमांक 25

(ख) बधिर और कम सुनाई देना — रोस्टर क्रमांक 50

(ग) चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा-मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है — रोस्टर क्रमांक 75

(घ) आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग। — रोस्टर क्रमांक 100

या

उपरोक्त से क से घ के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों से बहु दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत बधिर-अंधता, जैसी भी स्थिति हो,

परन्तु यदि किसी प्रखण्ड में चिन्हित दिव्यांगता की श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी एक बार के लिए अगली श्रेणी की दिव्यांगता से रिक्ति को भरा जा सकेगा। ऐसी भरी गयी रिक्ति का समायोजन अगले चयन वर्ष अथवा चयन वर्षों में कर लिया जायेगा। यदि दिव्यांग आरक्षण के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी रिक्ति को अन्य सामान्य अभ्यर्थी से भरा जा सकता है किन्तु अगले चयन वर्ष में पुनः दिव्यांग अभ्यर्थी पर विचार किया जायेगा। इसी प्रकार सतत् प्रक्रिया जारी रहेगी।

13. सेवाकाल में दिव्यांग हुए कार्मिकों हेतु आरक्षण:-

राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत सेवाकाल में दिव्यांग हुए कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण हेतु इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के पश्चात् राज्य मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा किन्तु ऐसा आरक्षण उन्हीं पदों पर लागू होगा, जो दिव्यांगता हेतु चिन्हित हों।

14. आयु सीमा में छूट-

राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति हेतु दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए शासनादेश संख्या-1244/XXX(2)/2005 दिनांक 21.5.2005 के अनुसार आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी, भले ही पद आरक्षित हो अथवा नहीं बशर्ते कि पद दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना गया हो।

15. उपयुक्तता मानदण्डों में छूट-

दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को संबंधित विभाग की सेवा नियमावली में उल्लिखित प्राविधानानुसार उपयुक्तता के निर्धारित मानदण्डों में भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अनुमन्य होगी।

16. स्वास्थ्य परीक्षा:-

दिव्यांगजन को सरकारी सेवा में प्रवेश के समय दिव्यांगता की श्रेणी से भिन्न सामान्य स्वास्थ्य उपयुक्तता का प्रमाण पत्र नियमानुसार नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

17. परीक्षा शुल्क व आवेदन शुल्क से छूट-

राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विहित आवेदन शुल्क/परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। यह छूट उन्हीं दिव्यांगजनों को उपलब्ध होगी, जो अन्यथा

Scanned by CamScanner

[illegible] एवं अपने आवेदन पत्र की प्रति संलग्न करें।

[illegible] नोटिस–

[illegible] अधीन सेवाओं में दिव्यांगता हेतु चिन्हित पदों का लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आदि को अधियाचन/विज्ञप्ति प्रकाशित करते समय निम्न तथ्यों का संज्ञान लिया जाय:–

1. सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित पदों की विज्ञप्ति निर्गत करते समय (a). blindness and low vision (अन्धता और निम्न दृष्टता) (b). deaf and hard of hearing (बधिर और कम सुनाई देना) (c). locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है) (d). autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness (स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग) (e). multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf- blindness in the posts identified for each disabilities; (स्तम्भ–1 से 4 के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों से बहु दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता है) आदि हेतु आरक्षित रिक्तियों की संख्या स्पष्ट रूप से दर्शायी जाय, जैसा कि समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उपयुक्त चिन्हित किया गया हो।

2. दिव्यांगता हेतु चिन्हित पदों पर चयन हेतु दिव्यांगता का मानक वही होगा, भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में प्राविधानित है।

[illegible] नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र:–

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आदि के माध्यम से अथवा अन्य रीति से पद पर चयन हेतु माँगपत्र प्रेषित कर समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत अनिवार्य होगा:–

"प्रमाणित किया जाता है कि इस माँगपत्र को भेजते समय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में निहित सुसंगत प्राविधानों का पालन किया गया है तथा दिशा–निर्देश के प्रस्तर 13 में उल्लिखित रोस्टर चक्र का पालन किया गया है।"

[illegible] दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के अभ्यावेदनों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट:–

क. समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष की माह जनवरी में विभागवार एवं पदवार प्रत्येक दिव्यांगता हेतु चिन्हित पदों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी, जिसमें पदों की कुल संख्या, उनके विरूद्ध कार्यरत कार्मिकों की संख्या तथा रिक्तियों की वास्तविक संख्या स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जायेगी। किसी विभाग विशेष में रिक्ति की उपलब्धता के दृष्टिगत संबंधित प्रशासकीय विभाग को सूचित किया जायेगा और प्रशासकीय विभाग द्वारा अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों को प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जायेगा।

ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक, अर्द्ध सरकारी, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के संदर्भ में इस आशय की सूचना का विवरण सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा संबंधित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

ग. समाज कल्याण विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया समेकित विवरण कार्मिक विभाग को भी प्रेषित किया जायेगा।

[illegible] विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए नोडल अधिकारी:–

प्रत्येक प्रशासकीय विभाग द्वारा सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत दिव्यांगता हेतु चिन्हित पदों के आरक्षण की प्रक्रिया को निर्धारित करने हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जो विभाग में होने वाले चयनों में विज्ञप्ति प्रकाशित होने/चयन समिति द्वारा विचार करने से पूर्व निगरानी/पर्यवेक्षण करेगा।

दिव्यांगताओं की परिभाषा —

(a) blindness and low vision (अंधता और निम्न दृष्टता) (b) deaf and hard of hearing (बधिर और कम सुनाई देना) (c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, (चलन दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है) (d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness, (आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विनिर्दिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग) (e) multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities (क से घ के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में बहु दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत बधिर अंधता है) आदि दिव्यांगताओं की परिभाषाएं भारत सरकार द्वारा जारी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार होगी।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-232(1)/XXX(2)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
7. आयुक्त, निःशक्तजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. अधिशासी निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजीत सिंह)
अनु सचिव

संख्या– /XXX(4)/1/2017/2015-17

प्रेषक,
राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 23 अक्टूबर, 2017

विषय– राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उद्यमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में दिव्यांगों के लिए निर्धारित 03 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 04 प्रतिशत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–1144/कार्मिक–2–2001–53(1)2001 दिनांक 18.7.2001 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में विकलांगों (परिवर्तित नाम दिव्यागों) को 03 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा शासनादेश संख्या–196/XVII-2/2011-29 (समक०)/2008 दिनांक 25.03.2011 के द्वारा पदों का चिन्हांकन किया गया है। शासनादेश संख्या–1673/XXX(2)/2010 दिनांक 10.11.2010 के द्वारा विकलांगों (परिवर्तित नाम दिव्यांगों) को सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति में आरक्षण की अनुमन्यता एवं तत्संबंधी प्रक्रिया तथा आरक्षण संबंधी रोस्टर के क्रियान्वयन इत्यादि बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.12.2005 एवं दिनांक 26.04.2008 को तदनुसार प्रदेश सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्तियों/पदोन्नतियों में लागू किया गया है।

2. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–49 वर्ष, 2016) की धारा 34की उपधारा (1) में सरकारी सेवाओं में दिव्यांगों के आरक्षण के संबंध में निम्नवत् व्यवस्था की गयी है:–

"Every appropriate Government shall appoint in every Government establishment not less than **four percent** of the total number of vacancies in the cadre strength in each group of posts meant to be filled with persons with benchmark disabilities of which, one percent, each shall be reserved for persons with benchmark disabilties under clauses (a), (b) and (c) and one percent, for persons with benchmark disabilities under clauses (d) and (e), namely:-

(a) blindness and low vision (अंधता और निम्न दृश्यता)।

(b) deaf and hard of hearing (बधिर और कम सुनाई देना)।

(c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy (चलन दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत परा–मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित और पेशीय दुर्विकास है।)

(d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness (आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग।)

(e) multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf- blindness in the posts identified for each disabilities (खण्ड (1) से (4) के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अन्तर्गत बधिर–अंधता है।)

इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-49 वर्ष 2016) की धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल, उत्तराखण्ड की राज्याधीन सेवाओं में उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांगों को अनुमन्य 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के स्थान पर 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, उक्तानुसार "निर्देश–चिह्नं. दिव्यांगजन" को अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या-312 (1) /XXX(2)/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त कुमाँऊ मण्डल एवं गढ़वाल मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त, निःशक्तजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. अधिशासी निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव

प्रेषक,

शैलेश बगौली
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल,
देहरादून / नैनीताल।
4. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एव सतर्कता अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 14 अक्टूबर, 2022

विषय: दिव्यांगजन को अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों / निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं के अन्तर्गत सीधी भर्ती के प्रक्रम पर दिव्यांगजनों हेतु 04 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण अनुमन्य है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती के चयन में दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कतिपय कठिनाईयां प्रतीत हो रही हैं।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत निःशक्तजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 11(4) के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियों को एक पृथक वर्ग के रूप में अनुरक्षित किया जायेगा। दिव्यांगजन हेतु आरक्षित रिक्तियों पर चयनित व्यक्तियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई चयनित व्यक्ति अनुसूचित जाति श्रेणी से सम्बन्धित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह अनुसूचित जनजाति श्रेणी से सम्बन्धित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से सम्बन्धित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित कोटे में रखा जायेगा। इसी प्रकार, यदि वह खुली प्रतियोगिता श्रेणी से सम्बन्धित है, तो उसे आवश्यक समायोजन करके अनारक्षित श्रेणी में रखा जायेगा।

दिव्यांगजन के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर रिक्तियों के आधार पर क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है। यदि किसी चयन में रिक्तियों की संख्या के आधार पर उक्त

श्रेणियों हेतु निर्धारित क्षैतिज आरक्षण प्रतिशत के अन्तर्गत आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण या कोई अन्य पर्याप्त कारण से बिना भरे रह जाती है, तो उसे सम्बन्धित आयोग/भर्ती संस्था द्वारा आगामी भर्ती के लिए बैकलॉग के रूप में अग्रेनीत किया जायेगा। यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो पहले यह रिक्ति पांच प्रवर्गों में से अदला-बदली द्वारा भरी जा सकेगी और केवल जब उस वर्ष में भी पद के लिए दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो नियोक्ता किसी दिव्यांगजन से भिन्न किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा रिक्ति को भर सकेगा।

परन्तु यदि किसी स्थापन में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि दिए गए प्रवर्गों के व्यक्तियों को नियोजित नहीं किया जा सकता तो रिक्तियों की समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से पांच प्रवर्गों में अदला-बदली की जा सकेगी।

4. दिव्यांगजन श्रेणी के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण दिव्यांगजन हेतु उपयुक्त चिन्हित पदों पर ही अनुमन्य होगा। यदि कोई पद दिव्यांगता की एक श्रेणी के लिए ही उपयुक्त चिन्हित किया गया हो, तो उस पद में आरक्षण उस दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ही दिया जाएगा। ऐसे मामलों में चार प्रतिशत का आरक्षण कम नहीं किया जाएगा तथा उस पद में पूर्ण आरक्षण उस दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को दिया जाएगा जिसके लिए यह चिन्हित किया गया हो। इसी तरह किसी पद के दिव्यांगता की दो या दो से अधिक श्रेणियों के लिए चिन्हित किये गये होने की स्थिति में जहां तक सम्भव हो, आरक्षण दिव्यांगता की उन दोनों या दो से अधिक श्रेणियों (जैसी स्थिति हो) के व्यक्तियों के बीच समान रूप से विभाजित कर दिया जाएगा, तथापि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिष्ठान में आरक्षण, विभिन्न पदों में इस तरह विभाजित किया जाय कि दिव्यांगता की सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को यथासंभव समान प्रतिनिधित्व मिले।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Shailesh Bagauli
(शैलेश बगौली)
सचिव।
Date: 14-10-2022 15:04:06

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
4. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Lalit Mohan Rayal
Date: 14-10-2022 15:07:56
(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

...सिंह मनराल,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

...
1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,
सचिव / सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

...एवं सतर्कता अनुभाग–2   देहरादून : दिनांक 20 नवम्बर, 2019

...: राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु लिखित परीक्षा में दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक (लेखन सहायक) एवं अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

...दय,

उपर्युक्त विषयक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 49 वर्ष–2016) के ...गत शासनादेश संख्या 312/XXX(2)/17-30(5)/2014-TC दिनांक 27.10.2017, शासनादेश संख्या ...XXX-2/2018-30(05)/2014 दिनांक 14.6.2018 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–232/XXX(2)/2018/...(05)/2014 दिनांक 28.9.2018 के माध्यम से उक्त अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों को राज्याधीन सेवाओं ... सीधी भर्ती के सन्दर्भ में लागू किया गया है। शासन के संज्ञान में आया है कि उपरोक्त शासनादेशों द्वारा ...गू व्यवस्था का चयन आयोगों / विभागों द्वारा दिव्यांगता संबंधी उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–320/XXX(2)2011 दिनांक ... मार्च, 2011 को अधिक्रमित करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) के कार्यालय ज्ञाप ...ख्या F. NO. 34-02/2015-DD-III, दिनांक 29 अगस्त, 2018 (प्रति संलग्न) से जारी Guidelines for conducting written examination for persons with benchmark disabilities, 2018 के सभी उपबन्ध उत्तराखण्ड राज्य के राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों पर यथा प्रभावी लागू किये जाते हैं। उपरोक्त के क्रम में सभी चयन आयोग / संस्थाओं द्वारा राज्याधीन सेवाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के चयनों में भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञाप में संदर्भित उपबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीय,

(भूपाल सिंह मनराल)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या: 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
6. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
7. सचिव, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
8. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, पौड़ी/नैनीताल।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 48 /XVII-A-3/2023 03(11)/नि०स०/2011

प्रेषक,

एल० फैनई,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमांयू ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग–03 देहरादून, दिनांक 5 जून, 2023

विषय– उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में दिव्यांगजनों को समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुर्नचिन्हांकन।

महोदय,

दिव्यांगजनों के हित संरक्षण एवं उनके सामाजिक व आर्थिक पुनर्वासन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को निरसित करते हुए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (The Right Of Persons With Disabilities ACT, 2016) लागू किया गया है। इस अधिनियम की धारा–33 में दिव्यांगजन को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से आरक्षण हेतु पदों के चिन्हांकन किये जाने का प्राविधान है।

2. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–112/XXX-2/2018-30(05)/2014 दिनांक 14 जून, 2018 द्वारा दिव्यांगजन के लिए लोक सेवाओं में 4 प्रतिशत पदों के आरक्षण के आदेश जारी किये गये हैं। इस हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का एक–एक प्रतिशत खण्ड (क) (ख) एवं (ग) और एक प्रतिशत खण्ड (घ) एवं (ङ) के अधीन निम्नलिखित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया है :–

(क) दृष्टिहीनता और निम्न दृष्यता।

(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास।

(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसीड हमले से पीडित और मांसपेशीय दुष्पोषण।

(घ) स्वपरायणता (Autism), बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता।

क्रमशः.....

(ङ) उपर्युक्त खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है।

3. उक्त के दृष्टिगत उत्तराखण्ड दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की नियमावली-2016 की धारा 33 के अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2019 के नियम 10(1) के प्राविधानानुसार गठित विशेषज्ञ समिति की संस्तुति के क्रम में पदों के चिन्हांकन के निमित्त पूर्व निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए, संलग्न सूची के अनुसार विभागवार एवं पदवार पदों के पुर्नचिन्हांकन का निर्णय लिया गया है।

4. संलग्न सूची में चिन्हांकित पदों के अतिरिक्त समस्त विभागों के समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के शेष सभी पद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-34 के परन्तुक के अन्तर्गत दिव्यांगजन के आरक्षण से उन्मोचित समझे जायेंगे।

5. दिव्यांगजनों के लिए संलग्न सूची में विभागवार चिन्हांकित पदों के अनुसार नियुक्ति सुनिश्चित की जाये। यदि आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण भरी नहीं जा सकती है तो उसे आगामी भर्ती के लिए अग्रेनीत किया जायेगा।

6. कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

05/6/23

(एल० फैनई)

प्रमुख सचिव।

संख्या- 48 /XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि- संलग्न सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी-नैनीताल।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

(सुरेश चन्द्र जोशी)

अपर सचिव।

120

उत्तरांचल शासन

कार्मिक विभाग

संख्या 1472/कार्मिक–2/2002

देहरादून, दिनांक 07 नवम्बर, 2002

चूंकि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन उपबन्धित कर सकता है, जो आवश्यक व समीचीन हों;

और चूंकि, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत् लागू है;

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा:–

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

शीर्षक एवं प्रारम्भ–

(1) यह आदेश उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल पढ़ा जाना–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 में जहाँ–2 शब्द 'उत्तर प्रदेश' आया है, वहाँ–2 वह शब्द 'उत्तरांचल' के रूप में पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन),
सचिव।

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 16 मार्च, 2009 ई0

फाल्गुन 25, 1930 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 133 / XXXVI(3) / 2009 / 14(1) / 2009

देहरादून, 16 मार्च, 2009

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] (संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 7 मार्च, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखंड का अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2009 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] (संशोधन) अधिनियम, 2009

(अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2009)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

(157)

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो:–

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] (संशोधन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

"(ग) 'पूर्व सैनिक' से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योधक या अनायोधक के रूप में सेवा की हो, और जो–

(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है; या

(दो) चिकित्सकीय आधार पर जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सकीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गयी है; या

(तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना निर्मुक्त किया गया है, या

(चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं:–

(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले;

(दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति; और

(तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।"

धारा 2 के खण्ड (ङ) का प्रतिस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात् :–

"(ङ) 'शारीरिक रूप से विकलांग' से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित से ग्रसित हो :–

(एक) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि;

(दो) श्रवण ह्रास;

(तीन) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।"

धारा 3 की उपधारा (1) का प्रतिस्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नवत् उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्:–

"(1) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर निम्नलिखित आरक्षण अनुमन्य होगा:–

(एक) लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का दो प्रतिशत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए और रिक्तियों का पांच प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए;

(दो) ऐसी लोक सेवाओं और पदों में जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अभिज्ञात करे, रिक्तियों का एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रसित व्यक्ति के लिए:–

(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि;

(ख) श्रवण ह्रास;

(ग) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।"

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

132

संख्या 1087/सत्रह-वि-1-1 (क) 12-1997
लखनऊ, 31 जुलाई, 1997
अधिसूचना
विधि

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1997)
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--
(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायेगा।
(2) यह 9 जुलाई, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2- उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1993 की धारा 2 का संशोधन--
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में--
(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात :-
"(क) "दृष्टिहीनता" ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करता है जहाँ कोई व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में से किसी से ग्रसित हो, अर्थात:--
(एक) दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव; या
(दो) सुधारक लेंसों के साथ बेहतर आँख में 6/60 या 20/200 (स्नेलिन) से अनधिक दृष्टि की तीक्ष्णता; या
(तीन) जिसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के कक्षान्तरित होना या अधिक खराब होना;
(कक) "प्रमस्तिष्क अंगघात" का तात्पर्य विकास की प्रसव पूर्व, प्रसव-कालीन या शैशव काल में होने वाले मस्तिष्क के तिरस्कार या क्षति से पारिणामिक असामान्य प्रेरक नियंत्रण स्थिति के लक्षणों से युक्त व्यक्ति की अविकासशील दशाओं के समूह से है।"
(ख) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:--
"(घघ) "श्रवण ह्रास" का तात्पर्य संवाद सम्बन्धी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में साठ डेसीबल या अधिक की हानि से है;
(घघघ) "चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता" का तात्पर्य हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की ऐसी निःशक्तता से है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निर्बन्धन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क अंगघात हो।
(घघघघ) "कम दृष्टि" ऐसी परिस्थिति को निर्दिष्ट करती है जहाँ ऐसा कोई व्यक्ति उपचार या मानक उपवर्धनीय सुधार के पश्चात् भी दृष्टि सम्बन्धी कृत्य के ह्रास से ग्रसित हो किन्तु वह समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता हो या उपयोग करने में सम्भाव्य रूप से समर्थ हो;"
(ग) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:--
(ङ) "शारीरिक रूप से विकलांग" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित से ग्रसित हो :-
(एक) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि;
(दो) श्रवण ह्रास;
(तीन) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।"
(घ) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:--
"(च) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उस समय अधिनियम में समनुदेशित किये गये है।"

3- धारा 3 का संशोधन--
मूल अधिनियम की धारा 3 में--
(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-
"(1) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर निम्नलिखित आरक्षण होगा:--
(एक) लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का दो प्रतिशत स्वतंत्रता संग्राम-सेनानियों के आश्रितों के लिए और रिक्तियों का एक प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए,
(दो) ऐसी लोक सेवाओं और पदों में जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अभिज्ञात करे, रिक्तियों का एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रसित व्यक्ति के लिए :-
(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि;
(ख) श्रवण ह्रास;
(ग) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात।
(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी।

(ग) उपधारा (3) में, शब्द "पिछड़े वर्गों" के स्थान पर शब्द "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की" रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (4) निकाल दी जायेगी;

(ङ) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"(5) जहाँ उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है, तो उसे आगामी भर्ती के लिए अग्रनीत किया जायेगा।"

4— धारा 4 का संशोधन—

मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) निकाल दी जायेगी।

5— धारा 5 का प्रतिस्थापन—

मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"अपवाद 5—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जैसे वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण:—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए वहाँ चयन प्रक्रिया आरम्भ की गयी समझी जायेगी, जहाँ सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन की जाने वाली भर्ती—

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर की जानी हो और वहाँ यथास्थिति लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो गया हो; या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, दोनों के आधार पर की जानी हो और वहाँ लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो गयी हो।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1994 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।"

6—निरसन और अपवाद उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8, सन् 1997—

(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के प्राविधान सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
रविन्द्र दयाल माथुर,
प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

अमित कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या-320/XXX(2)2011

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 18 मार्च, 2011

विषय-उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु लिखित परीक्षा में दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक (लेखन सहायक) एवं अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह 'ग' के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षाओं में दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिये श्रुत लेखक (लेखन सहायक) दिये जाने पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्रुत लेखक (लेखन सहायक) की सुविधा तथा अतिरिक्त समय दिये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. सम्बन्धित दृष्टिहीन अभ्यर्थी श्रुत लेखक (लेखन सहायक) अपने साथ स्वयं लायेंगे।
2. श्रुत लेखक (लेखन सहायक) की शैक्षिक अर्हता, पद के लिये निर्धारित न्यूनतम शैक्षित अर्हता से दो कक्षा कम होगी। यदि पद की न्यूनतम अर्हता, स्नातक डिग्री है तो श्रुत लेखक (लेखन सहायक) की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण से अधिक नहीं होगी। यदि पद की न्यूनतम अर्हता इण्टरमीडिएट है तो श्रुत लेखक (लेखन सहायक) की शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल से अधिक नहीं होगी।
3. दृष्टिहीन अभ्यर्थी को 3 घण्टे की परीक्षा में 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। यदि लिखित परीक्षा की समयावधि 3 घण्टे से कम या अधिक हो तो 3 घण्टे में 30 मिनट के अनुपात में कम या अधिक अतिरिक्त समय दिया जायेगा। उदाहरणार्थ 02 घण्टे की परीक्षा में 20 मिनट व 01 घण्टे की परीक्षा में 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
4. दृष्टिहीन अभ्यर्थी को सम्बन्धित श्रुत लेखक (लेखन सहायक) के साथ अलग बैठने की व्यवस्था केन्द्र अधीक्षक द्वारा की जायेगी।
5. दृष्टिहीन अभ्यर्थी या उसके साथ आये श्रुत लेखक (लेखन सहायक) यदि कोई है, को नियुक्ति प्राधिकारी या शासन द्वारा कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता या अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा।
6. श्रुत लेखक (लेखन सहायक) अपने द्वारा रिकार्ड किये जा रहे उत्तर से सही या अन्य या गलत होने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी को सूचित करने के लिये कोई संकेत, आवाज अथवा संचार के किसी अन्य माध्यम को नहीं अपनायेगा। इस प्रकार की कार्यवाही से अभ्यर्थी की अयोग्यता सिद्ध होगी और सम्बन्धित अभ्यर्थी तथा सम्बन्धित श्रुत लेखक (लेखन सहायक) दोनों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

7. सम्बन्धित श्रुत लेखक (लेखन सहायक) दृष्टिहीन अभ्यर्थी के लिये प्रश्न पढ़ते समय या दृष्टिहीन अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका में अंकित करने हेतु अपना सही उत्तर सहायक को बताते समय कक्ष परीक्षा भवन में बैठे अन्य अभ्यर्थियों की शान्ति भंग नहीं करनी चाहिए।
8. सम्बन्धित अभ्यर्थी के श्रुत लेखक (लेखन सहायक) को अपना ब्यौरा जैसे नाम, पता, शैक्षिक योग्यता आदि लिखकर देना होगा। संबंधित श्रुत लेखक (लेखन सहायक) द्वारा दिया गया ब्यौरा उसे तथा दृष्टिहीन उम्मीदवार को परीक्षा प्रारम्भ होने से पहले सही तथा सत्य प्रमाणित करना होगा।
9. उपरांकित किन्हीं भी शर्तों और प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी/श्रुत लेखक (लेखन सहायक) के विरुद्ध किसी भी अन्य कार्यवाही के साथ अभ्यर्थी का अभ्यर्थन भी रद्द किया जा सकता है।

2. कृपया उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय से अपने अधीनस्थों को अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र उपलब्ध कराते समय उक्त निर्देशों से भी अवगत कराया जाय।

नोट– उक्त नियम को आयोग की बैठक दिनांक 31–03–2011 में लिये गये निर्णयानुसार आयोग के परिक्षेत्र के अन्दर आने वाले पदों पर भी लागू किया गया है।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह).
प्रमुख सचिव।

F. No. 34-02/2015-DD-III
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Department of Empowerment of of Persons with Disabilities (Divyangjan)
***

Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan,
C.G.O. Complex, New Delhi - 110003
Dated: the 29th August, 2018

Office Memorandum

Subject: Guidelines for conducting written examination for Persons with Benchmark Disabilities.

The undersigned is directed to say that this Department had issued the guidelines for conducting written examination for persons with disabilities defined in terms of erstwhile Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection for Rights and Full Participation) Act, 1995 vide OM No. 16-110/2003-DD.III dated 26/02/2013. The Department had constituted a Committee under the Chairmanship of Secretary (DEPwD) in March, 2015 to review the said guidelines based on the issues raised by Union Public Service Commission and others. Meanwhile the Central Government enacted the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPwD Act, 2016) which came into force from 19.04.2017. The Act provides for reservation in Government jobs for persons with benchmark disabilities as defined under section 2(r) of the said Act.

Based on the findings of the Committee, the Central Government hereby lays down the revised guidelines for conducting written examination for persons with benchmark disabilities in supersession of the earlier guidelines issued vide OM No. 16-110/2003-DD.III dated 26/02/2013 as under:

I. These guidelines may be called as "Guidelines for conducting written examination for persons with benchmark disabilities 2018".

II. There should be a uniform and comprehensive policy across the country for persons with benchmark disabilities for written examination taking into account improvement in technology and new avenues opened to the persons with benchmark disabilities providing a level playing field. Policy should also have flexibility to accommodate the specific needs on case-to-case basis.

III. There is no need for fixing separate criteria for regular and competitive examinations.

IV. The facility of Scribe/Reader/Lab Assistant should be allowed to any person with benchmark disability as defined under section 2(r) of the RPwD Act, 2016 and has limitation in writing including that of speed if so desired by him/her.

In case of persons with benchmark disabilities in the category of blindness, locomotor disability (both arm affected-BA) and cerebral palsy, the facility of scribe/reader/lab assistant shall be given, if so desired by the person.

In case of other category of persons with benchmark disabilities, the provision of scribe/reader/lab assistant can be allowed on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write, and scribe is essential to write examination on his behalf, from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government health care institution as per proforma at APPENDIX-I.

V. The candidate should have the discretion of opting for his own scribe/reader/lab assistant or request the Examination Body for the same. The examining body may also identify the scribe/reader/lab assistant to make panels at the District/Division/State level as per the requirements of the examination. In such instances the candidates should be allowed to meet the scribe two days before the examination so that the candidates get a chance to check and verify whether the scribe is suitable or not.

VI. In case the examining body provides the scribe/reader/lab assistant, it shall be ensured that qualification of the scribe should not be more than the minimum qualification criteria of the examination. However, the qualification of the scribe/reader should always be matriculate or above.

In case the candidate is allowed to bring his own scribe, the qualification of the scribe should be one step below the qualification of the candidate taking examination. The persons with benchmark disabilities opting for own scribe/reader should submit details of the own scribe as per proforma at APPENDIX-II.

VII. There should also be flexibility in accommodating any change in scribe/reader/lab assistant in case of emergency. The candidates should also be allowed to take more than one scribe/reader for writing different papers especially for languages. However, there can be only one scribe per subject.

VIII. Persons with benchmark disabilities should be given, as far as possible, the option of choosing the mode for taking the examinations i.e. in Braille or in the computer or in large print or even by recording the answers as the examining bodies

...can easily make use of technology to convert question paper in large prints, e-text, or Braille and can also convert Braille text in English or regional languages.

IX. In case, the persons with benchmark disabilities are allowed to take examination on computer system, they should be allowed to check the computer system one day in advance so that the problems, if any in the software/system could be rectified. Use of own computer/laptop should not be allowed for taking examination. However, enabling accessories for the computer based examinations such as keyboard, customized mouse etc should be allowed.

X. The procedure of availing the facility of scribe should be simplified and the necessary details should be recorded at the time of filling up of the forms. Thereafter, the examining body should ensure availability of question papers in the format opted by the candidate as well as suitable seating arrangement for giving examination.

XI. The disability certificate issued by the competent medical authority at any place should be accepted across the country.

XII. The word "extra time or additional time" that is being currently used should be changed to "compensatory time" and the same should not be less than 20 minutes per hour of examination for persons who are allowed use of scribe/reader/lab assistant. All the candidates with benchmark disability not availing the facility of scribe may be allowed additional time of minimum of one hour for examination of 3 hours duration. In case the duration of the examination is less than an hour, then the duration of additional time should be allowed on pro-rata basis. Additional time should not be less than 5 minutes and should be in the multiple of 5.

XIII. The candidates should be allowed to use assistive devices like talking calculator (in cases where calculators are allowed for giving exams), tailor frame, Braille slate, abacus, geometry kit, Braille measuring tape and augmentative communication devices like communication chart and electronic devices.

XIV. Proper seating arrangement (preferably on the ground floor) should be made prior to the commencement of examination to avoid confusion or distraction during the day of the exam. The time of giving the question papers should be marked accurately and timely supply of supplementary papers should be ensured.

XV. As far as possible, the examining body should also provide reading material in Braille or E-Text or on computers having suitable screen reading software for open book examination. Similarly online examination should be in accessible format i.e. websites, question papers and all other study material should be accessible as per the international standards laid down in this regard.

XVI. Alternative objective questions in lieu of descriptive questions should be provided for Hearing-Impaired persons. In addition to the existing policy of giving alternative questions in lieu of questions requiring visual inputs, for persons with Visual Impairment.

XVII. As far as possible the examination for persons with disabilities should be held at the ground floor. The examination centres should be accessible for persons with disabilities.

2. It is requested to ensure that the above guidelines are scrupulously followed while conducting examination for persons with benchmark disabilities. All the recruitment agencies, Academics/Examination Bodies etc. under the administrative control of each Ministry/Department may be advised appropriately to ensure compliance of implementing these guidelines. Action taken in this regard may be intimated to this office.

3. The above guidelines are issued with the approval of Hon'ble Minister (Social Justice & Empowerment).

Yours faithfully,

(D.K. Panda)
Under Secretary to the Government of India
Tele. No. 24369059

To

1. Secretary of all Ministries/Department

2. Secretary, UPSC, Shahjahan Road, New Delhi

3. Chairman, SSC, Block No.12, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.

4. Chairman, University Grants Commission with a request to issue necessary instructions to all universities including Deemed Universities for compliance.

5. Chairman, Railway Board.

6. All National Institutes and RCI under administrative control of Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of SJ&E, New Delhi

Copy for Information to: CCPD, Sarojini Bhawan, Bhagwan Dass Road, New Delhi

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2

संख्या 397/XXX(2)/2019-30(2)/2019

देहरादून दिनांक 17 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य में [illegible] के अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में सेवायोजित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2019" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियमावली का लागू होना

2. यह नियमावली राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन समस्त कार्यालयों [illegible] राजकीय/अशासकीय सेवाओं [illegible] पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

3. यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

4. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से सम्बन्धित सेवा नियमावली में किसी ऐसी सेवा अथवा श्रेणियों के पदों के सम्बन्ध में जिस पर यह नियमावली लागू होती है, में उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड [illegible] अभिप्रेत है;

(घ) "अनाथ बच्चों" से उत्तराखण्ड [illegible] महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित तथा [illegible] स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों से है, जिनके माता–पिता [illegible] माता–पिता पक्ष के किसी भी रिश्तेदार [illegible] कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है;

(ङ) "सक्षम प्राधिकारी" से सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी अभिप्रेत है;

अनाथ बच्चों को राजकीय/अराजकीय सेवाओं में सेवायोजन हेतु क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान

5\. (1) उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग निदेशालय अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को, जिनकी पुष्टि अपेक्षित अभिलेखों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से करते हुये सम्बन्धित जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

(2) इस नियमावली के अधीन प्रमाण पत्र [illegible] विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों का पंजीकरण सम्बन्धित जिले के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर समुचित अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में कराना आवश्यक होगा।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

192

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्या 10 /XXX(2)/2019–30(2)/2019
देहरादून, 05 जनवरी, 2020

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/शासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2019 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/शासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/शासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020 है;

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 1 का संशोधन

2. मूल नियमावली के नियम 1 के उपनियम (2) में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
1 संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ	1 संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ
1 (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।	1 (2) यह नियमावली चयन वर्ष 2020–21 की प्रथम जुलाई से प्रवृत्त होगी।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्या–170/XXX-2/2021-30(2)2019
देहरादून: दिनांक 31 अगस्त, 2021

अधिसूचना संख्या 179/XXX-2/2021-30(2)2019 दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा प्रख्यापित 'उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक पिता–माता दोनों की मृत्यु बच्चों के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों हेतु राजकीय/अराजकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2021' की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. मा0 महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
12. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करकर इसकी 500 प्रतियाँ कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर।
18. गार्ड फाईल।

संलग्नक :– यथोक्त।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2
संख्या 174/XXX(2)/2021-30(6)/2019
देहरादून दिनांक 31 अगस्त, 2021

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) को अधिक्रमित कर उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक पिता-माता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में सेवायोजित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक पिता-माता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1\. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक पिता-माता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियमावली का लागू होना

2\. यह नियमावली राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन समस्त राजकीय/अशासकीय सेवाओं में उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक पिता-माता दोनों की मृत्यु बच्चों के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) के सम्बन्ध में आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के सम्बन्ध में लागू होगी;

परन्तु उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों के सम्बन्ध में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के सम्बन्ध में लागू होगी।

परन्तु यह और कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अन्तर्गत सेवायोजित व्यक्ति के सन्दर्भ में इस नियमावली के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

3. अध्यारोही प्रभाव — यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

4. परिभाषाएँ — जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—

(क) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(ख) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(ग) "नियुक्ति प्राधिकारी" से सम्बन्धित सेवा नियमावली में किसी ऐसी श्रेणी अथवा श्रेणियों के पदों के सम्बन्ध में जिस पर यह नियमावली लागू होती है, में उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "प्रभावित बच्चों" से उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक पिता-माता दोनों की मृत्यु उनके के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) अभिप्रेत है;

(च) "अनाथ बच्चों" से उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित व पंजीकृत स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों अभिप्रेत है, जिनके माता-पिता एवं माता-पिता पक्ष के किसी भी रिश्तेदारों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है;

प्रभावित बच्चों/अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में सेवायोजन हेतु क्षैतिज आरक्षण एवं प्रमाण पत्र

5. (1) प्रभावित बच्चों/अनाथ बच्चों को जिनकी पुष्टि अपेक्षित अभिलेखों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से करते हुये सम्बन्धित जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर, एम जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

(2) इस नियमावली के प्रख्यापन के पश्चात् प्रभावित बच्चों/अनाथ बच्चों का रजिस्ट्रीकरण सम्बन्धित जिले के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर समुचित अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में कराना आवश्यक होगा।'

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
सचिव।

संख्या: [illegible]

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग।
5. सचिव, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 16 जनवरी, [illegible]

विषय: उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक पिता-माता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को सीधी भर्ती में अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक पिता-माता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2021 के अनुसार प्रभावित बच्चों/अनाथ बच्चों को उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है। शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि वर्तमान में अनाथ बच्चों को अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण लागू किये जाने के सम्बन्ध में विभागों द्वारा कतिपय कठिनाईयां महसूस की जा रही हैं।

2. उपरोक्त नियमावली से यह स्पष्ट है कि उक्त क्षैतिज आरक्षण राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन सभी राजकीय/अशासकीय सेवाओं में उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक पिता-माता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) के सम्बन्ध में आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तथा उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों के सम्बन्ध में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के सम्बन्ध में लागू होगा।

3. सामान्यतः अनाथ बच्चों की जाति का पता नहीं चलता है, इसीलिए नियमावली के नियम 4 के प्रथम परन्तुक में ऐसे अनाथ बच्चों हेतु अनारक्षित श्रेणी का प्राविधान किया गया है, परन्तु ऐसी भी स्थितियां हैं, जहां राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों की जाति का पता होता है। अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर अनाथ बच्चों के लिए आरक्षण के अधीन चयनित कोई अनाथ जिस श्रेणी का होगा उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा। अनाथ बच्चों के लिए आरक्षित पदों पर कोई योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रेनीत नहीं किया जा सकेगा, बल्कि सम्बन्धित श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

4. कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
सचिव।

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांखण्ड अधिनियम)

देहरादून, रविवार, 18 अगस्त, 2024 ई0

श्रावण 27, 1946 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 244/XXXVI(3)/2024/48(1)/2023

देहरादून, 18 अगस्त, 2024

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2023' पर दिनांक 17 अगस्त, 2024 को स्वीकृति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 11, वर्ष– 2024 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023 प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2024)

अधिनियम

{ भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो }

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार और लागू होना

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिह्नित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023' होगा।

(2) यह अधिनियम, इस अधिनियम की धारा-5 के प्रयोजनार्थ दिनांक 1 जनवरी, 2004 से एवं अवशेष उपबन्धों के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

(3) यह अधिनियम राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों के सम्बन्ध में लागू होगा।

(4) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर है।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

2. किसी अन्य अधिनियम या किसी न्यायालय के किसी निर्णय/डिक्री/आदेश या दिशा-निर्देशों आदि में अन्तर्विष्ट इससे असंगत किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान विधिमान्य व प्रभावी बनाये जायेंगे।

परिभाषाएं

3. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "चिह्नित आन्दोलनकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका विनिश्चयन सक्षम अधिकारी द्वारा राज्य आन्दोलनकारी के रूप में किया गया हो और उसे उक्त सन्दर्भ में प्रमाण-पत्र/सहायक पत्र निर्गत किया गया हो;

(ख) "आश्रित" से चिह्नित आन्दोलनकारी की यथा स्थिति पत्नी अथवा पति, पुत्र एवं पुत्री (जिसमें विवाहित, विधवा, पति द्वारा परित्यक्त, तलाकशुदा पुत्री भी सम्मिलित है) अभिप्रेत है।

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ङ) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत है;

(च) "उत्तराखण्ड" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(छ) "सक्षम अधिकारी" से जिलाधिकारी अभिप्रेत है;

राज्य आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवायोजन हेतु आरक्षण

4. (1) उत्तराखण्ड राज्य की राज्याधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा।

व्यावृत्ति

5. दिनांक 11 अगस्त, 2004 को एवं उसके पश्चात् उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अधीन विभिन्न राजकीय सेवाओं/पदों हेतु चयनित/नियुक्त राज्य आन्दोलनकारियों का चयन/नियुक्ति इस अधिनियम के तहत वैध मानी जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति

6. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथा शीघ्र राज्य की विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार,

अपर सचिव।

उद्देश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य निर्माण हेतु उत्तराखण्ड की स्थानीय जनता द्वारा एक वृहद आन्दोलन किया गया था, जिसमें अनेक लोगों द्वारा अपने प्राणों की आहुति दी गयी और [illegible] नहीं गयी।

उक्त आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति चिन्हित/वर्गीकृत हैं। आन्दोलनकारियों के ऐसे वर्ग को उनके द्वारा दिये गये बलिदान को ध्यान में रखते हुए सम्मान दिया जाना और लोक सेवाओं में ऐसे आन्दोलनकारियों का प्रतिनिधित्व लिया जाना समीचीन है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार AIR 1993 SC 477 नामक निर्णय विधि, जिसमें अवधारित किया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़े वर्गों (यथा बाढ़ पीड़ित, भूकंप पीड़ित, अग्नि पीड़ित, युद्ध पीड़ित, दंगा पीड़ित आदि) को भी आरक्षण प्रदान किया जा सकता है, के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु विधेयक लाया जाना प्रस्तावित है।

2. प्रस्तावित विधेयक उक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

(प्रेम चन्द अग्रवाल)
संसदीय कार्य मंत्री।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 16 विधायी/367-2024-100+500 (कम्प्यूटर/टीपी)।

152

संख्या– /XX(8)/24–27(रा0आ0)/20

सचिव

प्रेषक,
शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

US / SO आन्दोलनकारी

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

अनुभाग–8 देहरादून: दिनांक 25 नवम्बर, 2024

विषय- उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधिसूचना संख्या–244/XXXVI(3)/2024/48(1)/2023, दिनांक 18.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में निम्नलिखित शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा :–

1. जो राज्य आन्दोलनकारी पूर्व से ही राज्य आन्दोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित है, उनके आश्रितों को राज्य आन्दोलनकारी आश्रित प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

2. जो राज्य आन्दोलनकारी पूर्व से ही राज्य आन्दोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित होने का लाभ ले चुके है वे पुनः अन्य सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगें।

3. प्रत्येक राज्य आन्दोलनकारियों से इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा अभी तक सरकारी सेवा में राज्य आन्दोलनकारी कोटे से क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त किया गया है अथवा नहीं।

2- उपरोक्त शर्तों के अधीन जिलाधिकारी स्तर से प्रारूप निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रारूप–I तथा प्रारूप–II का नमूना संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:–यथोक्त।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या–139 (1)/XX(8)/24–27(रा0आ0)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
3. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त कुमाँऊ/गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

DEO(R) 04/12/2024

आज्ञा से,

(रिधिम अग्रवाल)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या [illegible] / XX(4)/26 [illegible] दिनांक [illegible] के संलग्नक
प्रारूप-1

प्रारूप-1

"उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023" के प्राविधानानुसार चिन्हित उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर श्री/सुश्री/श्रीमती____________________ पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री________________ निवासी________________ तहसील________________ जिला____________ शासनादेश संख्या-777/XX(4)/26/उ0आ0/2006-08, दिनांक 22.10.2008, शासनादेश संख्या-178-2/XX(4)/26/उ0आ0/06/09, दिनांक 28.02.2009, शासनादेश संख्या-1401/बीस-4/2015-3(26)/2006, दिनांक 25.02.2015, शासनादेश संख्या-1521/बीस-4/2017-9(उ0रा0आ0)2016, दिनांक 03.01.2017 एवं शासनादेश संख्या-1192/बीस-4/2017-3(13)/2011, दिनांक 01.12.2017 में विहित चिन्हीकरण हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी के रूप में चिन्हित होने के दृष्टिगत "उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023" के प्राविधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से आच्छादित होते हैं।

दिनांक________________

जिलाधिकारी

जनपद________________

मोहर________________

Sushila Negi — Letter — Rajy Andolankari_2024

प्रारूप—2

"उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023" के प्राविधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आन्दोलनकारियों के आश्रितों यथा स्थिति पत्नी अथवा पति, पुत्र एवं पुत्री (जिसमें विवाहित, विधवा, पति द्वारा परित्यक्त, तलाकशुदा पुत्री भी सम्मिलित है) को राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर श्री/सुश्री/श्रीमती..पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री.................... निवासी..तहसील..जिला.................... ....शासनादेश संख्या—777/XX(4)/26/उ0आ0/2006—08, दिनांक 22.10.2008, शासनादेश संख्या—178—2/XX(4)/26/उ0आ0/06/09, दिनांक 28.02.2009, शासनादेश संख्या—1401/बीस—4/2015—3(26)/2006, दिनांक 25.02.2015, शासनादेश संख्या—1521/बीस—4/2017—9(उ0रा0आ0)2016, दिनांक 03.01.2017 एवं शासनादेश संख्या—1192/बीस—4/2017—3(13)/2011, दिनांक 01.12.2017 में विहित चिन्हीकरण हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार राज्य आन्दोलनकारी चिन्हित किये गये हैं तथा श्री/सुश्री/श्रीमती.................................... पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति के रूप में उक्त संदर्भित राज्य आन्दोलनकारी के आश्रित हैं।

दिनांक....................................

जिलाधिकारी

जनपद....................

मोहर....................

Sushila Negi___ Letter ___ Rajy Andolankari_2024

55

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

दिनांक/Date : 07.01.2021

/Ref. No. : 1305

।। कार्यालय ज्ञाप ।।

विषय :— लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन, विकल्प चयन एवं पद आवंटन की नीति के संबंध में।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा या अन्य तकनीकी मूल्यांकन परीक्षा समाप्त हो जाने के उपरांत अभिलेख सत्यापन की कार्रवाई चयन प्रक्रिया के दौरान की जाती है।अभिलेख सत्यापन में अभ्यर्थी को समस्त अर्हताओं व पात्रताओं का मिलान उनके द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले मूल अभिलेखों से किया जाता है। अब अभिलेख सत्यापन के समय ही अभ्यर्थियों से पद, विभाग, मण्डल या जिला आदि विकल्पों के चयन का अवसर दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थीवार विकल्प, श्रेष्ठता सूची में स्थान, वर्ग, उपवर्ग, रिक्त पदों की संख्या के आधार पर ही पद एवं विभाग आवंटित किया जायेगा।

मा0 उच्चन्यायालय द्वारा विशेष अपील संख्या–721/2019 उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाम राकेश सिंह परोड़िया व अन्य एवं विशेष अपील संख्या–722/2019 उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाम दलबीर सिंह दानू व अन्य मामले में तथा अन्य मामलों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आवेदन के विकल्प चयन न होने के कारण मैरिट के आधार पर चयन के अवसर को समाप्त नहीं किया जा सकता एवं मैरिट ही चयन का मुख्य आधार है। इसके साथ ही आवेदन पत्रों में ही विकल्प होने से अभ्यर्थियों द्वारा कई प्रकार की त्रुटियां हो जाती है जिससे बाद में विकल्प की प्राथमिकता देने में कठिनाई व जटिलता होती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि लिखित परीक्षा में चयन के उपरान्त जो अभ्यर्थी सम्बंधित पद के लिए चयन के इच्छुक नहीं हैं उनके स्थान पर मैरिट में प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को शीघ्र स्थान मिल सके व उनके साथ भी न्यायपूर्ण कार्यवाही हो। इसके लिए आयोग की पूर्व बैठक में सर्वसम्मति के उपरांत अभिलेख सत्यापन तथा विकल्प चयन के लिए निम्न नीति गठित की जाती है:—

1. चूंकि सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरांत परीक्षा में भाग लेते हैं व ऑनलाइन आवेदन करते समय अर्हता व पात्रता संबंधी कोई अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता इसलिए लिखित/शारीरिक दक्षता या अन्य तकनीकी परीक्षण के उपरांत अभिलेख सत्यान का चरण रखा गया है। इसी चरण में अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर निर्णय होगा।
2. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख सत्यापन एवं विकल्प चयन की कार्यवाही समय से पूर्ण न करने के कारण पद/विभाग/जिला/मण्डल का अन्तिम आवंटन में अधिक समय अथवा अनावश्यक रूप से विलम्ब हो जाता है, जिसके कारण वरिष्ठता क्रम में प्रतीक्षारत वास्तविक अभ्यर्थी के साथ अन्याय हो जाता है। अतएव इस आदेश के द्वारा अन्तिम आवंटन त्वरित गति एवं न्याय संगत करने के लिए प्राविधान किया जा रहा है।
3. चयन प्रक्रिया कम समय में संपन्न हो सके इसके लिए अभिलेख सत्यापन व विकल्प चयन के समय, अभ्यर्थी का स्वयं उपस्थित होना आवश्यक है। अभिलेख सत्यापन के समय भी आयोग द्वारा बायोमैट्रिक

क्रमशः——02

उत्कृष्टता पारदर्शिता वस्तुनिष्ठता
राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय परिसर, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड Office Campus of State Election Commission, Ring Road, Ladpur, Dehradun, Uttarakhand
दूरभाष (कार्या०): 0135-2669658, फैक्स: 0135-2672902, वेबसाईट: www.sssc.uk.gov.in, मेल: chayanayog@gmail.com

156

उपस्थिति ली जायगी। अतः तत्समय अभ्यर्थी का उपस्थित रहना अनिवार्य है।

8. अभिलेख सत्यापन में आये हुए अभ्यर्थी की सर्व प्रथम बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी। अभ्यर्थी के ऑनलाइन प्रवेश पत्र के पीछे बायोमेट्रिक कर्मचारी के द्वारा लिखा जायेगा कि इनकी बायोमेट्रिक का प्रमाण पूर्व डेटा से सत्य पाया गया है।

अभिलेख सत्यापन कराने के लिए आये हुए अभ्यर्थी से टीम के सदस्यों के द्वारा बायोमेट्रिक की रिपोर्ट देखी जायेगी। उसके बाद सभी अभिलेखों की सम्बंधित पद की पात्रता के अनुसार क्रम से दो प्रतियों में स्व-प्रमाणित छायाप्रतियाँ प्राप्त की जायेगी। स्व-प्रमाणित छायाप्रति के अनुसार मूल अभिलेख का मिलान किया जायेगा कि किसी छायाप्रति में कोई तथ्य छुपाया तो नहीं गया है।

अभिलेख सत्यापनकर्ता जब सभी अभिलेखों का पूर्ण रूप से सत्यापन कर लेता तब सभी रिक्त पदों की योग्यता व आयु सीमा तथा अन्य पात्रताओं को देखा जायेगा कि अभ्यर्थी किन-किन पदों व विभागों के लिए पात्र है साथ ही आवेद पत्र में भरी गई सूचना व प्रमाण पत्रों का मिलान किया जायेगा।

7. आयोग के स्तर पर मूल अभिलेखों को देखे जाने का अर्थ यह है कि अभ्यर्थी द्वारा जो भी मूल अभिलेख आयोग के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जायेगा उससे ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित अर्हताओं का मिलान करना जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि अभ्यर्थी संबंधित पद की पात्रता रखता है।

8. अभिलेखों की जांच/मिलान के उपरांत अभ्यर्थियों को विज्ञापन में उपलब्ध पदों/विभागों/जिला/मण्डल का विकल्प लेने का अवसर मेरिट के आधार पर दिया जायगा। ज्ञातव्य है कि आयोग समान शैक्षिक अर्हता के पदों को क्लब (Club) कर विज्ञापन जारी कर रहा है। ऐसे में एक ही परीक्षा से विभिन्न विभागों, विभिन्न पदनामों, विभिन्न मंडलों/जिलों के पदों पर भर्ती प्रकिया संपादित होती है ऐसे में विकल्प का चयन मेरिट के आधार पर दिया जायेगा।

9. अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाया जायेगा। प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर ही पदों, विभागों, मण्डलों एवं जिलों आदि का विकल्प चयन का अवसर दिया जायगा। अभ्यर्थी के सभी अभिलेख व पात्रता सही पाये जाने पर अभ्यर्थी को उसकी पात्रता के अनुसार साफ्टवेयर में पदों को दिखाया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थी अपने इच्छा के अनुसार पदों व विभागों का क्रम देगा। अभ्यर्थी को स्पष्ट किया जाता है कि एक बार वरीयताक्रम देने के उपरान्त अभ्यर्थी इस वरीयताक्रम में पुनः परिवर्तन या बदल नहीं सकेगा, इसलिए पदों का क्रम सोच समझ कर ही भरें।

10. अभिलेख सत्यापन हेतु विस्तृत प्रक्रिया :-

10.1. आयोग द्वारा एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जायेगा, जिससे पद/विभाग/उपपद/मण्डल के विकल्प अभ्यर्थी द्वारा इस कार्य के लिए निर्धारित कम्प्यूटर टर्मिनल के माध्यम से किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्प की हार्ड कापी प्रिंट की जायेंगी, जिन पर अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिसकी एक प्रति आयोग कार्यालय तथा दूसरी प्रति सम्बंधित अभ्यर्थी के पास रहेगी।

10.2. *यदि अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित है तब :-*

10.2.1. यदि अभिलेख सत्यापन में उनके अभिलेख सही पाये गये, तब अभ्यर्थी अपना विकल्प चयन आयोग के कम्प्यूटर टर्मिनल में लोड किये गये साफ्टवेयर के माध्यम से करेगी/करेगा।

क्रमशः——03

10.2.2. यदि कोई अभ्यर्थी सत्यापन के दिन विज्ञापन में दिये गये निर्धारित मानकों अथवा नियम सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण पत्रों को पूर्ण किये बिना ही सत्यापन में उपस्थित होता है, तो उस अभ्यर्थी को 15 दिन का या निर्धारित समय अवधि तक का अन्तिम अवसर दिया जायेगा, इसके लिए सत्यापन टीम के द्वारा सत्यापन के दिन ही उस अभ्यर्थी को लिखित नोटिस दिया जायेगा कि संबंधित तिथि तक वे अपना अवशेष अभिलेख सत्यापन टीम को उपलब्ध कराकर पदों/विभाग की वरीयता भर लें। यदि निर्धारित तिथि को वर्णित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उस अभ्यर्थी के संबंध में यह मान लिया जायेगा कि वह संबंधित पद ग्रहण करने के उत्सुक नहीं है और उसका अभ्यर्थन अनन्तिम (Provisional) रूप से समाप्त हो जायेगा।

10.2.3. यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा अभिलेख प्रस्तुत करता है जो उस शैक्षिक अभिलेख के समकक्ष मान्य होगा या नहीं या सत्यापनकर्ता इस स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा है कि अभ्यर्थी संबंधित पद के लिए योग्यता रखता है या नहीं? ऐसी स्थिति में सम्बंधित अभ्यर्थी के अभिलेखों को पृथक से एक पत्रावली में रखा जायेगा व इस पर अलग से निर्णय लिया जायगा। अभ्यर्थी औपबन्धिक (Provisional) विकल्प को चयन करेगा। इन अभ्यर्थियों के बारे में आयोग द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा और अभ्यर्थी पात्र न होने की स्थिति में उन्हें सूचित किया जायेगा, जिसकी एक प्रति अभ्यर्थी एवं दूसरी प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी।

10.3. *यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर अनुपस्थित रहता है तो :–*

10.3.1. अभिलेख सत्यापन के दिनांक को कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो उसे अभिलेख सत्यापन की समाप्ति की तिथि या उससे अगलें कार्य दिवस में या 15 दिन जो भी अधिक हो, सत्यापन के लिए उपस्थित होने का एक और अवसर दिया जायेगा। यदि उस तिथि को भी वह अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो उसका अभ्यर्थन अनन्तिम (Provisional) रूप से समाप्त हो जायेगा।

10.4. यदि किन्ही विशिष्ट व अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण (हास्पिटलाइजेशन या मूल प्रमाण पत्र कही अन्यत्र जमा होना आदि) अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र/अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन के अतिरिक्त समय की आवश्यकता है तब वह सचिव को इस आशय का लिखित व सप्रमाण/सकारण अनुरोध पत्र देगा, जिस पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

11. अन्तिम आवंटन :–

11.1. प्रस्तर 10.2.2 एवं प्रस्तर 10.3.1 में जिन अभ्यर्थियों को अभ्यर्थन अनन्तिम (Provisional) रूप से निरस्त किया गया है। उनको छोड़कर मैरिट सूची के अनुसार अन्य अभ्यर्थियों को पद/विभाग/जनपद/मण्डल आवंटन किया जायेगा।

11.2. प्रस्तर 10.2.2 एवं प्रस्तर 10.3.1 में जिन अभ्यर्थियों को अभ्यर्थन अनन्तिम (Provisional) रूप से निरस्त किया गया है। उनको 15 दिन के अन्दर एक नोटिस दिया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने पर प्रस्तर 11.1 द्वारा आवंटन होने के कारण उन्हें अवशेष पदों पर ही विकल्प भरने का अवसर प्राप्त होगा। अनुपस्थित होने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी इन पदों पर कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं हैं और अन्तिम रूप से उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन रिक्तियो के सापेक्ष वरिष्ठता सूची में अन्य अभ्यर्थियों को विकल्प चयन हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

12. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की सत्यता व वास्तविकता (Veracity) की जांच संबंधित संस्थान या

क्रमशः——04

158

...सम्बन्धित ...लय से ही की जा सकती है व यह कार्यवाही संबंधित निरीक्षक का दायित्व है। अभिलेखों के ...सत्यापन के दौरान यदि किसी अभिलेख के संबंध में स्थिति स्पष्ट न हो सके तो ऐसे मामलों में संबंधित ...क्षेत्र के विशेषज्ञों का सहयोग लिया जायगा।

...आवेदन पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदन पत्र भरने के लिए ...निर्धारित अंतिम तिथि तक सभी प्रकार की अर्हताओं व पात्रताओं को पूर्ण करना अनिवार्य है ऐसे में ...लिखित परीक्षा में चयन होने पर उनके पास ये सभी अभिलेख धारित होना अनिवार्य है।

14. अभ्यर्थी जब किसी विभाग या पद के लिए योग्यता नहीं रखता है तो कम्प्यूटर पर अभ्यर्थी के नाम के ...नीचे पद कोड्स के आगे लिखे गये पद की स्थिति (Post Status) में Not eligible के विकल्प को चयन ...स्वयं सत्यापनकर्ता के द्वारा किया जायेगा, जिससे अभ्यर्थी के सामने लिखे गये पद/विभाग स्वतः ही ...हट जायेंगें।

15. अभ्यर्थी को बताना होगा कि एक बार वरीयता क्रम देने के उपरान्त वह इस वरीयता क्रम में परिवर्तन या बदलाव नहीं सकता है, इसलिए पदों का क्रम सोच समझ कर ही भरें। प्रत्येक दिन का विवरण सत्यापन के दिन ही सत्यापन टीम द्वारा सत्यापन अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

16. अपने लिए पदों की वरीयताक्रम को तय करने के लिए अभ्यर्थी आयोग द्वारा जारी विस्तृत विज्ञापन विवरण देख सकते हैं तथा अभिलेख सत्यापन में आने से पूर्व अन्यत्र सलाह ले सकते हैं। अभिलेख सत्यापन की तिथि को इस संबंध में आयोग से किसी प्रकार का परामर्श/सहयोग की अपेक्षा नहीं की जायगी साथ ही बिना अधिक समय दिये अपना विकल्प चयन करना होगा। विस्तृत विज्ञापन विवरण में अभ्यर्थी यह भी देख लें कि किन पदों के लिए पात्र नहीं है व यह विवरण भी सत्यापन टीम के समक्ष रखें।

17. अभिलेख सत्यापन व विकल्प चयन की प्रक्रिया में किसी भी त्रुटि या विवाद के प्रकट होने पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

अभिलेख सत्यापन तथा विकल्प चयन के संबंध में आयोग द्वारा अब उपरोक्तानुसार कार्यवाई की जायगी। अभ्यर्थियों को इस नीति के संबंध में जानकारी हो इसके लिए इस कार्यालय ज्ञाप को "आयोग की वेबसाइट" पर यथा स्थान तथा "संवाद पृष्ठ" पर भी प्रकाशित किया जाय व "प्रेस नोट" के माध्यम से भी प्रसारित किया जाय।

भवदीय,

(संतोष बडोनी)
सचिव।

पृ०सं० /तददिनांकित।

प्रतिलिपिः-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा० अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, को मा० अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।
4. कम्प्यूटर प्रोग्रॉमर, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।
5. आयोग के समस्त अनुभागों के कार्मिकों में परिचालन हेतु।

(संतोष बडोनी)
सचिव।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

निकट—महाराणा प्रताप स्पोर्टस कालेज, थानो रोड, रायपुर, देहरादून।
वेबसाइट—www.sssc.uk.gov.in ई-मेल—[illegible]@gmail.com
फोन नं० 0135—2683638 फैक्स न0 0135—2872302

पत्रांकः—परीक्षा/ 51 /2020—21 दिनांकः 22 मार्च, 2021

आयोग के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन,विकल्प चयन एवं पद आवंटन की नीति के संबंध में (प्रथम संशोधन)

आयोग के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन, विकल्प चयन एवं पद आवंटन के सम्बन्ध मे जारी नीति में नीचे स्तम्भ—1 मे दिए गये विद्यमान नियम—10 एवं 11 के उप नियमों के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम ही मान्य होगा :—

क्र0 सं0	नियम का विवरण	स्तम्भ—1 विद्यमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
1	नियम—10 (अभिलेख सत्यापन हेतु विस्तृत प्रक्रिया)	यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित है तब :— 10.2.2 यदि कोई अभ्यर्थी सत्यापन के दिन विज्ञापन में दिए गये निर्धारित मानकों अथवा योग्यता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण पत्रों को पूर्ण किये बिना ही सत्यापन मे उपस्थित होता है, तो उस अभ्यर्थी को 15 दिन का या निर्धारित समय तक का अन्तिम अवसर दिया जायेगा, इसके लिए सत्यापन टीम के द्वारा सत्यापन के दिन ही उस अभ्यर्थी को लिखित नोटिस दिया जायेगा कि संबंधित तिथि तक वे अपना विशेष अभिलेख सत्यापन टीम को उपलब्ध कराकर पदों /विभागों की वरीयता भर लें। यदि निर्धारित तिथि को वर्णित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उस अभ्यर्थी के संबंध में यह मान लिया जायेगा कि वह संबंधित पद ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और उसका अभ्यर्थन अनन्तिम (Provisional) रूप से समाप्त हो जायेगा।	यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित है तब :— 10.2.2 यदि कोई अभ्यर्थी सत्यापन के दिन विज्ञापन मे दिए गये निर्धारित मानकों अथवा योग्यता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण पत्रों को पूर्ण किये बिना ही सत्यापन में उपस्थित होता है, तो उस अभ्यर्थी को 15 दिन का या निर्धारित समय तक का अन्तिम अवसर दिया जायेगा, इसके लिए सत्यापन टीम के द्वारा सत्यापन के दिन ही उस अभ्यर्थी को लिखित नोटिस दिया जायेगा कि संबंधित तिथि तक वे अपना विशेष अभिलेख सत्यापन टीम को उपलब्ध कराकर पदों/विभागों की वरीयता भर लें। यदि निर्धारित तिथि को वर्णित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उस अभ्यर्थी के संबंध में यह मान लिया जायेगा कि वह संबंधित पद ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और सम्बन्धित अभ्यर्थी का अन्तिम रूप से अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जायेगा।
2	उप नियम—10.3	यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को एवं समय पर अनुपस्थित रहता है तो :— 10.3.1. अभिलेख सत्यापन के दिनांक को कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है, तो उसे अभिलेख सत्यापन की समाप्ति की तिथि या उससे अगले कार्य दिवस में या 15 दिन जो भी अधिक हो, सत्यापन के लिए उपस्थित होने का एक और अवसर दिया जायेगा। यदि उस तिथि को भी वह अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है, तो उसका अभ्यर्थन अनन्तिम (Provisional) रूप से समाप्त हो जायेगा।	यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को एवं समय पर अनुपस्थित रहता है तो :— 10.3.1. अभिलेख सत्यापन के दिनांक को कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है, तो उसे अभिलेख सत्यापन की समाप्ति की तिथि या उससे अगले कार्य दिवस से अधिकतम 15 दिन का अतिरिक्त समय सत्यापन के लिए उपस्थित होने हेतु एक और अवसर दिया जायेगा। यदि उस तिथि को भी वह अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है, तो सम्बन्धित अभ्यर्थी को दो बार अवसर दिए जाने के उपरान्त भी उपस्थित न होने अथवा उनके द्वारा कोई लिखित सकारण/सप्रमाण पत्र आयोग को उपलब्ध न कराए जाने की दशा में

			सम्बन्धित अभ्यर्थी का अन्तिम रूप से अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जायेगा। इन रिक्तियों के सापेक्ष वरिष्ठता सूची में अन्य अभ्यर्थियों को विकल्प चयन होने हेतु आमंत्रित किया जायेगा। 103.1(A) (नवीन) अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः अन्तिम अवसर दिए जाने की स्थिति में आयोग के द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी को उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गये स्थाई पते (परीक्षा परिणाम घोषित होने की प्रक्रिया में समय लगने के कारण अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार पते में परिवर्तन होने के दृष्टिगत) पर उसकी सूचना डाक के माध्यम से प्रेषित की जायेगी साथ ही अभ्यर्थी के पंजीकृत ई–मेल आई०डी० पर भी उसकी सूचना प्रेषित की जायेगा। सम्बन्धित अभ्यर्थी को आयोग के कार्मिकों के द्वारा भी उनके आवेदन पत्र में दिए गये दूरभाष नम्बरों पर फोन भी किया जायेगा, जिसे फोन करने वाले आयोग कार्मिक के द्वारा सम्बन्धित पद कोड की पत्रावली में अभ्यर्थी से वार्ता होने अथवा या फोन रिसीव होने/ न होने आदि की टिप्पणी भी अंकित की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त आयोग के द्वारा अभिलेख सत्यापन से सम्बन्धित दिए जाने वाले नोटिस एवं जारी सूचना को आयोग की वैबसाइट में एक विशेष आयकन के माध्यम से प्रदर्शित की जायेगी, जिससे अभ्यर्थी वैबसाइट के माध्यम से भी सूचित हो सके।
3	उप नियम–10.4	10.4 यदि किन्ही विशिष्ट व अपरिहार्य परिस्थतियों के कारण (हास्पिटलाइजेशन या मूल प्रमाण पत्र कहीं अन्यत्र जमा होना आदि) अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र/अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन के अतिरिक्त समय की आवश्यकता है तब वह सचिव को इस आशय का लिखित व सप्रमाण/सकारण अनुरोध पत्र देगा, जिस पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।	10.4 यदि किन्ही विशिष्ट व अपरिहार्य परिस्थतियों के कारण (हास्पिटलाइजेशन या मूल प्रमाण पत्र कहीं अन्यत्र जमा होना आदि) अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र/अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन के अतिरिक्त समय की आवश्यकता है तब वह सचिव को इस आशय का लिखित व सप्रमाण/सकारण अनुरोध पत्र देगा, जिस पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जायेगा। परन्तु यह कि आयोग के द्वारा लिए गये निर्णय के आधार पर सम्बन्धित अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि व समय पर अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

4	नियम–11 अन्तिम आंवटन	11.1 प्रस्तर–10.2.2 एवं प्रस्तर–10.3.1 में जिन अभ्यर्थियों को अभ्यर्थन अनन्तिम (Provisional) रूप से निरस्त किया गया है। उनको छोड़कर मैरिट सूची के अनुसार अन्य अभ्यर्थियों को पद/विभाग/ जनपद/मण्डल आंवटन किया जायेगा।	11.1 प्रस्तर–10.2.2 एवं प्रस्तर–10.3.1 में जिन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन अन्तिम रूप से निरस्त किया गया है, उनको छोड़कर मैरिट सूची के अनुसार अन्य अभ्यर्थियों को पद/विभाग/ जनपद/ मण्डल आंवटन किया जायेगा। परन्तु यह कि इन रिक्तियों के सापेक्ष वरिष्ठता सूची में अन्य अभ्यर्थियों को विकल्प चयन होने हेतु आंमत्रित किया जायेगा।
5		11.2– प्रस्तर–10.2 एवं प्रस्तर–10.3.1 में जिन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन अनन्तिम (Provisional) रूप से निरस्त किया गया है। उनको 15 दिन के अन्दर एक नोटिस दिया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने पर प्रस्तर–11.1 द्वारा आंवटन होने के कारण उन्हें अवशेष पदों पर ही विकल्प भरने का अवसर प्राप्त होगा। अनुपस्थित होने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी इन पदों पर कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है और अन्तिम रूप से उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन रिक्तियों के सापेक्ष वरिष्ठता सूची में अन्य अभ्यर्थियों को विकल्प चयन होने हेतु आंमत्रित किया जायेगा।	11.2– विलुप्त

2-1-13

(सन्तोष बडोनी)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2
संख्या [illegible]
देहरादून दिनांक [illegible] अक्टूबर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में आयोग/चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तथा प्रतीक्षा-सूची के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में आयोग/चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में आयोग/चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची नियमावली, 2023 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियमावली का लागू होना — 2. यह नियमावली सरकार के नियंत्रणाधीन सभी विभागों में समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के सीधी भर्ती के समस्त पदों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव — 3. किसी अन्य सेवा नियमावली या तत्समय लागू आदेशों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

परिभाषाएं — 4. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से सुसंगत सेवा नियमावली या सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों के अधीन ऐसे पद पर या सेवा में नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "आयोग/चयन संस्थाओं" से उत्तराखण्ड लोक सेवा

आयोग/उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग/उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड एवं अन्य कोई चयन संस्था अभिप्रेत है;
यदि हो, समकक्षीय अभिप्रेत है;

(ङ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(च) "एकल संवर्ग के पदों" से एक विभाग विशेष का एकल पद अभिप्रेत है, जिस पर केवल उसी विभाग विशेष हेतु ही चयन किया गया हो;

(छ) "सम्मिलित सेवाओं एवं अन्य चयनों" से विभिन्न विभागों में पदों हेतु सम्मिलित परीक्षा के माध्यम से चयन अभिप्रेत है;

चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति/कार्यभार ग्रहण कराया जाना

5\. (1) चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियाँ प्राप्त होने के उपरान्त विभाग द्वारा उनको नियुक्ति प्रदान करनी होगी। सम्बन्धित विभाग आवेदन प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करेंगे तथा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने हेतु एक माह का समय दिया जायेगा, जो अपरिहार्य परिस्थितियों में एक माह और बढ़ाया जा सकता है।

(2) आयोग/चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के परीक्षाफलों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची/आवंटन सूची का उपयोग नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सूची प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष के बाद किसी भी दशा में हुई रिक्ति को भरने के लिए नहीं किया जायेगा।

(3) सम्मिलित सेवाओं एवं अन्य चयनों में निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए, पदित रिक्तियों को आगामी चयन हेतु अग्रणित कर दिया जायेगा।

परन्तु एकल संवर्ग हेतु प्रतीक्षा सूची से चयन की कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रतीक्षा सूची तैयार किया जाना एवं उपयोग

6\. (1) एकल संवर्ग के पदों हेतु आयोग/चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगी/लिखित परीक्षाओं के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन से तैयार प्रवीणता सूची के अनुसार रिक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा तक प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।

(2) प्रतीक्षा सूची केवल एक वर्ष अथवा आगामी वर्ष के विज्ञापन प्रकाशित किये जाने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए वैध होगी। उक्त अवधि के पश्चात प्रतीक्षा सूची का उपयोग नहीं किया जायेगा। एक वर्ष की अवधि की गणना विभाग को चयन

प्रस्तुति/आवंटन सूची प्राप्त होने की तिथि से की

(3) किसी अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति पत्र निर्गत होने के उपरान्त उसके द्वारा नियुक्ति को अस्वीकार किये जाने या निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न किये जाने से घटित रिक्ति के सापेक्ष प्रतीक्षा सूची से आरक्षित/अनारक्षित जैसी भी स्थिति हो, प्रतीक्षा सूची से चयन किया जा सकेगा।

(4) ऐसी प्रतीक्षा सूची का उपयोग केवल विज्ञापन में प्रकाशित पदों के सापेक्ष उपनियम (3) के अन्तर्गत घटित होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए ही किया जायेगा।

(5) एकल संवर्गीय पदों को छोड़कर सम्मिलित चयनों एवं अन्य चयनों में प्रतीक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जायेगा।

कठिनाईयों को दूर किया जाना

17. राज्य सरकार, इस नियमावली के किसी उपबन्ध को कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसमें ... एकमात्र निर्धारक हो) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित, व्यवहार्य या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे।

Signed by Shailesh Bagauli
Date: 10-10-2023 17:29:19

(शैलेश बगौली),
सचिव।

संख्या– 388 /XXIX(4)/2017–03(16)/2016

प्रेषक

सुनील श्री पांथरी
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

सचिव
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून, उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–4 देहरादून: दिनांक 20 नवम्बर, 2017

विषयः– उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सम्पादित परीक्षाओं की अन्तिम चयनित अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची निर्माण एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र दिनांक 22 सितम्बर, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सम्पादित परीक्षाओं की अन्तिम चयनित अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार करने एवं उसके उपयोग के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26 अगस्त, 2005 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार एकल संवर्ग का आशय किसी विभाग विशेष के लिये सृजित पद से है, जिसकी भर्ती की प्रकिया किसी एक सेवा नियमावली में उल्लिखित की गयी है। यदि एक से अधिक विभागों में एक समान पद पर सम्मिलित परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाती है, तो ऐसी स्थिति में एकल संवर्ग के आधार पर प्रतीक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि मात्र एक विभाग के लिये किसी एकल पद हेतु चयन की कार्यवाही की जाती है तो एकल संवर्ग होने के आधार पर वहां पर प्रतीक्षा सूची का निर्माण किया जा सकता है। कृपया तदनुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(सुनील श्री पांथरी)
अपर सचिव

166

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग–01(बेसिक)
संख्याः– / /XXIV-A-1/2021-15/2011 Vol-I
देहरादूनः दिनांक :28 जून, 2021

कार्यालय ज्ञाप

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के पत्र संख्या–NCTE-Reg1011/78/2020-US (Regulation)-HQ/99954-99992 दिनांक 09.06.2021 के माध्यम से NCTE की 50 वीं आम सभा में लिए गये निर्णय एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–21–3/2021–IS.1 दिनांक 07.06.2021 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में अध्यापक पात्रता परीक्षा (T.E.T) के संचालन के सम्बन्ध में NCTE के पत्र संख्या–76–4/2010/NCTE/Acad. दिनांक 11.02.2011 द्वारा निर्गत गाइडलाईन्स के प्रस्तर–11 को संशोधित करते हुए अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण–पत्र की वैधता अवधि 07 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन की गयी है।

2– उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय (UTET I & II) को सम्पादित कराये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या–163/XXIV(1)/2016-15/2011 दिनांक 04 मार्च 2016 के प्रस्तर–4 के विन्दु संख्या (6) को संशोधित करते हुए उक्त परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 07 वर्ष से बढाकर आजीवन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उक्त वैधता अवधि पूर्वगामी प्रभाव दिनांक 11.02.2011 से लागू मानी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर द्वारा, उन अभ्यर्थियों के टी0ई0टी0 प्रमाण पत्रों के पुनः सत्यापन/नवीन प्रमाण पत्रों को निर्गत किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जायगी, जिनके प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि वर्तमान में 07 वर्ष पूर्ण हो चुकी है।

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्याः–889/XXIV-A-1/2021-2021-15/2011 Vol-1 तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सभापति(उ0वि0शि0प0)/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
5. अपर निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, पौड़ी/नैनीताल।
6. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड (द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड)।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

I/209332/2024

ई-फा0209837/XXIV-ए-1/2024-70142/2024

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

देहरादून : दिनांक 09 मई, 2024

बेसिक शिक्षा अनुभाग–1

विषय: उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यू0टी0ई0टी0) आयोजित किये जाने सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 04 मार्च, 2016 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक/सेवायें–2/3क(2)/32518/दिव्यांग/2023–24 दिनांक 12 फरवरी, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के कार्यवृत्त दिनांक 05 फरवरी, 2024 के क्रम में उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यू0टी0ई0टी0) आयोजित किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–867, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 एवं शासनादेश संख्या–163, दिनांक 04 मार्च, 2016 में सभी वर्गों के दिव्यांगजनों हेतु उत्तीर्णांक अनुसूचित जाति के समकक्ष 40 प्रतिशत रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–867, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 एवं शासनादेश संख्या–163, दिनांक 04 मार्च, 2016 के प्रस्तर–4(3) में न्यूनतम अर्हता अंक (Qualifying Marks) में उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यू0टी0ई0टी0) में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग अभ्यर्थियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों (स्वयं) हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

3– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी यदि दिव्यांग श्रेणी में भी हो तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिये उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यू0टी0ई0टी0) में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत ही समझा जायेगा। कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 08-05-2024 20:51:48

(रविनाथ रामन)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।
2– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Bhupendra Singh Bora
Date: 09-05-2024 13:05:41
(भूपेन्द्र सिंह बोरा)
संयुक्त सचिव।

168

Scanned with OKEN